


कार्यालय पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़
 विभागाध्यक्ष कार्यालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर
 दूरभाष नं. 2511920, फैक्स : 2511918 ईमेल— rcs.coop@nic.in



क्रमांक / पंसंस / विविध / 04-19B / 2015 / 6028 नया रायपुर, दिनांक : 21/12/2015

—:: आदेश ::—

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ द्वारा संघ के सेवायुक्तों के लिये सेवानियम तैयार कर रखीकृत करने हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतः छ0ग0 राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, रायपुर के सेवायुक्तों के लिये सेवानियम को छ0ग0 सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 55 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं जे० पी० पाठक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ रखीकृत करता हूँ।

छ0ग0 राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ में रिक्त पदों की पूर्ति/नियुक्ति पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमति के पश्चात ही करेंगे। सेवानियम में किसी विवाद/शंका की रिथति में पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायपुर का निर्णय/स्पष्टीकरण अंतिम होगा।

यह आदेश आज दिनांक 21/12/2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया जाता है।

(जे० पी० पाठक)
पंजीयक,

सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

नया रायपुर, दिनांक : / 12 / 2015

पृ० क्र. / पंसंस / विविध / 04-19B / 2015 /

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छ0ग0 शासन, सहकारिता विभाग 'मंत्रालय' महानदी भवन, नया रायपुर।

2. अध्यक्ष/प्रबंध संचालक, छ0ग0 राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, रायपुर।


3. उप पंजीयक, विविध कक्ष, मुख्यालय।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

T/vividh/364

पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़
21/12/2015

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुध महासंघ मर्यादित
रायपुर (छोगो)



कर्मचारी भर्ती वर्गीकरण तथा सेवा शर्ते
विनियम—2014


छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुर्घ महासंघ मर्यादित, रायपुर
कर्मचारी भर्ती, वर्गीकरण तथा सेवा शर्ते विनियम-2014

॥ सूची ॥

अध्याय एक	:	नाम, परिभाषा एवं विनियम
अध्याय दो	:	सामान्य सेवा शर्ते
अध्याय तीन	:	भर्ती, प्रगति, परिवीक्षा तथा वरिष्ठता
अध्याय चार	:	वेतन/अतिरिक्त वेतन
अध्याय पाँच	:	भत्ते
अध्याय छ:	:	कर्मचारियों को अग्रिम
अध्याय सात	:	अवकाश
अध्याय आठ	:	कार्यग्रहण अवधि
अध्याय नौ	:	सेवा पुस्तिका का अनुरक्षण
अध्याय दस	:	अनुकम्पा नियुक्ति नियम
अध्याय एकारह	:	आचरण, नियम एवं अपील
अनुसूची	:	एक से पांच तक

D. K. Patel
प्रबंध संचालक
छ.ग. राज्य सह. दुर्घ महासंघ नया.
उरला, पिलामुर (छ.ग.)

J. S.
अध्यक्ष
छ.ग. राज्य सहकारी दुर्घ महासंघ मर्यादित
रायपुर (छ.ग.)



J. S.

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुर्घट महासंघ मर्यादित, रायपुर
कर्मचारी भर्ती, वर्गीकरण तथा सेवा शर्ते विनियम-2014

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुर्घट महासंघ मर्यादित रायपुर 2014
नियम

अध्याय—एक

संक्षिप्त नाम :

१— ये विनियम “छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुर्घट महासंघ मर्यादित, रायपुर” भर्ती वर्गीकरण तथा सेवा शर्ते विनियम-2014 कहलायेंगे ।

प्रारंभ :

२— (१) ये नियम पूर्व में प्रचलित सभी नियमों को निष्प्रभावी कर होंगे तथा दिनांक...../2015 से प्रभावशील होंगे । जब तक किसी विशिष्ट के समक्ष अन्यथा टीप न दी गई हो ।

प्रवर्तन :

३— ये विनियम, महासंघ के प्रत्येक पूर्णकालिक कर्मचारी पर तथा विशेष संविदा पर नियोजित कर्मचारियों पर तब तक लागू होंगे, जब तक कि ऐसी संविदा की शर्तों तथा निबंधनों द्वारा अन्यथा व्यवस्था न की जाये, परन्तु वे विनियम निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे –

क— ऐसे कर्मचारी जो महासंघ में प्रतिनियुक्ति पर हो चाहे वह अखिल भारतीय सेवा का हो या राज्य सिविल सेवा का हो या किसी अन्य संगठन का हो,

ख— महासंघ का अध्यक्ष तथा प्रबन्ध संचालक, और

ग— अनुसूची में सम्मिलित पदों पर नियुक्त कर्मचारी, जिनकी सम्पूर्ण सेवा शर्त महासंघ द्वारा अलग से जारी किये गये स्थायी आदेशों से विनियमित होगी ।

घ— ऐसे कर्मचारी, जो इसके पश्चात मंडल द्वारा पारित विशेष या सामान्य आदेश द्वारा अपवर्जित कर दिये जायें ।

ङ— यदि इस संबंध में कोई संदेह उत्पन्न हो कि –

१— क्या ये विनियम या इनमें से कोई विनियम कर्मचारियों पर लागू होते हैं या नहीं, या

२— क्या ऐसे कोई कर्मचारी, जिन पर ये विनियम लागू होते हैं, किसी सेवा या सेवा-प्रबर्ग विशेष का है, या नहीं, तो यह विषय मंडल की अनुमति से पंजीयक को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा ।

कानूनी विवरण द्वारा दिया गया विवरण
कानूनी विवरण द्वारा दिया गया विवरण
कानूनी विवरण द्वारा दिया गया विवरण

छ.ग. राज्य सहकारी दुर्घट महासंघ मर्यादित
रायपुर (छ.ग.)

...2...

दरिमाषायें :

५— इन नियमों में जब तक विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो :—

क—‘नियुक्ति प्राधिकारी’ से अभिप्रेत है, अनुसूची में नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में संस्था के उपनियमों में घोषित प्राधिकारी या अधिकारी ।

ख—‘प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी’ से अभिप्रेत है जिले का सिविल सर्जन या कोई अन्य चिकित्सा अधिकारी जो भी उसे कहा जाता है, जो सिविल सर्जन के ओहदे के बराबर हो, तथा इसमें चिकित्सा महाविद्यालयों के नैदानिक विषयों के ऐसे प्राध्यापक, जिन्होंने कम से कम पांच वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली हो, और नैदानिक विषयों के ऐसे सभी अन्य अध्यापन कर्मचारी, जो प्राध्यापक से ऊंचे पद के हों, शामिल हैं, इसमें ऐसा अशासकीय चिकित्सा व्यवसायी जो द्वारा इस प्रयोजन के लिये घोषित किया गया हो ।

ग—‘मंडल’ से अभिप्रेत है, ‘महासंघ’ का संचालक मण्डल या बोर्ड ।

घ—‘अध्यक्ष’ से अभिप्रेत है, महासंघ के मंडल का अध्यक्ष ।

ङ—‘महासंघ’ से अभिप्रेत है ‘छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुर्गम महासंघ मर्यादित रायपुर’ ।

च—‘कर्मचारी’ से अभिप्रेत है, महासंघ का कर्मचारी ।

छ—‘प्रबन्ध संचालक’ से अभिप्रेत है, महासंघ का प्रबन्ध संचालक ।

ज—‘चिकित्सा मंडल’ से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा गठित चिकित्सा मंडल ।

झ—‘पदोन्नति समिति’ से अभिप्रेत है, महासंघ के कर्मचारियों के विभागीय पदोन्नति के मामलों पर विचार करने के लिए संचालक मण्डल/प्रबन्ध संचालक द्वारा गठित समिति ।

त्र—‘नियमित’ से अभिप्रेत है, वे कर्मचारी, जिन्होंने रथाई पद के विरुद्ध लगातार तीन वर्षों की संतोषप्रद सेवा पूर्ण कर ली हो ।

ट—‘अनुसूची’ से अभिप्रेत है, इन विनियमों से संलग्न अनुसूची ।

ठ—‘चयन समिति’ से अभिप्रेत है, महासंघ की सेवा में नियुक्ति के सम्बन्ध में उम्मीदवारों की सीधी भर्ती या चयन के प्रयोजन के लिए, गठित समिति ।

क. श. राज्य सहकारी दुर्गम महासंघ रायपुर (छत्तीसगढ़)

..3..


ड.— 'अस्थाई' से अभिप्रेत है वे कर्मचारी, जिन्हें कार्य की आवश्यकता को देखते हुए तात्कालिक व्यवस्था अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला स्वीकृत पदों पर अस्थाई रूप से रखा गया हो ।

ढ— आरक्षण— पंजीयक सहकारी संस्थाओं के परिपत्र क्रमांक-5352 दिनांक 03-11-2014 अनुसार आरक्षण लागू होगा ।

च— 'पंजीयक' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा-3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा पंजीयक, 'सहकारी संस्थायें के पद पर नियुक्त व्यक्ति ।

5— विनियमों में संशोधन :

इन विनियमों में कोई भी संशोधन पंजीयक के द्वारा अथवा मंडल के किसी संकल्प के द्वारा तथा पंजीयक के आदेश से ही किया जा सकेगा । पंजीयक द्वारा संशोधन स्वीकृत न होने पर वह प्रभावशील नहीं होंगे ।

 
डॉ. बी. एम. अमेडेकर द्वारा प्राप्त विनियम
द्वारा संशोधित किया गया


..4..

अध्याय-दो
वर्गीकरण एवं सामान्य शर्तेः

6— वर्गीकरण :

महासंघ के अधीन पदों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :—

प्रथम श्रेणी :



द्वितीय श्रेणी :

तृतीय श्रेणी :

चतुर्थ श्रेणी :

7— नियुक्ति की पात्रता:

(1) ऐसा कोई भी उम्मीदवार किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा किये गये चिकित्सा-परीक्षण में मानसिक और शारीरिक रूप से मुक्त न पाया जाये, जिससे उस पद के कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा पड़ सकती है।

परन्तु यह कि ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जो ऐसी नियुक्ति के तुरन्त पूर्व राज्य शासन या राज्य शासन के निगमों या उपकरणों में या किसी संस्था में सेवा में रहा हो तथा चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा नियोजन के लिए सम्यक् रूप से प्रमाणित किया गया हो, स्वस्थ्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने की छूट होगी परन्तु आगे यह कि प्रबन्ध संचालक चतुर्थ श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी से स्वस्थ्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने की छूट दे सकेगा और ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध में पद में सहायक सर्जन से कम न होने वाले चिकित्सा अधिकारियों के प्रमाण-पत्र स्वीकार कर सकेगा।

(2) ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो किसी राज्य शासन या केन्द्रीय शासन या किसी निगम या किसी शासकीय उपकरण या सहकारी संस्था से दुराचरण या निष्ठा की कमी के आरोप पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया हो या निकाल दिया गया हो, महासंघ के अधीन नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

छ.वी. राज्य चाह. दुर्घ. भारतीय शासन
 छरला, लिला-दुर्घ. (छ.वी.)

छ.वी. राज्य चाह. दुर्घ. भारतीय शासन
 छरला, लिला-दुर्घ. (छ.वी.)

- (3) कोई भी ऐसा उम्मीदवार, जिसे पहले किसी दण्डनीय अपराध का दोषी पाया गया हो, तब तक किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, जब तक कि प्रबन्ध संचालक लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों के आधार पर महासंघ के हित में उसे किसी पद पर नियोजित किये जाने के लिये उपयुक्त न समझे ।

3— भर्ती के तरीके :

किसी पद पर नियुक्ति के लिये उम्मीदवारों का चयन निम्नलिखित किसी एक या अधिक तरीके से, जो इसके बाद विहित किये जायें, किया जायेगा, अर्थात् :

एक— सीधी भर्ती

दो— पदोन्नति

तीन— राज्य शासन या भारत शासन या किसी अन्य संगठन से प्रतिनियुक्ति ।

चार— संविदा नियुक्ति,

9— महासंघ के पूर्णकालिक कर्मचारी :

जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, तब तक प्रत्येक पूर्णकालिक कर्मचारी महासंघ के नियंत्रणाधीन होगा और महासंघ द्वारा अपेक्षित रीति से नियोजित किया जा सकेगा, जिसके लिये वह अतिरिक्त पारिश्रमिक का दावा नहीं कर सकेगा ।

10— वह तारीख जब से वेतन और भत्ते प्राप्त होंगे :

इन विनियमों में विशेष रूप से दिये गये अपवादों के अध्याधीन कर्मचारी को उस पद का, जिस पर उसे इस प्रकार नियुक्त या पदोन्नत किया गया हो, वेतन और भत्ते उस तारीख को मध्यान्ह पूर्व से जब वह ऐसे पद का भार ग्रहण करे, प्राप्त होगा तथा उस पद को छोड़ते ही वे उसे प्राप्त होना बन्द हो जायेगे ।

11— अधिवार्षिकी आयुः—

(1) उपविनियम (2) के उद्देश्यों के अध्याधीन प्रत्येक कर्मचारी उस माह के अंतिम दिन के मध्यान्ह पूर्व को, जब उसकी आयु साठ वर्ष हो जाये, महासंघ के नियोजन से सेवा निवृत्त हो जायेगा ।

(2) महासंघ के किसी भी कर्मचारी को, उसके शारीरिक रूप से स्वस्थ होने पर साठ वर्ष की आयु के बाद भी नियोजन की अवधि संबंधित कर्मचारी से अपिवंचक (आवेदन) प्राप्त होने पर संविदा नियुक्त कर सकेगा बशर्ते उसका यह समाधान हो जाये कि उसका नियोजन में बना रहना महासंघ के हित में है । इस प्रकार की संविदा नियुक्ति सामान्यतः एक वर्ष से अधिक की नहीं होगी तथा जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित आयु सीमा तक बढ़ाई जा सकेगी । इसके लिए पंजीयक की अनुमति प्राप्त करनी होगी ।

महासंघ के दुर्घटना भव.

कालाल, छत्तीसगढ़ (छ.ग.)

अध्यक्ष
छ.ग. राज्य सहकारी दुर्घटना भव.
झापुर (छ.ग.)

12— सेवा समाप्ति :

किसी भी कर्मचारी की सेवायें किसी भी समय निम्नानुसार समाप्त की जा सकेगी :—

एक— नियमित कर्मचारी के मामले में तीन माह की पूर्व सूचना देकर और

दो— अस्थायी कर्मचारी के मामले में एक माह की पूर्व सूचना देकर, परन्तु यह कि किसी भी कर्मचारी की सेवायें तत्काल समाप्त की जा सकेगी, और ऐसी सेवा समाप्ति पर वह कर्मचारी सूचना की अवधि के लिये अपने वेतन तथा भत्तों के बराबर रकम उन्हीं दरों पर, जिन पर वह उन्हें सेवा समाप्ति के समय रहा हो, का दावा करने का हकदार होगा।

13— अनिवार्य सेवा निवृत्ति :

(1) नियुक्ति प्राधिकारी को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी कर्मचारी को बीस वर्षों की सेवा पूर्ण कर लेने पर, कोई कारण बताये बिना सेवा—निवृत्ति कर दे और इस कारण विशेष मुआवजे का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जावेगा, परन्तु इस अधिकार का प्रयोग उसी स्थिति में किया जावेगा, जबकि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में ऐसा किया जाना महासंघ के हित में हो और तीन माह पहले सूचना देकर ही किया जा सकेगा, अन्यथा नहीं।

(2) कोई भी कर्मचारी बीस वर्षों की सेवा पूर्ण कर लेने पर किसी भी समय महासंघ के नियोजन से सेवा निवृत्ति हो सकेगा, परन्तु उसे सेवा निवृत्ति होने से कम से कम तीन माह पूर्व उपयुक्त प्राधिकारी को इस संबंध में लिखित सूचना देनी होगी। यदि वह सूचना की अवधि पूर्ण होने के पूर्व सेवा निवृत्ति होना चाहे, तो उसे उस अवधि के वेतन और भत्तों के बराबर की रकम का, जो तीन माह की अवधि में कम पड़ती हो, भुगतान करना होगा।

4— त्याग पत्र :

(1) यदि कोई नियमित कर्मचारी अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे, तो उसे कम से कम तीन माह की सूचना देनी होगी। उसे सूचना की अवधि पूर्ण हो जाने और उस पर देय सभी बकाया रकमों का समायोजन कर दिये जाने पर पद त्याग करने की अनुमति दी जायेगी।

(2) यदि कोई अस्थाई कर्मचारी, अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे, तो उसे एक माह की सूचना देनी होगी। उसे सूचना की अवधि पूर्ण हो जाने और उस पर देय सभी बकाया रकमों का समायोजन कर दिये जाने पर ही त्याग करने की अनुमति दी जायेगी।

5— शारीरिक अयोग्यता के कारण सेवा निवृत्ति :

(1) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को सकारण यह विष्वास हो कि कोई कर्मचारी ऐसे किसी (क) सांसारिक रोग या (ख) शारीरिक या मानसिक निर्याग्यता से ग्रस्त है, तो उसकी राय में, उसके कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन में बाधक है, तो वह प्राधिकारी संबंधित कर्मचारी को प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी कर्मचारी के मामले में चिकित्सा मंडल के समक्ष तथा तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के मामले में प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी के समक्ष विहित अवधि के भीतर चिकित्सा परीक्षण कराने हेतु तुरन्त छुट्टी पर जाने का निर्देश दे सकेगा।


द्रृष्टि राज्य साहस्रारी दृष्टि महासंघ कर्मचारी
अधिकारी (दृष्टि)


द्रृष्टि राज्य साहस्रारी दृष्टि महासंघ कर्मचारी
अधिकारी (दृष्टि)

(2) स्वारक्षण परीक्षण करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रकट की गई राय के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कर्मचारी को, जो आगे सेवा करने के लिये स्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया हो, सेवा निवृत्त कर सकेगा और उसे ऐसे उपादान का भुगतान करना होगा, जो तत्समय प्रवृत्त नियमों के अधीन अनुमत हो। उसे अर्जित छुट्टी देय होने पर अधिक से अधिक 300 दिनों की अर्जित छुट्टी भुनाने की भी अनुमति दी जायेगी। ऐसे कर्मचारी के मामले में, जिसे परीक्षण में चिकित्सोपचार की सिफारिश की गई हो, और उसे चिकित्सा प्राधिकारी की राय में चिकित्सोपचार के लिये छुट्टी पर जाना चाहिये, बशर्ते चिकित्सा प्राधिकारी की राय में रोग साध्य हो, उसे ऐसी छुट्टी स्वीकार की जायेगी जो उसे देय तथा यदि उसे कोई छुट्टी देय न हो, तो उसे असाधारण छुट्टी अनुमत की जा सकेगी।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी को यथास्थिति संबंधित कर्मचारी को उच्चतर हैसियत के चिकित्सा मंडल द्वारा इस सिफारिश पर पुनरीक्षण करने का अधिकार होगा तथा पुनरीक्षण करने वाले चिकित्सा मंडल का परामर्श अंतिम होगा। ऐसे पुनरीक्षण मंडल पर किया गया व्यय महासंघ द्वारा उठाया जायेगा।

(4) यदि कोई कर्मचारी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विनियम 15 के अनुसार जारी किये गये निर्देशों का पालन न करें, तो नियुक्ति प्राधिकारी अथवा कर्मचारी को नियुक्त करने वाला प्राधिकारी, चिकित्सा प्राधिकारी की सिफारिश प्राप्त किये बिना उसे तत्काल सेवानिवृत्त करने का रवतंत्र होगा और संबंधित कर्मचारी उसे देय अर्जित छुट्टी भुनाने का दावा नहीं कर सकेगा तथापि उसे उपादान का भुगतान किया जायेगा, बशर्ते वह तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार उसे अनुमत हो।

भ6— स्थानान्तरण :

महासंघ अपने कर्मचारी को भारत में कहीं भी महासंघ कार्यालयों या उसकी सहायक या सम्बद्ध संस्थाओं में या उनके कार्यालयों में (अन्तरित) स्थानान्तरित करने का अधिकार होगा।

भ7— पद समाप्ति पर छटनी :

(1) यदि किसी कर्मचारी को पद—समाप्ति के कारण सेवा मुक्त करना आवश्यक हो, तो उसे अन्य पद पर नियुक्त न किये जाने पर पद समाप्ति के परिणामस्वरूप उसे सेवा से अलग किये जाने के पूर्व, उसके नियमित कर्मचारी न होने की स्थिति में कम से कम एक माह की सूचना दी जावेगी।

(2) पद समाप्ति के कारण सेवा से अलग किये जाने की स्थिति में कर्मचारी तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार उपादान और विभिन्न जमा रकमों की वापसी का इस शर्त के अध्याधीन हकदार होगा कि वह उस पर देय सभी बकाया रकमों का समाशोधन कर दे।


छ.प. राष्ट्रपति द्वारा दिया गया नियमित विवर
दिनांक: (३०/३/२०१४)



अध्याय-तीन

भर्ती, पात्रता, परिवेक्षा तथा वरिष्ठता

18— भर्ती का तरीका :

पदों के लिये भर्ती प्रत्येक पद के संबंध में अनुसूची—एक अनुसार कर्मचारी भर्ती व पदोन्नति नियमों में दी गई सीमा तक निम्नलिखित तरीके से की जायेगी, अर्थात्

(क) प्रतियोगी परीक्षा या चयन या दोनों के जरिये सीधी भर्ती द्वारा,

(ख) व्यापार प्रशिक्षा (ट्रेड एप्रेन्टिस),

(ग) कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा,

(घ) राज्य शासन या भारत सरकार या किसी अन्य संगठन से, जैसा कि किसी पद को भरने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाये, प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(ङ) संविदा नियुक्ति द्वारा : संविदा पर कर्मचारी की नियुक्ति पंजीयक, सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ के आदेश अनुसार की जा सकेगी ।

19— पद पर नियुक्ति :

इन विनियमों के प्रारंभ होने के बाद उपलब्ध पदों का विवरण अनुसूची—एक में विनिर्दिष्ट महासंघ के अधीन पदों के लिये सभी नियुक्तियाँ, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी तथा नियुक्ति के लिए दी गई कार्यप्रणाली को अपनाये बिना इस शर्त पर नियुक्त कर सकेगा कि वह उस पद के लिये विहित शैक्षणिक योग्यता अर्हता पूरी करता हो तथा ऐसे पद पर नियुक्त किए जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त समझा गया हो । ऐसे मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा ।

20— सीधी भर्ती की पात्रता के लिये शर्तें :

प्रतियोगी परीक्षा में या साक्षात्कार में चयन किये जाने या दोनों में पात्रता के लिये उम्मीदवार से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक अर्हता और अनुभव के संबंध में अनुसूची—दो में यथा निर्धारित मानदण्डों को पूरा करता हो ।

छ.म. राज्य लोक नियुक्ति विभाग
चरता, फिल्म-कुर्स (छ.म.)

कृष्ण राजपाल
(कृष्ण)

21— अनर्हता :

(1) किसी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी के लिये किसी साधन द्वारा सहयोग प्राप्त करने के लिये केंद्र गया प्रयास, नियुक्ति प्राधिकारी या चयन समिति द्वारा उसके प्रवेश या चयन तथा किसी पद पर नियुक्ति के लिये अनर्हकारी माना जायेगा ।

(2) ऐसा कोई भी उम्मीदवार, जो चयन के संबंध में प्रवेश पाने के लिये चयन या परीक्षा के समय प्रतिरूपण का या ऐसे विरचित दस्तावेज प्रस्तुत करने का, जो कटे-फिट हो या ऐसे विवरण तैयार करने, जो गलत या असत्य हों या सारभूत जानकारी छिपाने का या गलत साधनों का प्रयोग करने या किन्ही अन्य अनियमित या अनुचित साधनों को अपनाने का दोषी पाया गया हो, महासंघ के अधीन चयन या नियुक्ति के लिए अपात्र होगा । यदि कोई कर्मचारी अनुचित तरीके से महासंघ की सेवा में प्रविष्ट कर जाये तो उसे सेवा से अलग करना नियुक्ति अधिकारी के विवेक पर होगा ।

22— उम्मीदवार की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा :-

परीक्षा का चयन के संबंध में प्रवेश के लिये उम्मीदवार की पात्रता के मामले में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा ।

23— सीधी भर्ती :

(1) किसी भी पद पर भर्ती के लिये प्रतियोगी परीक्षा या चयन ऐसी अंतरावधियों पर आयोजित किया जायेगा, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर निर्धारित करें । अनुसूची में उल्लेखित महासंघ के संचालक मण्डल द्वारा नियुक्त सदस्यों की चयन समिति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक पद के लिये उपयुक्त उम्मीदवारों के चयन के लिये गठित की जायेगी ।

(2) किसी भी पद पर नियुक्ति के लिये उम्मीदवारों का चयन, प्रतियोगी परीक्षा या साक्षात्कार लेने के बाद या दोनों ही तरीकों से जैसा भी चयन समिति निर्णय ले, चयन समिति द्वारा किया जायेगा ।

(3) **संशोधित नियम** — पंजीयक, सहकारी संस्थायें के परिपत्र क्रमांक 5352 दिनांक 03.11.2014 अनुसार आरक्षण लोगू होगा तथा छ.ग. शासन द्वारा निर्धारित आयु सीमा संबंधी नियमों के अनुसार किया जाएगा । प्रदेश की सहकारी संस्थाओं में कर्मचारियों की भर्ती तथा पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.02.2007 (अपील (सिविल) 2661/2004) एवं माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर द्वारा डब्ल्यू०पी० नंबर 2133/2011 में पारित आदेश दिनांक 9.8.2011 के रिव्यू/अपील के संबंध में महाअधिवक्ता छत्तीसगढ़ से प्राप्त अभिमत अनुसार कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं ।

अतः “माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के प्रकाश में छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत एवं पंजीकृत समझी गयी सहकारी संस्थाओं के लिए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा—55 (1) के अंतर्गत समय-समय पर जारी सेवा नियम में उल्लेखित आरक्षण से संबंधित प्रावधान ऐसी सहकारी संस्थाएं, जिनमें राज्य सरकार द्वारा धारित समादत्त अंशपूँजी 51 प्रतिशत से कम है, उन संस्थाओं के सेवा नियमों में उल्लेखित आरक्षण से संबंधित प्रावधान निष्प्रभावी होंगे ।”

24— चयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये उम्मीदवारों की सूची :

(1) चयन समिति, प्रतियोगी परीक्षा या चयन या दोनों के द्वारा किये गये निर्धारण के आधार पर वरीयता कम में रखे गए उपयुक्त उम्मीदवारों की सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी ।

(2) सूची महासंघ के सूचना पटल पर चिपकाई जायेगी ।

छ.ग. शासन (संसदीय संस्थान कार्यालय)
संसदीय सिला-युक्त (छ.ग.)

छ.ग. शासन (संसदीय संस्थान कार्यालय)
संसदीय सिला-युक्त (छ.ग.)

25— चयन समिति द्वारा चयन किये गये उम्मीदवारों की नियुक्ति :

(1) इन नियमों के उपबन्धों के अध्याधीन उम्मीदवारों को, उपलब्ध रिक्त-स्थानों पर उस कम में, जिस कम सूची में उनके नाम हों, नियुक्ति लिये पात्र समझा जायेगा ।

(2) उम्मीदवारों का नाम सूची में सम्मिलित होने से तब तक नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसा वह आवश्यक समझे, यह समाधान नहीं हो जाता कि उम्मीदवार ऐसे पद पर नियुक्ति के लिये सभी दृष्टियों से उपयुक्त है ।

26— पदोन्नति द्वारा नियुक्ति :

(1) पदोन्नति के लिये पात्र समझे जाने वाले उपयुक्त उम्मीदवारों की सूची की सिफारिश करने के लिये समय-समय पर नियमों के अनुसार प्रबन्ध संचालक या संचालक मण्डल द्वारा गठित विभागीय पदोन्नति समिति में नाम निर्दिष्ट किये गये सदस्य सम्मिलित होंगे ।

(2) आरक्षणः— पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ०ग० रायपुर के परिपत्र क्रमांक—5352 दिनांक 03-11-2014 अनुसार आरक्षण लागू होगा ।

27— पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तेः

समिति उम सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जो समिति की बैठक की तारीख के पूर्ववर्ती माह के अंतिम दिन, ऐसे पदों पर, जिनसे पदोन्नति की जानी हो या कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति नियामक अनुसूची में उल्लेखित किसी अन्य पद या पदों पर सेवा वर्षों की ऐसी संख्या पूर्ण कर चुके हों ।

28— उपयुक्त उम्मीदवारों की सूची तैयार करना :


(1) समिति विनियम 27 में विहित शर्तों से संतुष्ट होने वाले ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार करेगी, जो समिति द्वारा, पद पर पदोन्नति के लिये उपयुक्त पाये गये है । सामान्यतः यह सूची, चयन सूची तैयार करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि में सेवा निवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण पूर्व अनुमानित रिक्त स्थानों को पूरा करने के लिये पर्याप्त होगी ।

(2) चतुर्थ श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी के उच्च वेतनमान में, चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी से तृतीय श्रेणी के उच्च वेतनमान में, तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी के उच्च वेतनमान में एवं द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी के पदों पर पदोन्नति “वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता” के आधार पर की जाएगी ।

(3) प्रथम श्रेणी से प्रथम श्रेणी के उच्च वेतनमान के पदों पर पदोन्नति “योग्यता-सह-वरिष्ठता” के आधार की जाएगी ।

(4) सूची में सम्मिलित व्यक्तियों के नाम पद, जिससे उनकी पदोन्नति की जानी है, में विद्यमान उनके परस्पर वरिष्ठता कम में रखे जायेंगे ।

परन्तु केवल वरीयता के आधार पर भरे जाने वाले यथा निर्णीत ऐसे पद के मामले में, उपयुक्त व्यक्ति का नाम उनकी परस्पर वरिष्ठता पर ध्यान दिये बिना समिति द्वारा निर्धारित वरीयता कम में रखे जायेंगे । समान वरीयता रखने वाले दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मामले में ऐसे व्यक्तियों के नाम, उनके वरिष्ठता कम में रखे जायेंगे ।


छ.ग. राज्य सहकारी दुष्ट महासंघ मध्य
प्रायपुर (छ.ग.)

छ.ग. दूष्ट मध्य प्रायपुर नदी
उरला, शिला-कुर्द (छ.ग.)

29— (5) यदि चयन, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण की प्रक्रिया में अनुपयुक्तता के आधार पर किसी व्यक्ति का अधिकमण किया जाना प्रस्तावित हों, तो समिति अधिकमण के कारणों को संक्षेप में लेखबद्ध करेगा ।

चयन सूची :

(1) नियुक्ति प्राधिकारी सूची पर विचार करेगा तथा उसे अनुमोदित करेगा बशर्ते वह यह समझे कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाना है । यदि नियुक्ति प्राधिकारी सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझता हो, तो वह समिति के अध्यक्ष से परामर्श करेगा तथा वह लिखित रूप में पुनरीक्षण करेगा ।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची, उसमें सम्मिलित व्यक्ति की पदोन्नति के लिये चयन सूची मानी जायेगी ।

(3) चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इसे अंतिम रूप देने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिये या जब तक नई सूची तैयार नहीं की जाती लागू रहेगी ।

परन्तु प्रवर सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्य पालन में गंभीर चूक होने पर प्राधिकारी के कहने पर समिति द्वारा संबंधित व्यक्ति के संबंध में विशेष पुनर्विचार किया जायेगा तथा यदि आवश्यक समझा जाये तो उसका नाम सूची से हटा दिया जायेगा ।

30— चयन सूची से पद पर नियुक्ति :

चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की नियुक्ति, उसी कम से की जायेगी जिनमें ऐसे व्यक्तियों के नाम चयन सूची में दर्शाये गये हों ।

31— परिवीक्षा :

(1) प्रत्येक व्यक्ति, जो सीधे भर्ती किया गया हो, न्यूनतम दो वर्ष के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा । नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा की अवधि को और एक वर्ष के लिये बढ़ा सकेगा ।

(2) ऐसा व्यक्ति, जो परिवीक्षा पर हो, उसके लिये यथा विहित प्रषिक्षण प्राप्त करना अपेक्षित होगा ।

(3) परिवीक्षा पर रखे गये सीधी भर्ती किये गये व्यक्ति की सेवायें परिवीक्षा के दौरान या परिवीक्षा की समाप्ति पर एक माह की सूचना देने के बाद समाप्त की जा सकेगी, बशर्ते कि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उस कर्मचारी के उपयुक्त कर्मचारी सिद्ध होने की संभावना न हो ।

परन्तु ऐसे कर्मचारी की सेवायें तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा ऐसी समाप्ति पर कर्मचारी एक माह की अवधि के वेतन तथा भत्ते के बराबर रकम, उसी दर पर, जिसे वह सेवाओं की समाप्ति के तत्काल पूर्व में प्राप्त कर रहा था या, यथा स्थिति उस अवधि के लिये, जो कि ऐसी सूचना की अवधि से एक माह से कम होती हो, पाने का हकदार होगा ।

(4) परिवीक्षा की सफलतापूर्वक समाप्ति पर, व्यक्ति को उस पद पर स्थायी कर दिया जायेगा, जिसमें वह परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया था, पद पर उसकी वरिष्ठता निम्नलिखित सिद्धान्तों के अनुसार निर्धारित की जायेगी, अर्थात् —

Debabati
द्र. राज्य सहकारी दुर्घट घटासंचयालय
द्र. राज्य सहकारी दुर्घट घटासंचयालय
काशी दिल्ली-हरया (प्रद.)

Debabati
द्र. राज्य सहकारी दुर्घट घटासंचयालय
द्र. राज्य (द्र. र.)

32- (1) परिवीक्षा की अवधि के दौरान कर्मचारी की वरिष्ठता पद पर उसकी नियुक्ति की तारीख से मानी जायेगी ।

परन्तु जहां दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ही समय में नियुक्ति के लिये चयन किया गया हो, तो इस प्रकार चयन किये गये व्यक्तियों की परस्पर ऐसे वरिष्ठता कम के अनुसार होगी, जिनकी उस पद पर यथा स्थिति या पदोन्नति के लिये सिफारिश की गई हो, न कि उस पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से ।

(2) पूर्व में चयन किये गये व्यक्ति उसी पद के लिये परवर्ती चयनों में चुने गये व्यक्ति से वरिष्ठ होगा, परन्तु यदि पूर्व में चयन किया गया कोई व्यक्ति, उसके नियुक्ति आदेश में विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपने पद का कार्यभार ग्रहण नहीं कर पाता किन्तु उसे बाद में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दे दी जाती है, तो उसकी वरिष्ठता परवर्ती सूची में उन सभी व्यक्तियों से नीचे मानी जायेगी, जिन्होंने उससे पहले पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है ।

(3) यदि नियुक्तियाँ, अनुसूची में निर्धारित प्रतिशत के अनुसार पद के किसी प्रवर्ग में अंशतः सीधी भर्ती और अंशतः पदोन्नति द्वारा की गई, तो ऐसे कर्मचारियों की वरिष्ठता का निर्धारण अनुसूची में इन प्रयोजनों के लिये नियत प्रतिशतों के अनुपात में भर्ती तथा पदोन्नति की तारीख के आधार पर किया जायेगा ।


(4) खण्ड (1) से (3) के अधीन यथा नियत वरिष्ठता कम परिवीक्षा की समाप्ति पर स्थायीकरण के समय भी बनी रहेगी । यदि किसी कर्मचारी के मामले में परिवीक्षा की अवधि बढ़ा दी गई हो तो उसकी वरिष्ठता स्थायीकरण के समय उन सभी व्यक्तियों से नीचे रखी जायेगी, जो पूर्ववर्ती तारीखों में स्थायी किये जा चुके हैं ।

(5) जब कोई कर्मचारी शास्त्रिय या अन्य कारणों से निम्न पद पर पदावनत कर दिया गया हो, तो वह तब तक उस पद की पद कम सूची में, जिसमें उसे पदावनत किया गया है उन सब व्यक्तियों से उपर होगा, जो उसके पदावनत होने की तारीख को वह पद धारण कर रहे हों, जब तक कि ऐसी पदावनति का आदेश देने वाला प्राधिकारी विशेष आदेश द्वारा उसके द्वारा इस प्रकार पदावनत किसी कर्मचारी के लिये पदावनत के पद की पदकम सूची में इससे भिन्न स्थिति न दर्शायें ।

(6) ऐसे कर्मचारी की वरिष्ठता का जो प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति किया गया हो तथा बाद में उसी पर संविलयनित (absorbed) किया गया हो, का निर्धारण महासंघ में संविलयन की तारीख से किया जायेगा ।

च.म. सलीम खान दुर्घट यात्रामाल नगरी
चरला, किला-हुर्द (छ.य.)

डॉ. रघुवर राघवरामी दुर्घट यात्रामाल
रामगढ़ (छ.य.)



अध्याय—चार

वेतन

अध्याय—चार में वर्णित विषयों पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम (वेतन निर्धारण करने संबंधी मूल नियम 22 से 40 एवं समय—समय पर जारी संशोधन) प्रभावी होंगे जब तक किसी विषय पर अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

पद पर नियुक्ति पर वेतन :

- (1) महासंघ के कर्मचारियों का वेतनमान पंजीयक द्वारा स्वीकृत वेतनमान के अनुसार होगा। संघ का कुल स्थापना व्यय संघ की कार्यशील पैंजी के 2% अथवा सकल लाभ का 30% से अधिक नहीं होगा।
- (2) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त उम्मीदवार को प्रारंभिक वेतन, उस पद के समय वेतनमान के न्यूनतम पर, जिस पर वह नियुक्त किया गया हो, निर्धारित किया जायेगा।
- (3) महासंघ में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति या पदोन्नति/कमोन्नति उच्चतर वेतनमान में होने पर छत्तीसगढ़ शासन के नियमों के अनुसार वेतन निर्धारित किया जायेगा।

वेतन वृद्धि स्वीकृत करना :


वेतनवृद्धि सम्भान्य कम छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित नियमानुसार तब तक निकाली जायेगी जब तक वह किसी आदेश द्वारा रोकी न गई हो।


वह सेवा, जिसकी वेतनवृद्धियों के लिये गणना की जावेगी :

- (1) इसी समय वेतनमान में किसी पद की सम्पूर्ण कर्तव्य अवधि की गणना उस समय वेतनमान में वेतन वृद्धि के लिये की जायेगी।
- (2) यदि किसी कर्मचारी को उच्चतर पद से पदावनत कर दिया जाये या किसी अन्य पद पर अन्तरित कर दिया जाये, जिसका वही समय वेतनमान हो, तो उस पद की कर्तव्य अवधि, जिससे वह पदावनत या अंतरित किया गया हो, की गणना उसकी उस पद की वेतन वृद्धि के लिये की जायेगी जिस पर उसे पदावनत या अंतरित किया गया हो।

वह तारीख जिससे वेतनवृद्धि आहरित की जायेगी :

छत्तीसगढ़ शासन के नियम अनुसार देय होगी।


Dr. Jayanta Kumar Patra
Ch. Secy. S.H. & C.G. M.L.A.S.C. Secretary
Chhota, Jharkhand (A.S.)


Dr. Jayanta Kumar Patra
Ch. Secy. S.H. & C.G. M.L.A.S.C. Secretary
Chhota, Jharkhand (A.S.)

[Signature]
37— निम्नतर पद पर अवनत किये जाने की स्थिति में वेतन :

वह प्राधिकारी, जो शास्ति के उपाय के रूप में किसी कर्मचारी के ओहदे में कमी किये जाने का आदेश दे उसे ऐसा कोई वेतन जिसे वह उपयुक्त समझे आहरित करने की अनुमति दे सकेगा, जो उस पद के समय वेतनमान के अधिकतम से अधिक न हो जिस पर उसे पदावनत किया गया हो ।

38— पदावनत किये जाने पर वेतनवृद्धि के लिये पूर्व सेवा की गणना की जायेगी या नहीं ।

(1) यदि किसी कर्मचारी की शास्ति के रूप में उसी समय वेतनमान में निचली अवस्था में पदावनत किया जाता है तो ऐसी पदावनति का आदेश देने वाला प्राधिकारी उस अवधि का उल्लेख करेगा, जिसके लिये वह प्रभावी होगा और इस बात का भी उल्लेख करेगा कि क्या प्रत्यावर्तन के पश्चात ऐसी पदावनति की अवधि के आगे की वेतनवृद्धियों स्थगित होगी या नहीं और यदि हाँ तो किस सीमा तक ।

(2) यदि किसी कर्मचारी की शास्ति के रूप में किसी निम्नतर पद पर अवनत किया जाता है तो ऐसी पदावनति का आदेश देने वाला प्राधिकारी उस अवधि का उल्लेख कर सकेगा, या नहीं करेगा, जिसके लिये वह प्रभावी होगा किन्तु जहाँ वह अवधि इस प्रकार विनिर्दिष्ट की गई हो, प्राधिकारी इस बात का भी उल्लेख करेगा कि क्या प्रत्यावर्तन पर पदावनति की अवधि से अगली वेतनवृद्धियों स्थगित होगी या नहीं और यदि हाँ तो किस सीमा तक ।

39— वेतनवृद्धि रोकने या ओहदे में कमी करने से संबंधित शास्ति के उपरान्त या प्रतिसंहरण के पश्चात वेतन निर्धारण— :

(1) जहाँ अपील या पुनर्विचार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी कर्मचारी की वेतनवृद्धि रोकने या उसी समय वेतनमान में निचली अवस्था में उसे रखे जाने या निम्नतर पद पर अवनत किये जाने की शास्ति का आदेश आपास्त कर दिया जाये, वहाँ इन विनियमों में दी गई किसी बात के होते हुये भी उस कर्मचारी का वेतन निम्नलिखित रीति से विनियमित किया जायेगा ।

(क) यदि उक्त आदेश आपास्त किया जाता है तो उसे ऐसे आदेश के प्रभावी रहने की अवधि के लिये उस वेतन, जिसका वह ऐसा आदेश न दिये जाने की स्थिति में हकदार होता तथा उस वेतन, जो उसने वस्तुतः आहरित किया हो, के बीच होने वाले अन्तर की रकम दी जायेगी ।

(ख) यदि उक्त आदेश उपान्तरित किया गया हो तो वेतन इस प्रकार विनियमित होगा मानो कि इस प्रकार उपान्तरित आदेश उसे पहली बार दिया गया होगा ।

40— प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान करना :-

जब किसी कर्मचारी को बाह्य सेवा में उसकी प्रतिनियुक्ति या किसी अन्य ऐसे कारण से, जिसके लिये वह उत्तरदायी न हो, पदोन्नति से रोका गया हो तब उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस पद, जिस पर उसे प्रतिनियुक्ति पर न भेजे जाने की स्थिति में या ऐसे किसी कारणवश, जिसके लिये वह उत्तरदायी न हो, पदोन्नत होने से रोके जाने की स्थिति में पदोन्नत किया गया होता, निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन प्रोफार्मा पदोन्नति दी जा सकेगी ।

[Signature]
क्र. संख्या ४८८ दुर्घट नियमित वर्ष
उत्तराधिकारी (अ.प.)

क्र. संख्या ४८८ दुर्घट नियमित वर्ष
उत्तराधिकारी (अ.प.)

(1) उन वरिष्ठ कर्मचारियों को छोड़, जो अनुपयुक्तता के कारण अधिकमित कर दिये गये हों, सभी वरिष्ठ कर्मचारियों को पदोन्नत किया जा चुका हो ।

(2) वह कर्मचारी, जिसके संबंध में प्रोफार्मा पदोन्नति का आदेश दिया जाना हो । संबंधित पद पर पदोन्नति को शामिल करने वाले नियमों के उपबंधों के अनुसार पदोन्नति के लिये उपयुक्त हो ।

(3) मंडल के विशेष आदेशों के अन्तर्गत आने वाले मामलों को छोड़ कर्मचारियों को प्रोफार्मा पदोन्नति अनुमत की जा सकेगी और साथ ही साथ कनिष्ठ कर्मचारियों को पदोन्नत किया जायेगा । वह कर्मचारी, जिसे इस नियम के अधीन प्रोफार्मा पदोन्नति दी गई हो, उच्चतर पद के वेतन और भत्तों का उस तारीख से हकदार होगा जब से उससे कनिष्ठ कर्मचारी को उस पद का वेतनमान अनुमत किया गया हो । उस वरिष्ठ कर्मचारी द्वारा, जिसे प्रोफार्मा पदोन्नति दी गई हो, उस पद का कार्यभार ग्रहण किये जाने के तुरन्त बाद वह कनिष्ठ कर्मचारी उस स्थिति में निम्नतर पद पर पदावत कर दिया जायेगा जबकि उसके समंजन के लिये कोई उच्चतर पद रिक्त न हो ।

(4) कर्मचारियों को "समयबद्ध कमोन्नति योजना" का लाभ दिये जाने के संबंध में:

छत्तीसगढ़ शासकीय कर्मचारी कमोन्नति योजना तथा समयमान वेतनमान योजना के अनुसार दिया जायेगा ।

विशेष वेतन :

जब सक्षम प्राधिकारी किसी कर्मचारी को उसके अपने कर्तव्यों के अलावा किसी ऐसे अन्य महत्वपूर्ण कार्य अथवा अन्य पद के, जिसका वेतनमान अधिक हो, अतिरिक्त कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त किया जाता है, तो उसे उच्चतर पद के वेतनमान के न्यूनतम के 10 प्रतिशत की दर से विशेष वेतन अनुमत होगा परन्तु यह कि इस उप-विनियम के अधीन विशेष वेतन उस स्थिति में अनुमत नहीं होगा जबकि उच्चतर पद पर ऐसी नियुक्ति की अवधि 15 दिनों से कम हो, परन्तु आगे यह भी कि सक्षम अधिकारी ऐसे किसी मामले में जहाँ किसी कर्मचारी को उच्चतर वर्ग के पदों का सम्पूर्ण कार्य करने के लिये नियुक्त किया जाता है, विशेष वेतन मंजूर कर सकेगा, बशर्ते कि वह महासंघ के हित में ऐसा करना आवश्यक समझे ।

महासंघ में प्रतिनियुक्ति पर होने पर वेतन निर्धारण :

जब ऐसा कोई व्यक्ति, जो राज्य शासन या भारत सरकार या किसी संगठन की सेवा में हो, महासंघ में किसी पद पर प्रतिनियुक्ति किया जाये, तब वह ऐसा वेतन और भत्ते आहरित करेगा जो उसकी प्रतिनियुक्ति निवंधनों में दिये गये हों ।

विभागीय कार्यवाही या न्यायिक कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात या निलम्बन के पश्चात बहाल किए जाने पर कर्मचारी का वेतन :

(1) जब किसी ऐसे कर्मचारी को जिसे नौकरी से हटाया गया हो, सेवानिवृत्ति किया गया हो या निलंबित किया गया हो, किसी जांच या अपील पुनर्विचार या किसी अन्य मिलते जुलते कारणवशः दिए गये आदेश के परिणाम रवरूप बहाल किया जाता है, तब बहाली का आदेश देने के लिए सक्षम प्राधिकारी निलंबन की अवधि सहित अनुपस्थिति की अवधि के ऐसे वेतन और भत्तों के संबंध में जो उसे ऐसी अवधि के लिए देय होंगे तथा इस संबंध में कि, उक्त अवधि की गणना अन्य प्रयोजनों के लिए कर्तव्य अवधि के रूप में की जाएगी या नहीं, निम्नलिखित रीति से निर्णय लेगा :

अध्यक्ष

छ.ग. राज्य लहकारी दुष्ट महासंघ मर्यादा
श्रायपुर (छ.ग.)

(क) जब कोई कर्मचारी पूर्णतः दोषमुक्त पाया जाये तब उसे उस पूर्ण वेतन और भत्तों का जिनका वह ऐसी सेवा निवृत्ति, नौकरी से हटाये जाने या निलंबित किये जाने के कारण ऐसी अवधि में नौकरी से हटाये जाने, सेवा निवृत्त या निलंबित न किये जाने की स्थिति में हकदार होता, इस शर्त पर भुगतान किया जायेगा कि उसे भुगतान की गई रकम में से निर्वाह भत्ते की भुगतान की गई रकम वेतन निर्धारण के पश्चात काट ली जायेगी। निलंबन सहित अनुपस्थिति की सम्पूर्ण अवधि, सभी प्रयोजनों के लिए कर्तव्य अवधि मानी जायेगी।

(ख) जब किसी कर्मचारी को पूर्णतः दोषमुक्त न पाया गया हो, अर्थात् विभागीय जॉच में उसे कोई दण्ड दिया गया हो, तब नियुक्ति प्राधिकारी वेतन और भत्तों के उस अनुपात के संबंध में निर्णय लेगा, जिसकी उसे कोई दण्ड न दिये जाने की स्थिति में उपर्युक्त उपविनियम (क) के अधीन उसे अनुमत वेतन और भत्तों में से कटौती की जायेगी किन्तु इसकी कटौती उसे पहले भुगतान किये गये निर्वाह भत्ते से कम नहीं होगी। निलंबन सहित अनुपस्थित की अवधि केवल ऐसे प्रयोजनों के लिये ही कर्तव्य अवधि मानी जायेगी, जिनका आदेश में विशेष रूप से उल्लेख किया गया हो। जब इस उपविनियम के अधीन वेतन और भत्तों का किसी अनुपात में भुगतान किया जाये तब कर्मचारी को निर्वाह भत्ते की पहले भुगतान की गई रकम की कटौती इस संबंध में भुगतान की जाने वाली रकम में से काट ली जायेगी।

(2) जब किसी कर्मचारी का सेवा से हटाया जाना या सेवा निवृत्ति न्यायालय द्वारा अपास्त की गई हो और आगे कोई विभागीय कार्यवाही किये बिना ऐसे कर्मचारी को बहाल कर दिया जाता है, वहां निलंबन अवधि से अनुपस्थिति की अवधि वेतन और भत्तों की मंजूरी सहित सभी प्रयोजनों के लिये कर्तव्य अवधि मानी जायेगी। यदि उसे निर्वाह भत्ते का भुगतान किया गया हो, तो उसकी रकम इस उपविनियम के अधीन उसे भुगतान की जाने वाली रकम में से काट ली जायेगी।

(3) जब किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही की गई हो, और उसके परिणामस्वरूप उसे नौकरी से हटाने या सेवा निवृत्त करने के आदेश दिये जा चुके हों, किन्तु ऐसा आदेश न्यायालय द्वारा अपास्त कर दिया जाये, तब निलंबन सहित, यदि कोई हो, नौकरी से इस प्रकार हटाये जाने या सेवा निवृत्त किये जाने के कारण होने वाली अनुपस्थिति की अवधि विभागीय कार्यवाही पूरी होने के बाद, यथा स्थिति, उपविनियम (1) के खण्ड (क) या (ख) में निर्धारित रीति से विनियमित की जायेगी।

डॉ. राघुनाथ साहकारी दुर्गम सहासंघ मर्यादा
सचिव (डॉ.)

अध्याय—पांच

भत्ते

44— मंहगाई भत्ता :

कर्मचारियों को समय—समय पर राज्य शासन के कर्मचारियों अनुमत दरों पर तथा ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर जो तत्साथानी उपलब्धियों के लिए राज्य शासन के कर्मचारियों पर लागू हो, मंहगाई भत्ता स्वीकृत किया जायेगा।

45— क्षतिपूर्ति भत्ता :

कर्मचारी को समय—समय पर राज्य शासन के कर्मचारियों को अनुमत दर पर नगर भत्ता स्वीकृत किया जायेगा।

46— वाहन भत्ता :

कर्मचारी को उनके मुख्यालय स्थित कार्यालय में कार्य पर उपस्थित होने के लिये वाहन भत्ता उसी तरीके से स्वीकृत किया जावेगा जैसा कि राज्य शासन के कर्मचारियों को अनुमत है।

47— वाहन (गाड़ी) भत्ता :

(1) पंजीयक के आदेशानुसार देय होगा।

(2) छुट्टी की अवधि के दौरान वाहन भत्ता स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

48— चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति : छत्तीसगढ़ शासन के चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियम प्रभावी होंगे।

(1) कर्मचारी को उनके द्वारा किये गये वास्तविक चिकित्सा उपचार व्यय तथा परामर्श पर किया गया व्यय, चिकित्सालयीन व्यय, दवाओं का मूल्य, शल्य चिकित्सा व्यय, वार्ड-किराया, रोग चिकित्सा परीक्षण व्यय जो उनका स्वयं का हो या उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों का हो, की प्रतिपूर्ति पंजीबद्ध या खाजगी चिकित्सा व्यवसायी जिन्हें प्रबन्ध संचालक के द्वारा इस कार्य के लिए प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी घोषित किया गया हो, के माध्यम से की जावेगी। ऐसे प्रकरण में जहाँ प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी यह प्रमाणित करता है कि राज्य में विशेषीकृत उपचार के उपलब्ध न होने के कारण यह आवश्यक है कि छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा से बाहर के विशेषज्ञ से चिकित्सा कराई जाये, तब कर्मचारी को स्वयं उनका या उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों को छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के विशेषज्ञ द्वारा की गई चिकित्सा के वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति की जायेगी। इलाज पर हुए वास्तविक व्यय में दवाईयों का मूल्य, शल्य चिकित्सा, सर्जीकल आपरेशन का व्यय, वार्ड का आधा किराया, पैथालाजीकल परीक्षणों का व्यय तथा परामर्श के लिए चिकित्सक को दी गई फीस तथा यात्रा नियम के अनुसार यात्रा व्यय शामिल है।

प्रबन्ध संकालक
छ.ग. राज्य लह. दुर्घ. महाराजा नगर
चरला, जिला-दुर्घ (छ.ग.)

उपर्युक्त
छ.ग. राज्य लह. काली दुर्घ. महाराजा नगर
परामर्श (छ.ग.)

(2) सक्षम प्राधिकारी चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति सम्बन्धी देयक तथा उसके साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों को प्रस्तुत करने संबंधी प्रक्रिया के सम्बन्ध में व्याख्याता, सहायक प्रोफेसर्स/रीडर्स आदि जो मेडिकल कालेजों में हैं तथा निजी व्यवसाय करने वाले (एम०बी०बी०एस०/एम०डी०/एम०एस०) जिन्हें प्रबन्ध संचालक द्वारा इस कार्य के लिये प्राधिकृत किया है, समकक्ष योग्यता रखने वाले आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक/ यूनानी औषधि प्रणाली के डाक्टरों को भी प्रबन्ध संचालक द्वारा 'प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी' घोषित किया जा सकता है।

49— मकान भाड़ा भत्ता :

महासंघ के विभिन्न स्थानों पर पदस्थ कर्मचारियों/अधिकारियों को पंजीयक के आदेश के अनुसार मकान भाड़ा भत्ता की पात्रता होगी।

50— धुलाई भत्ता :

ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, वाहन चालकों को जिन्हें महासंघ द्वारा वर्दियां दी गई हों, रु. 100/- मासिक की दर से धुलाई भत्ता का भुगतान किया जायेगा।

51— कार्यरत रहते हुए कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार के सदस्यों को अनुग्रह भत्ता :

कार्यरत रहते हुये किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार के सदस्यों को या आश्रितों को अनुग्रह अनुदान रु. 35,000/- की पात्रता होगी। परन्तु यह ऐसे कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को देय नहीं होगा, जिसने अपनी मृत्यु की तारीख को महासंघ में एक वर्ष से कम की सेवा की हो।

52— (अ) बोनस :

महासंघ के पात्र कर्मचारियों को बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के तथा बोनस भुगतान (संशोधित अधिनियम 2007) के प्रावधानों के अन्तर्गत अधिलाभाष का भुगतान किया जावेगा।

(ब) महासंघ के पात्र कर्मचारियों को "पेमेन्ट आफ ग्रेच्युटी एक्ट" के अनुसार ग्रेच्युटी का भुगतान किया जावेगा।

प्रबन्ध संचालक
महासंघ भाड़ा दुर्योग ग्राहक समिति
दरबारी फ्रिला-कुर्स (ए.ए.)

डॉ. डॉ. राजेश महानार्थी दुर्योग समिति
(प्रभागी)

अध्याय-छह
कर्मचारियों को अग्रिम


53— व्याज रहित अग्रिम :

त्यौहार अग्रिम :

छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के अनुसार अनाज/त्यौहार अग्रिम की पात्रता अनुसार तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को निम्नलिखित त्यौहारों में से एक के लिये एक कलैण्डर वर्ष में केवल एक बार त्यौहार अग्रिम स्वीकृत किया जा सकेगा —

- (क) गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस
- (ख) रक्षा बंधन, दशहरा, दीपावली, होली,
- (ग) ईद-उल-जुहा, ईद-उल-फितर
- (घ) किसानस

अग्रिम की अधिकतम राशि रु. 8000/- अथवा एक माह का वेतन इनमें से जो भी कम होगी, जो 10 समान मासिक किश्तों में वसूल की जा सकेगी और ऐसी वसूली, अग्रिम स्वीकृत किये जाने के अगले माह से चालू होगी। कर्मचारी का अग्रिम तब तक स्वीकृत नहीं होगा जब तक कि उसके द्वारा पूर्व में लिया गया अग्रिम पूरा भुगतान न कर दिया गया हो।



दौरा अग्रिम :

नियुक्ति या नियंत्रण प्राधिकारी या इस संबंध में सशक्त ऐसे प्राधिकारी द्वारा जो यात्रा भत्ता देयक स्वीकृत करने हेतु सक्षम हो, कर्मचारी को दौरे के समय यात्रा खर्च की पूर्ति के लिए अग्रिम दिया जा सकेगा जिसका समायोजन यात्रा भत्ता बिलों में किया जायेगा। ऐसे अग्रिम की राशि, यात्रा भत्ते की संभाव्य राशि, जो कर्मचारियों को ऐसे दौरे के लिए स्वीकृत है, के बराबर होगी। जब तक पिछले अग्रिम का पूर्णतः समायोजन नहीं हो जाता, तब तक अगला अग्रिम स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

स्थानान्तरण पर अग्रिम :

(1) जब किसी कर्मचारी का महासंघ के हित में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण किया जाता है तो उसे एक माह के वेतन के बराबर अग्रिम तथा स्थानान्तरण पर स्वीकार्य यात्रा भत्ते की संभाव्य राशि दी जा सकेगी। वेतन की राशि उसके द्वारा आहरित अंतिम वेतन होगा। इस विनियम के अधीन अग्रिम की राशि निम्नलिखित तरीके से वसूली योग्य होगी :—

- (क) एक माह के वेतन के बराबर अग्रिम की तीन समान मासिक किश्तों में वसूल की जायेगी।
- (ख) संभाव्य यात्रा भत्ते बराबर अग्रिम की राशि, कर्मचारी द्वारा अपने स्थानान्तरण के संबंध में प्रस्तुत किये गये यात्रा भत्ता बिल में समायोजित की जानी चाहिए।

(2) यदि यात्रा भत्ते में सम्पूर्ण राशि समायोजित नहीं होती है तो अवशिष्ट राशि उसके वेतन बिल में से एक किश्त में काट ली जायेगी। यदि कर्मचारी उसके स्थानान्तरण के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन माह की अवधि तक कोई स्थानान्तरण यात्रा देयक प्रस्तुत नहीं करता है तो अग्रिम की सम्पूर्ण राशि उसके वेतन बिल से दो समान किश्तों में वसूल कर जी जायेगी।

अध्यक्ष
ए.ग. राज्य सहकारी दुध महासंघ मर्यादा
ज्ञायगुर (ए.ग.)

लाल
च.ग. राज्य लहू नियंत्रण बोर्ड
च.ला. लिंगम-दुर्वा (ए.ग.)

विशेष या विविध अग्रिम :

प्रबन्ध संचालक किसी भी कर्मचारी को विशेष या विविध अग्रिम स्वीकृत कर सकेगा बशर्ते कि उसका इस बात से समाधान हो जाये कि कर्मचारी की अग्नि, बाढ़, चोरी, बीमारी स्वयं, पत्नि या बच्चों को दीर्घ कालीन या किसी सामाजिक उत्सव जैसे शादी, जनेउ, मुंडन, मृतक संस्कार वार्ताविक विपत्ति के फलस्वरूप ऐसी वित्तीय सहायता की आवश्यकता है तो अधिकतम राशि विवेकानुसार स्वीकृत की जा सकेगी :-

(अ) अग्नि : रु. 10,000/- या तीन माह के वेतन के बराबर राशि इसमें से जो कम हो जिसे 10 समान किश्तों में छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार मय ब्याज के वसूल किया जावेगा ।

(ब) बाढ़ : रु. 10,000/- या तीन माह के वेतन के बराबर राशि इसमें से जो कम हो जिसे 10 समान किश्तों में छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार मय ब्याज के वसूल किया जावेगा ।


(स) चोरी (पुलिस रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत करने पर) : रु. 10,000/- या तीन माह के वेतन के बराबर राशि इसमें से जो कम हो जिसे 10 समान किश्तों में छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार मय ब्याज के वसूल किया जावेगा ।

(द) सामाजिक उत्सव : जैसे शादी, जनेउ, मुंडन, मृतक संस्कार आदि : रु. 10,000/- केवल जिसे दस किश्तों में छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार मय ब्याज के वसूल किया जावेगा ।

(घ) स्वयं, पत्नि, बच्चों को दीर्घकालीन बीमारी आदि : प्रकरण के गुण-दोष के अनुसार एवं प्रबन्ध संचालक के स्वविवेक अनुसार अग्रिम स्वीकृत कर सकेगा ।


मृतक संस्कार आदि के लिए अग्रिम स्वीकृत करने का अधिकारी
छ.ग. राजेन्द्र सहकारी दुर्घट महासंघ मर्यादा
भारत (छ.ग.)


अधिकारी
छ.ग. राजेन्द्र सहकारी दुर्घट महासंघ मर्यादा
भारत (छ.ग.)


अधिकारी
छ.ग. राजेन्द्र सहकारी दुर्घट महासंघ मर्यादा
भारत (छ.ग.)

अध्याय—सात

अवकाश

57— आकर्षिक अवकाश :

दुग्ध महासंघ के पूर्ण सेवा कालिक कर्मियों पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं अवकाश नियम 2010 प्रभावी होंगे। सक्षम प्राधिकारी द्वारा कर्मचारी को एक कलेण्डर वर्ष में 13 दिनों का आकर्षिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। यदि कोई कर्मचारी कलेण्डर वर्ष के मध्य में अपना कर्तव्य ग्रहण करता है तो आकर्षिक अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी उतने आकर्षिक अवकाश स्वीकृत कर सकेगा जो उस अवधि के अनुपात में उसे देय हों। सक्षम प्राधिकारी अपने विवेक से उसे दिनों की संख्या के अनुपात से अधिक दिनों का आकर्षिक अवकाश स्वीकृत कर सकेगा जो स्वीकार्य अधिकतम अवधि के अध्याधीन होंगे, बशर्ते कि उसके विचार में अनुपाती अवधि से ज्यादा दिनों के आकर्षिक अवकाश की मांग औचित्यपूर्ण एवं वास्तविक हो।

58— विशेष आकर्षिक अवकाश :

विशेष आकर्षिक अवकाश उस कर्मचारी को स्वीकृत किया जावेगा, जो अपनी निजी हैसियत में ऐसे किसी सेमीनार में भाग लेना हो जो महासंघ के कारोबार से संबंधित हो। इस प्रयोजन के लिए आकर्षिक अवकाश की अवधि ऐसे सेमीनार में भाग लेने के लिए आवश्यक दिनों के बराबर होगी जिसमें यात्रा की अवधि भी शामिल होगी। कर्मचारी को विशेष आकर्षिक अवकाश पाने का कोई अधिकार नहीं होगा और यह सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर निर्भर होगा। विशेष आकर्षिक अवकाश के दोरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश की गणना विशेष आकर्षिक अवकाश के प्रयोजनों के लिए नहीं की जायेगी।

(अ) परिवार नियोजन के अधीन नसबंदी आपरेशन (पुरुष या महिला नसबन्दी) कराने के लिए विशेष आकर्षिक अवकाश छत्तीसगढ़ शासन के नियम अनुसार स्वीकृत किया जा सकेगा एवं ऐसे अवकाश की अवधि में वृद्धि की जा सकेगी, बशर्ते कि चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि आपरेशन में जटिलता उत्पन्न हो गई और परिणाम रूवरूप अपने कर्तव्य पर उपस्थित होने के लिए कर्मचारी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हुआ है, अवकाश में ऐसी वृद्धि छ: दिनों से अधिक की नहीं होगी।

(ब) ऐसे पुरुष कर्मचारियों को 7 दिनों का विशेष आकर्षिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा जिसकी पत्ति का परिवार नियोजन के अधीन (टी०टी०आपरेशन) की गई हो और चिकित्सा प्राधिकारी को इस आशय का चिकित्सा प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया गया हो।

59— आकर्षिक अवकाश, किसी अन्य अवकाश के साथ जोड़ा नहीं जायेगा।

आकर्षिक अवकाश, किसी भी प्रकार के अवकाश के साथ जोड़ा नहीं जायेगा। यदि कर्मचारी आकर्षिक अवकाश के बाद अपना कर्तव्य ग्रहण नहीं करता है तथा कोई अन्य अवकाश चाहता है, तो उसके द्वारा लिए गए किसी अन्य अवकाश के सिलसिले में उसके द्वारा लिए गए आकर्षिक अवकाश की अवधि और उसके द्वारा पहले ही लिए जा चुके आकर्षिक अवकाश की अवधि उसके छुट्टी लेखे में दर्ज की जायेगी।

छत्तीसगढ़ शासनीय सुधू बहाराराम भट्ट
मुख्यमंत्री

61— सार्वजनिक अवकाश आगे—पीछे जोड़े जा सकते हैं।

कर्मचारी द्वारा सार्वजनिक अवकाश, आकस्मिक अवकाश के आगे पीछे जोड़े जा सकते हैं और आकस्मिक अवकाश की अवधि में पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाशों की गणना आकस्मिक अवकाश के भाग के रूप में नहीं की जायेगी।

62— स्वीकार किये जाने वाले आकस्मिक अवकाश की अधिकतम सीमा :

कोई भी कर्मचारी एक बार में आठ दिनों से अधिक आकस्मिक अवकाश नहीं ले सकता है। सक्षम प्राधिकारी वास्तविक स्वरूप का कठिनाईयों के मामले में आठ दिन का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कर सकेगा किन्तु वे विनियम 61 के अधीन स्वीकार्य अधिकतम सीमा से अधिक दिनों में नहीं होंगे।

63— आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति हेतु आवेदन :

अनपेक्षित परिस्थितियों को छोड़ कर्मचारी, आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कराने के बाद अवकाश पर जायेगा। अनपेक्षित परिस्थितियों में उसे आकस्मिक अवकाश पर जाने के समय आकस्मिक अवकाश हेतु आवेदन करना चाहिए और यदि उसे आवेदित आकस्मिक अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाता है तो उसे तत्काल अपने कर्तव्य पर जाना होगा। मंजूर प्राधिकारी के आदेशों का पालन न करने पर इसे कदाचरण माना जायेगा और उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।

64— अर्जित अवकाश :

(1) कर्मचारी को स्वीकार्य अर्जित अवकाश प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में तीस दिनों का होगा जो निम्नलिखित तरीके से उसके छुट्टी लेखे में आकलित किया जायेगा।

(एक) प्रत्येक कर्मचारी के छुट्टी लेखे में प्रत्येक कलेण्डर वर्ष की अर्ध वार्षिकी के प्रारंभ होने पर अर्जित अवकाश जमा किया जायेगा और यह समान दर पर 15 दिनों का होगा। यह अवधि प्रत्येक कलेण्डर वर्ष एक जनवरी तथा एक जुलाई होगी और उसके छुट्टी लेखे में 15 दिनों का अर्जित अवकाश अग्रिम रूप में जमा कर दिया जायेगा।

(दो) खण्ड (एक) के अधीन आकलित अवकाश उस साधारण अवकाश की अवधि के 1/10 तक कम किया जायेगा जो पिछली अर्ध-वार्षिकी के दौरान लिया गया था और यह अधिकतम 15 दिनों का होगा।

(2) अधिकतम अर्जित अवकाश, जो कर्मचारी के खाते में जमा होगा, 300 दिनों का होगा।

(3) अवकाश स्वीकृत करने के सामान्य सिद्धान्तों के अध्याधीन कर्मचारी को एक बार में 120 दिनों का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।

65— सेवा निवृत्त पर महासंघ के कर्मचारियों को उनके खाते में बचे हुए अर्जित अवकाश के नगदीकरण का लाभ छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारियों के समान मिलेगा।

अध्यक्ष
छ.ग. राज्य सहकारी दुर्घट महासंघ मर्यादा
ग्रामपुर (छ.ग.)

66— अर्धवैतनिक अवकाश :

स्थायी कर्मचारियों को चिकित्सा प्रमाण पत्र पर या निजी कार्य से अर्ध वैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। उसे एक वर्ष पूर्ण वर्ष में 20 दिनों का अर्ध वैतनिक अवकाश पाने का हक होगा। अर्धवैतनिक अवकाश केवल उसी स्थिति में स्वीकृत किया जायेगा, जब सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि अर्धवैतनिक अवकाश के समाप्त होने पर कर्मचारी अपने कर्तव्य पर लौट जायेगा। सेवा निवृत्ति पूर्व भी अर्धवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।

67— लघुकृत (कमुडेट) अवकाश :

स्थायी कर्मचारी को देय अर्धवैतनिक अवकाश का आधा लघुकृत अवकाश निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जा सकेगा :

(एक) लघुकृत अवकाश प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी के चिकित्सा प्रमाण पत्र के अधीन चिकित्सा आधारों पर स्वीकृत किया जा सकता है।

(दो) कोई भी लघुकृत अवकाश तब तक स्वीकृत नहीं किया जायेगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण न हो कि कर्मचारी उसकी समाप्ति पर कर्तव्य पर लौट आयेगा और सेवा निवृत्ति पूर्व भी यह अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

68— अर्जन शोध्य अवकाश :

सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश के मामले को छोड़ अर्जन शोध्य अवकाश स्थायी रूप से नियोजन कर्मचारी को उसकी सम्पूर्ण सेवा अवधि के दौरान 360 दिनों से अनाधिक की अवधि के लिये स्वीकृत किया जा सकेगा। ऐसा अवकाश एक समय में 90 दिन तक सीमित होगा बशर्ते कि वह चिकित्सा प्रमाण पत्र के बिना लिया गया हो। ऐसा अवकाश अर्धवैतनिक अवकाश के रूप में विकसित किया जायेगा, जिसे पदाधिकारी शोध्य अवकाश केवल, उस स्थिति में स्वीकृत किया जा सकेगा, जबकि उसके खाते में न तो अर्जित अवकाश हो और न ही अर्धवैतनिक अवकाश हो। दूसरे शब्दों में अर्जन शोध्य अवकाश अर्धवैतनिक अवकाश होता है जो बाद में उसे देय होता है, किन्तु बाध्य परिस्थितियों के कारण यह पहले स्वीकृत किया जाता है।

एन्ट्रु अर्जन शोध्य अवकाश सक्षम प्राधिकारी के विशेष पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन उक्त कर्मचारी को स्वीकृत किया जा सकेगा जो स्थायी न हो तथा जो क्षय रोग, कुष्ट रोग, कॉंसर या मानसिक रोगी या किसी गंभीर स्वरूप की बीमारी से पीड़ित हो।

(क) यह कि कर्मचारी ने कम से कम एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो,

(ख) यह कि राज्य शासन के चिकित्सा अधिकारी के, जिससे कर्मचारी इलाज करा रहा हो, चिकित्सा प्रमाण पत्र पर ऐसे अवकाश के लिये नियेदन किया गया हो। अर्धवैतनिक अवकाश की स्वीकृति की अन्य शर्तें भी इस मामले में लागू होंगी।

अध्यक्षए.म. राज्य सहकारी दुष्प्रभ महासंघ मर्यादा
ग्राम्य (ए.म.)

69— असाधारण अवकाश :

(1) कर्मचारी को विशेष परिस्थितियों में असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा ।

(क) जब उसे कोई अन्य अवकाश उसे देय न हो या अनुमत न हो ।

(ख) जब कोई अन्य अवकाश उसे देय हो तथा अनुमत हो और कर्मचारी ने यह जानते हुये कि अन्य प्रकार का अवकाश उसे देय है, असाधारण अवकाश के लिये लिखित में आवेदन किया हो ।

या

(ग) जब अवकाश की समुचित स्वीकृति के बिना अनुपस्थिति की अवधि सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमित की गई हो ।

(2) असाधारण अवकाश की सीमा या स्वीकृति चिकित्सा प्रमाण पत्र पर छह माह तक और विनियम 70 में दी गई बीमारी के चिकित्सा प्रमाण पत्र 18 माह तक सीमित होगी, परन्तु स्थायी कर्मचारी को असाधारण अवकाश इस नियम में विनिर्दिष्ट अधिकतम अवधि से अधिक स्वीकृत किया जा सकेगा । किन्तु किसी भी समले में यह अवधि पांच वर्षों से अधिक नहीं होगी ।

70— प्रसूति अवकाश :


महिला कर्मचारी को प्रसूति की तारीख से 145 दिनों का प्रसूति अवकाश पूरे वेतन तथा भत्तों साहित स्वीकृत किया जा सकेगा, गर्भस्त्रव या गर्भपात के मामले में अवकाश की अवधि उपयुक्त चिकित्सा अधिकारी द्वारा अनुशंसित अवधि तक सीमित होगी जो ऐसा होने की तारीख से अधिकतम 45 दिनों की होगी । प्रसूति अवकाश के बाद अन्य अवकाश जोड़ा जा सकता है, बशर्ते कि उसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा समर्पित किया गया हो । महिला कर्मचारी को प्रसूति अवकाश के पहले कोई अन्य अवकाश जोड़ने का हक नहीं होगा, जिसके लिये चिकित्सा प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी ।

71— अध्ययन अवकाश :

दुग्ध महासंघ के कर्मचारियों को अध्ययन अवकाश देय नहीं होगा ।

72— (1) निवृत्ति पूर्व अवकाश :

कर्मचारी, निवृत्ति पूर्व अवकाश के लिये उसके खाते में उसे देय अर्जित अवकाश की अधिकतम सीमा जो स्वीकृत की जा सकती है, 300 दिन होगी जो निवृत्ति पूर्व अवकाश पर जाने की तारीख को उसके नाम जमा बकाया अवकाश के अधीन होगा । यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निवृत्ति पूर्व अवकाश अस्वीकृत कर दिया जाता है तो उसे ऐसे अवकाश की अवधि के बराबर वेतन तथा भत्ते पाने का हक होगा जो अधिकतक 120 दिनों का होगा । अस्वीकृत अवकाश के लिये वेतन का भुगतान उसकी वास्तविक सेवा निवृत्ति की तारीख को प्रोद्भूत होगा ।


प्रबंध सचिव
छ.ग. सम्म. सह. दुर्घट यात्रा संघ एवं
उरला, जिला-दुर्घट (छ.ग.)


अध्यक्ष
ए.ग. सम्म. सह. दुर्घट यात्रा संघ
प्रभु (प्रभु)

(2) महासंघ के कर्मचारियों को राज्य शासन के वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1149—सी।—आर—571—चार—आर—1 दिनांक 10 मई 1960 के अनुसार “टरमिनल अवकाश” (टरमिनल लीव) स्वीकृत किया जायेगा ।

73— कर्तव्य पर वापस बुलाना :

यदि कर्मचारी को अर्जित अवकाश या अर्ध वैतनिक अवकाश के समाप्त होने के पूर्व कर्तव्य पर वापस बुलाया जाता है तो अवकाश के स्थान से मुख्यालय तक की यात्रा पर हुये वास्तविक खर्च का भुगतान उस श्रेणी के हिसाब से किया जायेगा, जिस श्रेणी में दौरा करने का वह हकदार है । उपभोग किया गया अवकाश उस लेखे में पुनः दर्ज कर दिया जायेगा ।

74— अवकाश वेतन :

कर्मचारी अवकाश की अवधि के दौरान नीचे दिये अनुसार अवकाश वेतन आहरित करेगा :

(एक) यदि कर्मचारी को अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया हो तो उसे वही वेतन मिलेगा जो उसे अवकाश पर रवाना होने के तत्काल पहले दिन मिल रहा था ।

(दो) यदि कर्मचारी को अर्ध वैतनिक अवकाश स्वीकृत किया गया हो तो उसे अर्ध वैतनिक अवकाश पर रवाना होने के पूर्व उसके द्वारा आहरित वेतन की आधी दर पर वेतन मिलेगा ।

(तीन) लघुकृत अवकाश की अवधि के लिये वेतन तथा भत्ते उसे स्वीकार्य इस वेतन तथा भत्तों के बराबर होंगे जो उसे यदि वह लघुकृत अवकाश के स्थान पर, अर्जित अवकाश पर गया होता, तो मिलते ।

(चार) अवकाश वेतन की गणना करने के लिये शब्द वेतन में विशेष वेतन वैयक्तिक वेतन तथा प्रतिनियुक्ति वेतन होगा । अवकाश के दौरान भत्ता देना, ऐसे अवकाश की स्वीकृति के निबन्धनों तथा शर्तों के अनुसार विनियमित होगा ।

75— सार्वजनिक अवकाश छुट्टियों के पहले / बाद में अवकाश जोड़ना

ऐसी छुट्टियां अवकाश के पहले तथा बाद में स्वतः जोड़ने की अनुमति रहेगी ।

76— अवकाश की स्वीकृति को शासित करने वाले सामान्य सिद्धान्त :

किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत करने के लिए निम्नलिखित सामान्य सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं—

(1) अवकाश के लिए अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है । सक्षम अधिकारी के पास यह विवेक सुरक्षित है कि वह चाहे जो आवेदित अवकाश को स्वीकृत करे या रद्द करे ।

(2) किसी भी कर्मचारी को ऐसे अवकाश की स्वीकृति को शासित करने वाले विनियमों में विहित सीमा से अधिक अवधि का कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा । किसी कर्मचारी के मामले में किन्हीं भी परिस्थितियों में किसी भी प्रकार के अवकाश के साथ जोड़ते हुए इस अवकाश की कुल अवधि पांच वर्षों से अधिक नहीं होगी ।

(3) कर्मचारी को अवकाश स्वीकृत करने के लिए पर्याप्त समय पूर्व आवेदन करना होगा जब तक कि अवकाश पर रवाना होने की आवश्यकता अनपेक्षित न हो । सामान्यतः अर्जित अवकाश या अर्धवैतनिक अवकाश, जिसके लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र जरूरी नहीं है, के लिए आवेदन पूर्वानुमति अवकाश की तारीख से एक माह पहले किया जाना चाहिए । सक्षम प्राधिकारी हुए विलम्ब को माफ कर सकेगा, बशर्ते कि उसका इस बात से समाधान हो जाये कि दिया गया कारण वास्तविक है ।


दूसरा अवकाश स्वीकृति के लिए आवेदन करना होगा जब तक कि अवकाश पर रवाना होने की आवश्यकता अनपेक्षित न हो । सामान्यतः अर्जित अवकाश या अर्धवैतनिक अवकाश, जिसके लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र जरूरी नहीं है, के लिए आवेदन पूर्वानुमति अवकाश की तारीख से एक माह पहले किया जाना चाहिए । सक्षम प्राधिकारी हुए विलम्ब को माफ कर सकेगा, बशर्ते कि उसका इस बात से समाधान हो जाये कि दिया गया कारण वास्तविक है ।


दूसरा अवकाश स्वीकृति के लिए आवेदन करना होगा जब तक कि अवकाश पर रवाना होने की आवश्यकता अनपेक्षित न हो । सामान्यतः अर्जित अवकाश या अर्धवैतनिक अवकाश, जिसके लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र जरूरी नहीं है, के लिए आवेदन पूर्वानुमति अवकाश की तारीख से एक माह पहले किया जाना चाहिए । सक्षम प्राधिकारी हुए विलम्ब को माफ कर सकेगा, बशर्ते कि उसका इस बात से समाधान हो जाये कि दिया गया कारण वास्तविक है ।


दूसरा अवकाश स्वीकृति के लिए आवेदन करना होगा जब तक कि अवकाश पर रवाना होने की आवश्यकता अनपेक्षित न हो । सामान्यतः अर्जित अवकाश या अर्धवैतनिक अवकाश, जिसके लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र जरूरी नहीं है, के लिए आवेदन पूर्वानुमति अवकाश की तारीख से एक माह पहले किया जाना चाहिए । सक्षम प्राधिकारी हुए विलम्ब को माफ कर सकेगा, बशर्ते कि उसका इस बात से समाधान हो जाये कि दिया गया कारण वास्तविक है ।

अध्याय—आठ
कार्य ग्रहण अवधि

77— कार्य ग्रहण अवधि की स्वीकार्यता

जब किसी कर्मचारी को किसी एक पद से दूसरे पद पर या उसी हैसियत से या पदोन्नति पर या निम्न पद पर पदावनति कर या किसी अन्य पद पर नियुक्ति पर स्थानान्तरित किया गया हो तो उसे अपने नये पद का कार्यभार ग्रहण करने के लिए निम्नलिखित तारीके से कार्य ग्रहण अवधि पाने का हक होगा ।

(एक) जब किसी अन्य पद पर नियुक्त या स्थानान्तरण के फलस्वरूप मुख्यालय न छोड़ना पड़े — एक दिन

(दो) तब किसी अन्य पद पर नियुक्ति या स्थानान्तरण के फलस्वरूप मुख्यालय छोड़ना पड़े :—

पुराने मुख्यालय और नये मुख्यालय के बीच की दूरी	अनुज्ञेय पद ग्रहणकाल	अनुज्ञेय पदग्रहण काल जहां स्थानान्तरण में 200 कि.मी.से अधिक की सड़क द्वारा लगातार यात्रा अनिवार्य हो
1000 कि.मी. या इससे कम	10 दिन	12 दिन
1000 कि.मी. से अधिक	12 दिन	15 दिन
2000 कि.मी. से अधिक	15 दिन	15 दिन

(तीन) पद ग्रहण काल में उपनियम (दो) में उपदर्शित की गई सीमाओं से परे अधिक से अधिक 30 दिन तक की वृद्धि प्रबन्ध संचालक के द्वारा मंजूर और 30 दिन से परे वृद्धि मंडल द्वारा की जा सकेगी, जिसके लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त यह होगा कि पद ग्रहण काल की कुल कालावधि तैयारी के लिए लगभग आठ दिन तथा उसमें यात्रा में लगने वाला युक्तियुक्त समय और वे छुटियां यदि कोई हो, जो वृद्धि किये गये पद ग्रहण काल के ठीक बाद पड़ती है, जोड़कर आने वाली कालावधि के लगभग बराबर होनी चाहिए । यात्रा के लिए समय की गणना करते समय वह समय छोड़ा जा सकता है जो प्राकृतिक विपत्तियों या हड्डताल के कारण परिवहन व्यवस्था में आई बाधाओं के कारण अपरिहार्यतः व्यतीत हुआ है ।

(2) कार्य ग्रहण अवधि में पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाशों की गणना कार्य ग्रहण अवधि में नहीं की जायेगी और वे कार्य ग्रहण अवधि के अलावा अनुमत होंगे ।

(3) कार्य ग्रहण अवधि यदि शेष रहती है तो उस अवधि की शासकीय नियमानुसार अर्जित अवकाश में जोड़ा जा सकेगा ।

अध्यक्ष

छ.ग. राज्य सहकारी दुर्घट यहासंघ मर्यादा
शायकुर (छ.ग.)


78— कार्य ग्रहण अवधि को कर्तव्य की अवधि माना जायेगा ।


कर्मचारी को स्वीकृत कार्य ग्रहण अवधि की सभी प्रयोजनों के लिए कर्तव्य की अवधि के रूप में माना जायेगा ।

79— कार्य ग्रहण अवधि के दौरान वेतन :

कर्मचारी को कार्य ग्रहण अवधि के दौरान वही वेतन तथा भत्ते मिलेंगे जो उसे कार्यग्रहण काल के तत्काल पूर्व के दिन को मिल रहे थे किन्तु उसे मिलने वाला नगर भत्ता, वाहन भत्ता, यदि कोई हो, पाने का हक नहीं होगा ।


च. स. राघवाचारी
उत्तराखण्ड (राज्य)


डॉ. बी. एन. भट्टाचार्य
मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री (राज्य.)



अध्याय—नौ

भाग (अ) सेवा पुस्तिका का अनुरक्षण

80— (1) प्रत्येक कर्मचारी के लिये एक सेवा पुस्तिका रखी जायेगी । इस पुस्तिका में कर्मचारी महासंघ के प्रत्येक कार्य की प्रगति लेखबद्ध की जानी चाहिये और इस प्रयोजन के लिये प्रत्येक वरिष्ठ प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अभिप्राणित की जायेगी । उसे उस कार्यालय प्रमुख की अधिकारी से रखा जाना चाहिये, जिससे कर्मचारी सम्बद्ध हो ।

(2) प्रथम नियुक्ति के समय कर्मचारियों के पूर्ण ब्योरे सेवा पुस्तिका में प्रथम पृष्ठ पर लिखे जाने चाहिये । प्रविष्टियों पर स्वयं कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने चाहिये, यदि कर्मचारी अशिक्षित हो तो उसके अंगूठे का निशान लिया जाना चाहिये । कार्यालय प्रमुख, यथा रिथति, कर्मचारी के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान को अभिप्राणित करेगा । प्रथम पृष्ठ पर जन्मतिथि अंकों एवं शब्दों में अंकित करते हुए कार्यालय प्रमुख द्वारा अभिप्राणित की जावेगी ।

(3) सेवा पुस्तिका में, कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रत्येक अवसर पर निम्नलिखित घटनाओं को लेखबद्ध किया जाना चाहिये :—

(एक) किसी भी पद पर प्रथम एवं पश्चातवर्ती नियुक्ति की तारीख तथा आदेश और वेतनमान आदि ।

(दो) प्रथम तथा पश्चातवर्ती नियुक्तियों का कार्यभार ग्रहण करने, पदोन्नति, पदावनति आदि की तारीख ।

(तीन) यथा रिथति, वेतनवृद्धि दी जाने, पदोन्नति, पदावनति आदि के कारण वेतन में वृद्धि या कमी की जाने की तारीख ।

(चार) आकस्मिक छुट्टी को छोड़ उपयोग की गई अन्य सभी प्रकार की छुट्टियां सेवा पुस्तिका में लेखबद्ध की जानी चाहिये ।

(पांच) उसके निलंबन तथा निलंबन प्रारंभ होने की अवधि तथा निलंबन समाप्त होने की अवधि का आदेश और पश्चातवर्ती बहाली या निलंबन के प्रतिसंहरण का आदेश ।

(4) सेवा पुस्तिका में की गई सभी प्रविष्टियां प्रशासन शाखा प्रभारी द्वारा और कार्यालय प्रमुख के मामले में उससे अगले उच्चतर अधिकारी द्वारा अभिप्राणित की जायेगी । प्रशासन शाखा प्रभारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पश्चात और अन्त में एक बार प्रविष्टियों का सत्यापन करना चाहिये और निम्नलिखित रूप (फार्म) में एक प्रमाण पत्र लेखबद्ध करना चाहिये ।

“सेवा का से (वह अभिलेख जिसे प्रमाणन किया गया हो (तारीख तक) सत्यापन किया गया ।

(5) जब कर्मचारी का एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानान्तरण किया जाता है तब उस कार्यालय प्रमुख को, जिसके अधीन वह मूलतः सम्बद्ध किया गया हो, अपने हस्ताक्षर के अन्तर्गत सेवा पुस्तिका में उस सम्पूर्ण अवधि के संबंध में, जिसके दौरान कर्मचारी उससे सम्बद्ध था, वेतन बिल तथा वेतन पत्रक के संदर्भ में सेवा के सत्यापन का परिणाम लिखना चाहिये और तत्पश्चात सेवा पुस्तिका को दूसरे कार्यालय प्रमुख को अग्रेषित करना चाहिये ।

कर्मचारी द्वारा दिलाई गयी रुक्मि
लाला लिला-हुर्म (२.३.)

कर्मचारी द्वारा दिलाई गयी रुक्मि
लाला लिला-हुर्म (२.३.)

(6) जब कोई कर्मचारी सेवा निवृत्त होता है या उसकी सेवाएं समाप्ति की जाती है तब सेवा पुस्तिका के अन्त में इस संबंध में एक प्रविष्टि की जानी चाहिये जिसमें तत्संबंधी आदेश की तारीख तथा क्रमांक और संबंधित कर्मचारी द्वारा पद का कार्यभार छोड़ने की तारीख दर्शाई जानी चाहिये ।

(7) कोई भी कर्मचारी वर्ष में एक बार अपनी सेवा पुस्तिका का निरीक्षण करने के लिये स्वतंत्र है, ताकि वह इस बात से अपना समाधान कर ले कि उसमें की गई सभी प्रविष्टियां सही हैं । यदि उसमें कोई त्रुटि हो तो वह कार्यालय प्रमुख को इसके संबंध में सूचना दे सकेगा और कार्यालय प्रमुख ऐसी प्रत्येक त्रुटि का सत्यापन करेगा और यदि यह सिद्ध हो जाये कि उसमें कोई त्रुटि हो तो उसमें तदनुसार सुधार किया जायेगा, ऐसे सुधार कर्मचारी तथा कार्यालय प्रमुख दोनों के द्वारा अभिप्रापणित किये जायेंगे ।

81-

जन्म तारीख :

सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर जन्म तारीख से संबंधित प्रविष्टि की जाती है । किसी भी कर्मचारी की जन्म तारीख उस मण्डल के उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र, जिसमें कर्मचारी ने उक्त परीक्षा उत्तीर्ण की हो, में उल्लेखित जन्म तारीख के आधार पर लेखबद्ध की जानी चाहिये । उस स्थिति में जब कि कर्मचारी ने उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण न की हो, शाला छोड़ने के प्रमाण-पत्र में अभिलिखित जन्म तारीख दर्ज की जानी चाहिये । यदि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के मामले में ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध न हो, तो नगर पालिका अभिलेख या प्राधिकृत विकित्सा अधिकारी का प्रमाण-पत्र तारीख का आधार होना चाहिये । सेवा पुस्तिका में एक बार लेखबद्ध कर दी गई जन्म तारीख में बाद में या ऐसे किसी भी आधार पर तब तक सुधार नहीं किया जा सकेगा जब तक कि उसे लेखबद्ध करने में कोई लिपिकीय त्रुटि न रह गई हो ।

भाग (ब) चरित्र पंजी

82-

(1) कर्मचारी के कार्य की एक गोपनीय रिपोर्ट नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा रखी जावेगी । वह फार्म जिसमें रिपोर्ट लेखबद्ध की जायेगी प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारी के सम्बन्ध में प्रबन्ध संचालक द्वारा विहित किया जायेगा । गोपनीय रिपोर्ट वित्तीय वर्ष के दौरान कर्मचारी द्वारा सम्पादित कार्य के संबंध में लेखबद्ध की जायेगी । ऐसे कर्मचारी के मामले में, जो परिवीक्षाधीन हो, अर्धवार्षिक रिपोर्ट ऐसे विभिन्न स्तरों के अधिकारियों द्वारा लिखी जायेगी जो प्रबन्ध संचालक द्वारा इस संबंध में विहित किये जाये ।

(2) जब वित्तीय वर्ष के दौरान किसी कर्मचारी के एक से अधिक प्रभार में कार्य किया हो, जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसे प्रत्येक प्रभार के लिये जिसमें उसने तीन माह से अधिक के लिये कार्य किया हो, उसके कार्य के सम्बन्ध में पृथक रिपोर्ट लेखबद्ध की जानी चाहिये ।

(3) जब कर्मचारी ने किसी भी प्रभार में तीन माह से अधिक के लिए कार्य न किया हो, तब उसको रिपोर्ट उस अधिकारी द्वारा, जिसके अधीन उसने तीन महीनों से अधिक के लिए कार्य किया हो, लेखबद्ध की जानी चाहिए न कि उस अधिकारी द्वारा, जिसके अधीन उसने तीन माह से कम समय तक कार्य किया हो ।

(4) रिपोर्ट में सामान्यतः उस तरीके पर टिप्पणी की जानी चाहिए जिस तरीके से कर्मचारी ने प्रतिवेदनाधीन अवधि में अपने विभिन्न कर्तव्यों का पालन किया है। रिपोर्ट में उसके कार्य करने की योग्यता, व्यक्तिगत तथा चरित्र उसका अपने उन सहयोगियों तथा सामान्य जनों के साथ संबंध का भी उल्लेख किया जाना चाहिए, जिनसे उसका अपने कार्यालयीन कर्तव्यों के संबंध में सम्पर्क होता है। पदोन्नति के लिए उसकी योग्यता के सम्बन्ध में भी एक रिपोर्ट होनी चाहिये। गोपनीय रिपोर्ट अवश्य ही अत्याधिक सावधानी से लिखी जानी चाहिये क्योंकि इस पर उसका सम्पूर्ण सेवाकाल और पदोन्नति की भावी संभावनायें निर्भर होगी। रिपोर्ट देने वाले अधिकारी को ऐसी अस्पष्ट अभ्युक्ति एवं मत से बचना चाहिये जिसकी किसी कर्मचारी द्वारा प्रतिकूल अभ्युक्तियों के विरुद्ध दिये गये अभ्यावेदन के संबंध में मांग की जाने पर उसके द्वारा पुष्टि नहीं की जा सकती। दूसरे शब्दों में व्यक्तिगत स्वरूप की ऐसी अभ्युक्ति नहीं होनी चाहिये, जो रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले अधिकारी की पसंद और नापसंद को प्रतिबिम्बित करती हो। वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियां ऐसी टिप्पणियों तथा नियतकालिक निरीक्षणों तथा कर्मचारी के ऐसे कार्य के, जो उसकी जानकारी में आये, के परिणाम पर आधारित होनी चाहिये।

(5) रिपोर्ट देने वाले अधिकारी अपने किसी निकट संबंधी के कार्य पर अपना मत व्यक्त नहीं करेगा और न ही रिपोर्ट ऐसे किसी अधिकारी के माध्यम से भेजी जायेगी जो ऐसे किसी कर्मचारी का अत्याधिक निकट संबंधी हो जिसके संबंध में रिपोर्ट लेखबद्ध की जाती हो। ऐसे कर्मचारी के मामले में जो रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले अधिकारी का संबंधी हो, रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले अधिकारी के अगले उच्चतर अधिकारी द्वारा लिखी जानी चाहिये।

83—

अभ्युक्ति की सूचना :

(1) रिपोर्ट देने वाले अधिकारियों द्वारा अभिलेखबद्ध की गयी सभी अभ्युक्तियां उनके उस नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद, जो कर्मचारी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुमोदन के लिए अंतिम प्राधिकारी होता है, चरित्रपंजी लिखने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा संबंधित कर्मचारी को सूचित की जायेगी। सम्पूर्ण अभ्युक्ति उससे सूचित की जानी चाहिए और कर्मचारी को उसमें बताई गई कमियों में सुधार करने के लिये कहा जाना चाहिये।

स्पष्टीकरण :—

अभ्युक्तियां वे होती हैं जो उसकी भावी पदोन्नति को प्रभावित कर सकती हैं।

(2) अभ्युक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसके अंतिम अनुमोदन की तारीख के एक महीने के भीतर सूचित की जानी चाहिये।

(3) कर्मचारी उसे सूचित की गई अभ्युक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति प्राधिकारी को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। ऐसा प्रतिवेदन ऐसी अभ्युक्तियों के प्राप्त होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तथापि, सक्षम प्राधिकारी स्वयंवेक से उपर निर्दिष्ट समय के बाद भी अभ्यावेदन स्वीकार कर सकता है, यदि तत्संबंधी विलम्ब के लिए संतोषजनक स्पष्टीकरण हो।

प्रतिवेदन दिन: २५.१२.२०१३

(4) अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी को अभ्युक्ति दी जाने संबंधित परिस्थितियों को जाँच करनी चाहिए और इस प्रयोजन के लिए वह उस अधिकारी से जिसने ऐसी अभ्युक्ति लिखी हो, वह आधार बताने के लिए कह सकेगा जिस पर उसके द्वारा ऐसी अभ्युक्ति लिखी गई हो।

इस रिपोर्ट के प्राप्त होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी सम्बद्ध दस्तावेजों तथा संबंधित अधिकारी द्वारा बताई गई परिस्थितियों को देखते हुए इस बात से अपना समाधान करेगा कि अभ्युक्तियां न्यायोचित हैं अथवा नहीं। जब नियुक्ति प्राधिकारी को इस बात से समाधान हो जाए कि अभ्युक्तियां न्यायोचित नहीं हैं तब वह इस स्थिति में सम्पूर्ण मामले पर विचार करने के पश्चात अपने से आसन्न उच्चतर प्राधिकारी को ऐसे आदेश जारी करने की सिफारिश कर सकेगा जो वह उचित समझे, यदि अभ्युक्तियां विलोपित की जानी हो, तो वार्षिक रिपोर्ट से सम्बन्ध भाग निकाला जा सकेगा और नियुक्ति प्राधिकारी सुधार कर अपने संक्षिप्त हस्ताक्षर करेगा और अपनी कार्यवाही के समर्थन में आदेश की एक प्रति गोपनीय रिपोर्ट में रखेगा। यदि अभ्यावेदन में सारभूत बात न पाई जाये तो उसे अरवीकार कर दिया जाना चाहिए और उसकी उसे सूचना दी जानी चाहिए।

दोनों ही स्थितियों में अभ्यावेदन को वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में रखना आवश्यक नहीं है। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिकूल अभ्युक्ति के विलोपन का आदेश किया गया हो तो उस आदेश की सूचना संबंधित कर्मचारी को दी जानी चाहिये।

(5) कर्मचारी के अभ्यावेदन पर निर्णय सामान्यतः उसके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की तारीख से तीन महीनों के भीतर लिया जाना चाहिए ताकि निर्णय लेने में हुए विलम्ब के कारण उसे होने वाली हानि के पूर्व ही उसकी स्थिति स्पष्ट की जाये।

84— (1) कर्मचारी भविष्य निधि, परिवार पेंशन तथा जमा, लिंक बीमा योजना :

(अ) महासंघ जब तक अपने अलग कर्मचारी भविष्य निधि परिवार पेंशन तथा जमा लिंक योजना बना लेता एवं पंजीयक से स्वीकृत नहीं करा लेता तब तक अपने कर्मचारियों के लिये कर्मचारी भविष्य निधि, परिवार पेंशन तथा जमा लिंक योजना के संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध उपबंध अधिनियम 1952 के उपबंधों को लागू करेगा।

(ब) निधियां केन्द्रीय शासन द्वारा तैयार की गई योजना द्वारा विनियमित होंगी तथा क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास जमा की जायेगी।

कर्मचारी भविष्य निधि में अपने मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ते का 12 प्रतिशत अंशदान देगा। इतनी ही राशि महासंघ द्वारा निधि में अंशदान की जायेगी।

(2) (अ) समूह बीमा योजना :

(क) महासंघ का ऐसा प्रत्येक कर्मचारी, जिसने निरन्तर रूप से ४ माह की बीमा सेवा पूरी कर ली हो, समूह बीमा योजना के अन्तर्गत आयेगा।

अध्यक्ष

छ.ग. राज्य सहकारी दुर्घट महासंघ मर्यादा
भृपुर (छ.ग.)

(ख) प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में देय “प्रीमियम” की राशि वर्तमान आयु तथा बीमा की राशि जो प्रत्येक मासले में समान रूप से 10,000 रु. होगी, के आधार पर निकाली जायेगी ।


(ग) इस प्रकार समस्त कर्मचारियों के लिये निकाली गई प्रीमियम की कुल राशि प्रति वर्ष भारतीय जीवन बीमा निगम में भुगतान योग्य होगी ।

(घ) जीवन बीमा निगम छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुर्घट महासंघ के पक्ष में समूह (युप) मास्टर पालिसी जारी करेगा, जिसके अन्तर्गत समस्त कर्मचारियों के जीवन का जोखिम सम्मिलित होगा ।

(ङ) जीवन बीमा निगम किसी कर्मचारी की आकस्मिक रूप से मृत्यु हो जाने की दशा में मृत व्यक्ति के नामांकित/आश्रितों को भुगतान करने के लिए छत्तीसगढ़ दुर्घट महासंघ को 10,000 रु. का भुगतान करेगा ।


छ.ग. राज्य चैर. दुर्घट महासंघ मर्यादा
चरला, जिला-दुर्घट (छ.ग.)


छ.ग. राज्य राहकारी दुर्घट महासंघ मर्यादा
जिला-दुर्घट (छ.ग.)



अध्याय—दस

अनुकम्पा नियुक्ति

85— अनुकम्पा नियुक्तियाँ —

- (1) निर्देश किन प्रकरणों में लागू होंगे— अनुकम्पा नियुक्ति दिवंगत महासंघ सेवक के परिवार के निम्नलिखित सदस्यों में से किसी एक को दी जाएगी, जो पूर्णतः उस पर आश्रित रहा हो—

(क) दिवंगत महासंघ सेवक की विधवा/विधुर, अथवा,

(ख) पुत्र, अथवा,

(ग) अविवाहित पुत्री (दत्तक पुत्र/पुत्रियाँ शामिल रहेंगे)

टीप— (अ) दिवंगत महासंघ सेवक से तात्पर्य ऐसे कर्मचारियों से है, जो नियमित महासंघ सेवक के किसी पद को धारण करते हुए दिवंगत हुआ हो, अथवा

(ब) आकस्मिक सेवा/कार्यभारित स्थापना में स्थाई रूप से कार्यरत कर्मचारी रहा हो, को आकस्मिक सेवा/कार्यभारित स्थापना के नियमित रूप से कार्यरत कर्मचारी रहा हो, पढ़ा जाये ।

(दैनिक वेतनभोगी/संविदा पर नियुक्त/तदर्थ रूप से नियुक्त या पुनर्नियुक्त/सेवावृद्धि प्राप्त दिवंगत कर्मचारी के परिवार के आश्रित सदस्यों को अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी ।)

(2) नियुक्ति प्राधिकारी— अनुकम्पा नियुक्ति कि लिए वही अधिकारी सक्षम होगा, जो सामान्य परिस्थिति में यथास्थिति तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी, जैसा प्रकरण हो, के पदों पर नियुक्ति के लिये सक्षम है ।

(3) वे पद जिस पर अनुकम्पा नियुक्ति दी जा सकेगी — अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति केवल तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सीधी भर्ती के निम्नतम नियमित रिक्त पदों पर ही दी जाएगी । कार्यभारित एवं आकस्मिकता वेतनमान के पदों पर नियमित रूप से कार्यरत महासंघ सेवक की मृत्यु पर, नियुक्ति संबंधित स्थापना (कार्यभारित एवं आकस्मिकता वेतनमान) में उक्तानुसार पदों पर, की जा सकेगी ।

(4) पात्रता—

1— मृतक महासंघ सेवक का वह परिवार, जिसके पास आय का समुचित साधन न हो और आर्थिक संकट से घिरा हो तथा उन्हें तत्काल सहायता की आवश्यकता हो ।

महासंघ राज्य सहकारी दुष्ध महासंघ परा
चार्चा, मिला-दुष्ध (क.प.)

अध्यक्ष
च.ग. राज्य सहकारी दुष्ध महासंघ मर्यादा
प्रयुक्त (क.प.)

2— दिवंगत महासंघ सेवक के परिवार के आश्रित सदस्यों को अनुकम्पा नियुक्ति उसी स्थिति में दी जाएगी, जबकि वह—

— नियुक्ति के लिये विभागीय भर्ती नियम के अनुसार आवश्यक अर्हताएँ धारित करता हो अथवा कंडिका (5) के अनुसार छूट/शिथिलीकरण की पात्रता रखता हो ।

(5) छूट/शिथिलीकरण —अनुकम्पा नियुक्ति के लिये निम्नलिखित छूट प्रभावशील रहेगी –

- 1— रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती की नियमित पद्धति से छूट,
- 2— भर्ती पर प्रतिबंध से छूट ।

टीप— उम्मीदवार की आयु सीमा की गणना उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र के दिनांक पर की जाएगी ।

3— दिवंगत महासंघ सेवक की विधवा को अनुकम्पा नियुक्ति देने के लिए शैक्षणिक योग्यता में विभागाध्यक्ष द्वारा छूट दी जा सकेगी । यह छूट केवल चतुर्थ श्रेणी पदों के लिये होगी ।

4— दिवंगत महासंघ सेवक के आश्रित सदस्य को सहायक ग्रेड—3 के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने की स्थिति में हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा/कम्प्यूटर ज्ञान/परीक्षा/डिप्लोमा संबंधी परीक्षा जो भी संबंधित भर्ती नियमों में प्रावधानित हो दो वर्ष की अवधि में उत्तीर्ण करना होगा । यदि ऐसा नहीं हुआ तो उक्त अवधि के अतिरिक्त एक—एक वर्ष करके इसे दो बार नियुक्तिकर्ता अधिकारी की अनुमति से, बढ़ाया जा सकेगा । परन्तु यदि चार वर्ष में भी वह हिन्दी मुद्रलेखन/कम्प्यूटर ज्ञान/परीक्षा/डिप्लोमा उत्तीर्ण नहीं करता तो उसे वेतनवृद्धि मिलना तभी शुरू होगा जब वह हिन्दी मुद्रलेखन/कम्प्यूटर ज्ञान/परीक्षा/डिप्लोमा उत्तीर्ण कर लेगा । जिनकी आयु 45 वर्ष या उससे अधिक होगी उन्हें हिन्दी मुद्रलेखन/कम्प्यूटर ज्ञान/परीक्षा/डिप्लोमा से छूट प्रदान कर उनकी नियुक्ति, 45 वर्ष पूर्ण करने के दिनांक से नियमित की जाएगी । सहायक ग्रेड—3 के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति की स्थिति में उम्मीदवार से नियोक्ता अधिकारी द्वारा वचन—पत्र प्राप्त कर अभिलेख में रखा जाएगा ।

(6) रिक्त पदों की गणना—

- 1— किसी भी मामले में अनुकम्पा नियुक्ति केवल नियमित रिक्त पदों के विरुद्ध दी जाएगी ।
- 2— अनुकम्पा नियुक्तियाँ संबंधित संवर्ग में सीधी भर्ती के कुल पदों के दस प्रतिशत से अधिक नहीं की जाएगी ।

- 3— अनुकम्पा नियुक्ति के लिये निर्धारित पॉच प्रतिशत नियमित पदों के विरुद्ध अनुकम्पा नियुक्ति के ऐसे उम्मीदवारों की नियुक्ति, यथा— आकस्मिकता निधि/दैनिक भोगी/तदर्थ रूप से एवं संविदा पर नहीं की जाएगी, तथापि ऐसे अनुकम्पा के उम्मीदवारों को जो भर्ती नियम के अनुसार अहताएँ पूर्ण करते हैं, नियमित रूप से ही नियुक्ति दी जाएगी ।
- 4— कुल पॉच प्रतिशत पदों की गणना करते समय अन्य आरक्षित पदों को, यथा—स्पोटर्स कोटे आदि की रिक्तियों को, गणना में नहीं लिया जाएगा ।
- 5— अनुकम्पा नियुक्ति यथासंभव उसी विभाग या कार्यालय में दी जावेगी, जिसमें दिवंगत महासंघ सेवक अपने निधन के पूर्व नियोजित था ।
- (7) अनुकम्पा नियुक्ति पर नियुक्ति विधाओं को पुनर्विवाह की छूट— दिवंगत महासंघ सेवक की विधवा को अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त होने के पश्चात् पुनर्विवाह की छूट रहेगी ।
- (8) आर्थिक संकट का मापदण्ड— मृतक के आश्रित परिवार की (पेशन एवं उससे संबंधित स्त्री से भिन्न) समस्त स्त्रीतों से वार्षिक आय रूपये 35,000/- से अधिक नहीं होना चाहिए ।
- (9) अनुकम्पा नियुक्ति की प्रक्रिया—
- 1— अनुकम्पा नियुक्ति के लिये आवेदन—पत्र में दर्शाएँ प्रपत्र में उस कार्यालय प्रमुख/विभाग प्रमुख, जिसमें दिवंगत महासंघ सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व कार्यरत था, को प्रस्तुत किया जावेगा । अनुकम्पा नियुक्ति की प्रक्रिया आवेदन प्रस्तुत होने के तीन माह के भीतर पूर्ण की जाना अनिवार्य होगा ।
- 2— महासंघ सेवक की मृत्यु होने पर मृत महासंघ सेवक के संदर्भ में कार्यालय प्रमुख या नियुक्तिकर्ता अधिकारी एक माह के भीतर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु निर्धारित आवेदन—पत्र की प्रति आवश्यक मार्गदर्शन के साथ मृतक के परिवार को उपलब्ध कराएगा । यदि मृतक के परिवार में कोई उचित पात्रता प्राप्त सदस्य नहीं है, तो उसकी सूचना विभागाध्यक्ष को प्रेषित कर प्रति संबंधित परिवार के सदस्य को उपलब्ध करायेगा ।
- 3— अनुकम्पा नियुक्ति हेतु निर्धारित आवेदन—पत्र दिवंगत महासंघ सेवक के परिवार के आश्रित सदस्य द्वारा महासंघ सेवक की मृत्यु दिनांक से 6 माह की समय सीमा के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है । इस समय सीमा के पश्चात् प्रस्तुत आवेदन पत्र विचार योग्य नहीं होगा ।
- (10) वचन—पत्र — दिवंगत महासंघ सेवक के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति देने की स्थिति में आवेदक/आवेदिका से नियुक्ति के पूर्व इस आशय का एक वचन—पत्र लिया जाएगा कि वह दिवंगत महासंघ सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का समुचित भरण—पोषण करेगा तथा बाद में किसी भी समय यदि वह प्रमाणित हो जाए कि उसके द्वारा परिवार के सदस्यों को अनदेखा किया जा रहा है, अथवा उनका सही ढंग से भरण—पोषण नहीं किया जा रहा है तो उसकी नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी ।

(11) अनुकम्पा नियुक्ति के पद अथवा नियुक्ति व्यक्ति में परिवर्तन—

- 1— आवेदक को एक बार अनुकम्पा नियुक्ति दिए जाने के पश्चात् किसी अन्य पद पर नियुक्ति या पद परिवर्तन का निवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा ।
- 2— अनुकम्पा नियुक्ति यदि परिवार के एक सदस्य को दी गई है, यह नियुक्ति परिवार के किसी दूसरे सदस्य को हस्तांतरणीय नहीं होगी ।

(12) अनुकम्पा नियुक्ति बाबत् सामान्य उपबंध—


- 1— दिवंगत महासंघ सेवक के परिवार के आश्रित सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति उसी स्थिति में दी जाएगी, जबकि वह पद के लिए भर्ती नियमों में निर्धारित समस्त अर्हताएँ रखता हो ।
- 2— चतुर्थ श्रेणी के मृतक कर्मचारी के परिवार के सदस्य को भर्ती नियम में निर्धारित शैक्षणिक अर्हता की पूर्ति करने पर तृतीय श्रेणी के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता होगी ।
- 3— अनुकम्पा नियुक्ति के सभी मामलों में नियुक्तिकर्ता अधिकारी को स्वयं इस बात की संतुष्टि करना चाहिये कि दिवंगत महासंघ कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदस्यों की संख्या, उसके द्वारा छोड़ी गई संपत्ति तथा देनदारी, कमाने वाले सदस्य की आय और उसकी देनदारी को देखते हुए अनुकम्पा नियुक्ति देना न्यायोचित है ?
- 4— एक वर्ष से अधिक समय के प्रकरणों के लिए समितियाँ रहेंगी, जो छानबीन पश्चात् प्रकरणों में समय—सीमा 1 वर्ष के लिए तथा पुनः और 1 वर्ष के लिए अर्थात् आगे 2 वर्ष के लिए बढ़ा सकेंगी । इस प्रकार मृत्यु के दिनांक से अनुकम्पा नियुक्ति के लिए अधिकतम समय सीमा 3 वर्ष रहेगी ।

86— निर्वचन संबंधी कठिनाईयों के निराकरण की शर्तें—

यदि इन निर्देशों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाईयाँ उद्भूत हो तो उसे पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।


द्रृ. राज्य सहकारी दुर्घट बहासंघ नियुक्ति
कार्यालय, दिल्ली-दुर्घट (उ.ग.)


अध्यक्ष
छ.ग. राज्य सहकारी दुर्घट बहासंघ नियुक्ति
कार्यालय (उ.ग.)



अध्याय—र्खारह आचरण, नियंत्रण एवं अपील

87— आचरण

- (१) कोई भी महासंघ का अधिकारी या कर्मचारी —
- (क) अपने पदीय कृत्यों के पालन में अशिष्टता से कार्य नहीं करेगा ,
- (ख) जनता के साथ अपने पदीय संव्यवहार में या अन्यथा विलंबकारी कार्यनीति नहीं अपनाएंगा और उसे सौपे गये कार्य को निपटाने में जानबूझकर विलम्ब नहीं करेगा,
- (ग) ऐसा कुछ कार्य नहीं करेगा जो अनुशासनहीनता का घोतक हो,
- (घ) महासंघ द्वारा कर्मचारी को आवास आवंटित किया गया है, उपभाड़े पर नहीं देगा, पट्टे पर नहीं देगा, या किसी व्यक्ति द्वारा अधिलाभ के लिए अधिभोग या उपयोग को अन्यथा अनुज्ञात नहीं करेगा ।
- (ङ) विवाह की आयु, पर्यावरण के संरक्षण, वन्य जीव और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित शासन की नीतियों के अनुसार कार्य करेगा,
- (च) महिलाओं के विरुद्ध अपराध के निवारण से संबंधित शासन की नीतियों का पालन करेगा ।



अध्यक्ष

छ.ग. राज्य सहकारी दुर्घट महासंघ मर्यादा
रायपुर (छ.ग.)

- (2) (क) महासंघ के अधिकारी/कर्मचारी के संबंध में कुटुम्ब के सदस्यों में निम्नलिखित समिलित है –
- (एक) महासंघ के अधिकारी/कर्मचारी की पत्नी या उसका पति, जैसी भी दशा में हो, चाहे वह महासंघ सेवक के साथ रहती/रहता हो या नहीं किन्तु उसमें, यथारिथति ऐसी पत्नी या ऐसा पति समिलित नहीं है जिसके समक्ष न्यायालय की डिकी की या आदेश द्वारा महासंघ सेवक से पृथक्करण हो गया हो,
- (दो) महासंघ सेवक का पुत्र या पुत्री या सौतेला पुत्र/पुत्री जो उस पर पूर्णतः आश्रित हो किन्तु उसमें ऐसा बालक या सौतेला बालक जो अब महासंघ सेवक पर किसी भी प्रकार आश्रित न रहा हो, या जिसे अभिरक्षा में रखने से महासंघ सेवक को किसी भी विधि द्वारा उसके अधीन वंचित कर दिया गया हो, समिलित नहीं है,
- (तीन) कोई भी अन्य व्यक्ति जो महासंघ सेवक या महासंघ सेवक की पत्नी या उसके पति से, चाहे रक्त द्वारा या विवाह द्वारा, संबंधित हो और महासंघ सेवक पर पूर्णतः आश्रित हो ।
- (3) सामान्य— (1) प्रत्येक महासंघ सेवक सदैव ही—
- (एक) पूर्णरूप से सनिष्ठ रहेगा,
- (दो) कर्तव्य परायण रहेगा, और
- (तीन) ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा जो कि महासंघ सेवक के लिए अशोभनीय हो ।
- (2) (एक) पर्यवेक्षकीय पद धारण करने वाला प्रत्येक महासंघ सेवक ऐसे समर्त महासंघ सेवकों की, जो कि तत्समय उसके नियंत्रण तथा प्राधिकार के अधीन हों, सनिष्ठा तथा कर्तव्य परायणता को सुनिश्चित करने के हेतु समर्त सम्भव उपाय करेगा ।

अध्यक्ष
छ.ग. राज्य सहकारी दुर्योग महासंघ मर्यादा
अधिकारी (छ.ग.)

(दो) कोई भी महासंघ सेवक, अपने पदीय कर्तव्यों के पालन में या उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने में, उस अवस्था को छोड़कर जबकि वह अपने पदीय वरिष्ठ के निर्देश के अधीन कार्य कर रहा हो, अपने सर्वोत्तम विवेकानुसार न करके अन्यथा कार्य नहीं करेगा, और जहाँ वह ऐसे निर्देश के अधीन कार्य कर रहा हो, ऐसे निर्देश जहाँ कि व्यवहार्य हो, लिखित में प्राप्त करेगा, और जहाँ निर्देश लिखित में प्राप्त करना व्यवहार्य नहीं हो, वहाँ वह उस निर्देश के दिये जाने के पश्चात् तथा सम्बन्ध उस निर्देश का लिखित पुष्टिकरण प्राप्त करेगा ।

व्याख्या – उपनियम (2) के खण्ड (दो) की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह महासंघ सेवक को इस बात के लिए संप्रकृत करती है कि वह वरिष्ठ पदाधिकारी या प्राधिकारी के अनुदेश या उसका अनुमोदन चाहकर अपने उत्तरदायित्वों से बच जाय जबकि ऐसे अनुदेश शक्तियों तथा उत्तरदायित्वों के विभाजन की योजना के अधीन आवश्यक न हों ।

(4) महासंघ का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी—


(एक) अपने कुटुम्ब के किसी भी सदस्य के लिए किसी कम्पनी या फर्म, नौकरी सुनिश्चित करने हेतु अपनी अवस्थिति या अपने प्रभाव का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग नहीं करेगा ।


(दो) प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी का कोई भी अधिकारी किसी भी ऐसी कम्पनी या फर्म में जिसके साथ उसका पदीय संव्यवहार हो अथवा किसी ऐसी अन्य कम्पनी या फर्म में जिसका महासंघ के साथ संव्यवहार हो महासंघ की पूर्व मंजूरी के बिना अपने पुत्र/पुत्री या अन्य आश्रित व्यक्ति को नौकरी स्वीकार करने की अनुज्ञा नहीं देगा ।


परन्तु नौकरी स्वीकार करने हेतु महासंघ की पूर्व मंजूरी लेने के लिए प्रतीक्षा करना शक्य न हो या नौकरी स्वीकार करना आवश्यक समझा जाए तो मामले की रिपोर्ट महासंघ को की जायगी और नौकरी महासंघ की अनुज्ञा प्राप्त होने के अध्याधीन, अस्थाई रूप से स्वीकार की जा सकेगी ।

(तीन) महासंघ सेवक, जैसे ही उसे ज्ञात हो कि उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य द्वारा किसी कम्पनी या फर्म में नौकरी स्वीकार कर ली गई है, नौकरी के इस प्रकार स्वीकार किए जाने का प्रज्ञापन विहित प्राधिकारी को देगा और यह भी प्रज्ञापित करेगा कि व्या उस कम्पनी या फर्म के साथ उसका कोई पदीय संव्यवहार है या था :

परन्तु प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के अधिकारी के मामले में ऐसा प्रज्ञापन देना आवश्यक नहीं होगा यदि उसने पूर्व में महासंघ की मंजूरी प्राप्त कर ली या महासंघ को उसकी रिपोर्ट भेज दी है ।


प्रृष्ठ द्वारा
छ.ग. राज्य संस्कृत महासंघ नियम
चर्चा, पिला-दुर्ग (छ.ग.)


अध्यक्ष
छ.ग. राज्य संस्कृत महासंघ नियम
प्रबन्ध (छ.ग.)

...41....



(5) राजनीति तथा निर्वाचनों में भाग लेना -

- (क) कोई भी महासंघ सेवक किसी राजनीतिक दल या किसी ऐसे संगठन का जो कि राजनीति में भाग लेता हो, न तो सदस्य होगा न उससे अन्यथा सम्बन्ध रखेगा और न वह किसी राजनीतिक आन्दोलन या कार्यकलाप में भाग लेगा, न उसकी सहायतार्थ चन्दा देगा और न किसी अन्य रीति में उसकी सहायता करेगा ।
- (ख) प्रत्येक महासंघ सेवक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने कुटुम्ब के किसी भी सदस्य का किसी ऐसे आन्दोलन या कार्यकलाप में, जो विधंसकारी हो या जिसका आशय प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से विधंसकारी होने का हो, भाग लेने, उसकी सहायता के लिए चन्दा देने या किसी अन्य रीति से उसकी सहायता करने से रोकने का प्रयत्न करे और जहाँ महासंघ सेवक अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य को किसी ऐसे आन्दोलन या कार्यकलाप में भाग लेने या उसकी सहायतार्थ चन्दा देने या किसी अन्य रीति में उसकी सहायता करने से रोकने में असमर्थ हो, वहाँ वह महासंघ को उस आशय की रिपोर्ट करेगा ।
- (ग) यदि कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो जाय कि क्या कोई दर्ज राजनीतिक दल है या क्या कोई संगठन राजनीति में भाग लेता है या क्या कोई आन्दोलन अथवा कार्यकलाप उपनियम (2) की व्याप्ति के भीतर आता है, तो उस पर महासंघ का निर्णय अंतिम होगा ।
- (घ) कोई भी महासंघ सेवक, किसी विधान मण्डल या स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचन में न तो मत याचना करेगा, न अन्यथा हस्तक्षेप करेगा, न उसके सम्बन्ध में अपने प्रभाव का उपयोग करेगा और न उसमें भाग लेना ।

परन्तु -

(एक) ऐसे निर्वाचन में मत देने के लिए अर्ह महासंघ सेवक मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकेगा, किन्तु जहाँ वह ऐसा करे वहाँ उस रीति का, जिसमें वह मत देना चाहता हो या उसने मत दिया हो, कोई संकेत नहीं देगा ।

(दो) कोई भी महासंघ सेवक, केवल इस कारण से इस उपनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करता हुआ नहीं समझा जायेगा कि वह तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उस पर आरोपित कर्तव्य के सम्बन्ध पालन में किसी निर्वाचन के संचालन में सहायता देता है ।


दृ. जयंत पटेल
महासंघ सहकारी दुर्गम समर्पण बोर्ड
उपायकारी अध्यक्ष (छ.ग.)


अध्यक्ष
छ.ग. राज्य सहकारी दुर्गम महासंघ समर्पण
समिति (छ.ग.)


(6) प्रदर्शन तथा हड्डताले –

कोई भी महासंघ सेवक –


- (एक) स्वयं को किसी भी ऐसे प्रदर्शन में नहीं लगायेगा या उसमें भाग नहीं लेगा जो कि महासंघ प्रभुता तथा अखण्डता, सुरक्षा, राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टता, नैतिकता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो या जिसमें न्यायालय का अपमान, मानहानि या किसी अपराध का उद्दीप्त किया जाना अन्तर्गत हो, या
- (दो) अपनी सेवा या किसी अन्य महासंघ सेवक की सेवा से संबंधित किसी मामले के सम्बन्ध में न तो किसी भी तरह की हड्डताल का सहारा लेगा और न किसी भी प्रकार से उसे अभिप्रेरित करेगा ।

(7) महासंघ सेवकों द्वारा अवकाश पर प्रगमन –

- (एक) कोई भी महासंघ सेवक अवकाश (आकस्मिक अथवा अन्य) पर उसके स्वीकृत हो जाने के पूर्व प्रगमन नहीं करेगा, परन्तु आपात की दशा में अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, उन कारणों से, जो लेखबद्ध किये जायेंगे, पहले ही लाभ उठाये गये अवकाश को भूत-प्रभावी स्वीकृति दे सकेगा ।
- (दो) महासंघ के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा आयोजित हड्डतालों, धरना तथा सामूहिक अवकाश आदि के लिए अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा ।


द.ज. राज्य सहकारी दुर्घट संसाधन
उरला, गुजरात-तुर्फ (द.ज.)


अध्यक्ष
द.ग. राज्य सहकारी दुर्घट महासंघ सर्कार
सदरमुख (द.ग.)



(8) प्रेस तथा अन्य मीडिया से सम्बन्ध –

(एक) कोई भी महासंघ सेवक महासंघ की पूर्व मंजूरी के बिना किसी समाचार पत्र या अन्य नियतकालिक प्रकाशन तथा कोई अन्य मीडिया का पूर्णतः या अंशतः न तो स्वामित्व रखेगा और उनका संचालन करेगा और न उसके सम्पादन अथवा प्रबन्धन में भाग लेगा।

(दो) कोई भी महासंघ सेवक महासंघ या विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना, या अपने कर्तव्यों का सद्भावनापूर्वक निर्वहन करने की स्थिति को छोड़कर, न तो कोई अन्य मीडिया प्रसारण में भाग लेगा और न किसी समाचार पत्र या नियतकालिक पत्रिका में अपने स्वयं के नाम से या गुमनाम तौर पर, कल्पित नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से कोई लेख देगा या कोई पत्र लिखेगा।

परन्तु ऐसी कोई मंजूरी अपेक्षित नहीं होगी यदि ऐसा प्रसारण (ब्राडकास्ट) या ऐसा लेख विशुद्ध साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकार का हो।

(9) शासन या महासंघ की आलोचना –

कोई भी महासंघ सेवक किसी रेडियो प्रसारण (ब्राडकास्ट) या अन्य मीडिया प्रसारण अपने स्वयं के नाम से, या गुमनाम तौर पर कल्पित नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से प्रकाशित किसी दस्तावेज में या समाचार पत्र को दी गई किसी संसूचना में या सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्त किसी उद्गम में कोई ऐसा तथ्य या राय प्रकट नहीं करेगा –

(एक) जिसका परिणाम शासन या महासंघ की किसी प्रचलित या तात्कालिक नीति या कार्य की प्रतिकूल आलोचना करता हो :

परन्तु इस खण्ड में अन्तर्विष्ट कोई भी बात, ऐसे महासंघ सेवकों की सेवा की शर्तों की सुरक्षा करने के प्रयोजन के लिए उनमें सुधार कराने के लिए ऐसे महासंघ सेवकों के कर्मचारी दुर्घट महासंघ के पदाधिकारी के रूप में उसके द्वारा सद्भावना से व्यक्त किये गये विचारों को लागू नहीं होगी, या

(दो) जिससे कि आपसी सम्बन्धों में उलझन पड़ जाय,

परन्तु इस नियम की कोई बात, महासंघ सेवक द्वारा अपनी पदीय हैसियत में या उसे सौंपे गये कर्तव्यों के सम्बन्ध पालन में दिये गये किसी वक्तव्य या व्यक्त किये गये विचारों को लागू नहीं होगी।



महासंघ सेवक द्वारा दिल्ली के द्वारा दिल्ली के
द्वारा दिल्ली के (B.R.A.)


महासंघ सेवक द्वारा दिल्ली के द्वारा दिल्ली के
द्वारा दिल्ली के (B.R.A.)


महासंघ सेवक द्वारा दिल्ली के द्वारा दिल्ली के
द्वारा दिल्ली के (B.R.A.)

(10) समिति या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष साक्ष्य—

- (1) उपनियम (3) में उपबंधित अवस्था को छोड़कर, कोई भी महासंघ सेवक, महासंघ की पूर्व मंजूरी के बिना किसी व्यक्ति, समिति या प्राधिकारी द्वारा की गयी किसी जाँच के सम्बन्ध में साक्ष्य नहीं देगा ।
- (2) जहाँ उपनियम (1) के अधीन कोई मंजूरी दे दी गई हो, वहाँ ऐसा साक्ष्य देने वाला कोई भी महासंघ सेवक महासंघ की नीति या किसी कार्य की आलोचना नहीं करेगा ।
- (3) इस नियम की कोई भी बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी –
- (क) महासंघ द्वारा नियुक्त किये गये प्राधिकारी के समक्ष जाँच में दिया गया साक्ष्य, या
 - (ख) किसी न्यायिक जाँच में दिया गया साक्ष्य, या
 - (ग) महासंघ के अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित किसी विभागीय जाँच में दिया गया साक्ष्य ।

(11) अप्राधिकृत रूप से जानकारी देना –

कोई भी महासंघ सेवक, महासंघ के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अनुसरण में कार्य करने की अवस्था को छोड़कर या उसे सौंपे गये कर्तव्यों का सदभावना से पालन करने की स्थिति को छोड़कर, किसी भी महासंघ सेवक या किसी अन्य व्यक्ति को, जिसको कि ऐसी दस्तावेज या जानकारी देने के लिए वह प्राधिकृत न हो, कोई महासंघ के दस्तावेज या उसका कोई भाग या जानकारी अप्रत्यक्ष रूप से नहीं देगा ।

(12) चल-अचल सम्पत्ति :

- (क) छत्तीसगढ़ राज्य दुर्घट महासंघ में कार्यरत नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों को रु. 50,000/- से अधिक चल-अचल सम्पत्ति (स्वयं, पत्नि एवं बच्चों के नाम) कथ करने के पूर्व महासंघ से अनुमति लेनी आवश्यक होगी ।
- (ख) छत्तीसगढ़ शासन/केन्द्र शासन के नियमानुसार दुर्घट महासंघ में कार्यरत नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों को चल-अचल सम्पत्ति (स्वयं, पत्नि एवं बच्चों के नाम) का व्यौरा प्रति वर्ष घोषणा-पत्र के निर्धारित प्रारूप, जो महासंघ निर्धारित करेगा, और जो राज्य शासन द्वारा इसी संबंध में निर्धारित प्रारूप के समरूप होगा, में
- (ग) घोषणा पत्र प्रत्येक वर्ष के 30 अप्रैल तक कार्यालय प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, इसमें असफल रहने वाले कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही, बिना किसी अपवाद के की जाएगी ।

अध्यक्ष

छ.ग. राज्य सहकारी दुर्घट महासंघ मर्यादा
आयुर (छ.ग.)

88— नियुक्ति प्राधिकारी तथा अनुशासनिक प्राधिकारी—

- (1) प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी सेवाओं तथा पदों पर नियुक्तियाँ:

प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी की नियुक्तियाँ महासंघ द्वारा की जायेगी —

परन्तु महासंघ विशेष आदेश द्वारा तथा ऐसी शर्तों के जिन्हें कि वह ऐसे आदेश उल्लिखित करें अधीन रहते हुए भी ऐसी नियुक्तियाँ करने की शक्ति किसी भी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

- (2) अन्य सेवाएं तथा पदों पर नियुक्तियाँ —

तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के लिये महासंघ द्वारा समस्त नियुक्तियाँ अनुसूची में इस संबंध में उल्लिखित किये गये अधिकारियों द्वारा की जायेगी ।

89— निलंबन

- (1) नियुक्त प्राधिकारी या ऐसा कोई प्राधिकारी जिसके कि अधीनस्थ वह हो या अनुशासनिक प्राधिकारी या उस संबंध में महासंघ द्वारा विशेष आदेश द्वारा सशक्त किया गया कोई अन्य प्राधिकारी किसी महासंघ सेवक को जहाँ उसके विरुद्ध —

(क) कोई अनुशासनिक कार्यवाही की जाना अपेक्षित हो या अनुशासनिक कार्यवाही लंबित हो, या

(ख) किसी भी दापिङ्क अपराध से संबंधित कोई मामला अन्वेषण, जॉच या परीक्षण के अधीन हो, निलंबित कर सकेगा :

(1) परन्तु महासंघ सेवक को सदैव निलंबित किया जायेगा जबकि भ्रष्टाचार या अन्य नैतिक पतन में अन्तर्वलित दापिङ्क अपराध में उसके विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया गया हो :

(2) परन्तु यह और भी कि जहाँ निलम्बन का आदेश किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा दिया गया हो जो नियुक्त प्राधिकारी से निम्नतर श्रेणी का हो तो ऐसा प्राधिकारी तत्काल उन परिस्थितियों की जिनमें कि आदेश दिया गया था, रिपोर्ट नियुक्त प्राधिकारी को करेगा ।)

- (ग) कोई महासंघ सेवक नियुक्त प्राधिकारी के आदेश द्वारा —

(घ) उसके विरुद्ध किये जाने के दिनांक से यदि उसे या तो किसी दापिङ्क आरोप पर या अन्यथा अड़तालीस घन्टे से अधिक की कालावधि के लिये अभिरक्षा में निरुद्ध किया गया हो,

Dabholikar

Dr.
अध्यक्ष

छ.ग. राज्य सहकारी दुम्ध महासंघ पर्याप्त
उम्मीद (इंग.)

- (दो) उसे दोषसिद्ध ठहराये जाने के दिनांक से, यदि वह किसी अपराध के लिये सिद्ध दोष ठहराये जाने की दशा में, अड़तालीस घन्टे से अधिक की अवधि के लिये दण्डादिष्ट किया गया हो, और ऐसी दोषसिद्ध के परिणामस्वरूप तत्काल पदच्युत न कर दिया गया हो या सेवा से हटा न दिया गया हो या अनिवार्यतः सेवा निवृत्त न कर दिया गया हो, निलंबित कर दिया गया समझा जायेगा ।

स्पष्टीकरण – अड़तालीस घन्टे की कालावधि की गणना दोषसिद्ध के पश्चात् कारावास के प्रारंभ से की जायेगी और इस प्रयोजन के लिए कारावास की विच्छिन्न कालावधियाँ, यदि कोई हों, संगणित की जायेंगी ।


- (2) जहाँ किसी महासंघ सेवक को उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन निलंबित किया जाय, वहाँ निलम्बन आदेश में, ऐसा आदेश करने के कारण अन्तर्विष्ट होंगे और जहाँ ऐसे महासंघ सेवक के विरुद्ध जॉच करना प्रस्तावित हो वहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा ऐसे महासंघ सेवक को आरोप-पदों को, अवचार या कदाचार के विवरण को और उन दस्तावेजों तथा साक्षियों का, जिनके कि द्वारा प्रत्येक आरोप-पद का प्रमाणित किया जाना प्रस्तावित है, सूची की एक प्रतिलिपि निलम्बन आदेश के दिनांक से 45 दिन की कालावधि के भीतर जारी की जायेगी या जारी करवाई जायेगी :


परन्तु, जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी आरोपों की तथा उन अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि 45 दिन की कालावधि के भीतर महासंघ सेवक को जारी न करें, वहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी उक्त कालावधि के समाप्त होने के पूर्व अध्यक्ष से निलम्बन की उक्त कालावधि को बढ़ाने के लिये लिखित आदेश अभिप्राप्त करेगा :

परन्तु निलम्बन की कालावधि में, निलम्बन आदेश के दिनांक से 90 दिन की कालावधि से परे किसी भी दशा में वृद्धि नहीं की जायेगी ।

- (3) जहाँ निलंबित महासंघ सेवक अधिरोपित की गई शास्ति, इन नियमों के अधीन अपील में या पुनर्विलोकन पर अपास्त कर दी जाय और मामला आगे जॉच या कार्यवाही के लिये या किन्हीं अन्य निर्देशों के साथ वापस भेज दिया जाय, वहाँ उसको निलंबित किये जाने का आदेश, पदच्युति, हटाये जाने या अनिवार्य सेवा निवृत्ति के मूल आदेश के दिनांक को तथा से प्रवृत्त बना रहा समझा जायगा और आगामी आदेश होने तक प्रवृत्त बना रहेगा ।

- (4) जहाँ महासंघ सेवक पर पदच्युति, सेवा से हटाये जाने या अनिवार्य सेवा-निवृत्ति की अधिरोपित की गई शास्ति विधि न्यायालय के विनिश्चय के परिणामस्वरूप या द्वारा अपास्त कर दी जाय अथवा शून्य घोषित कर दी जाय या शून्य हो जाय और मामले की परिस्थितियों पर विचार करने पर अनुशासनिक प्राधिकारी, उसके विरुद्ध उन्हीं अभिकथनों पर, जिस पर कि पदच्युति, हटाये जाने या अनिवार्य सेवा-निवृत्ति की शास्ति मूलतः अधिरोपित की गई थी, आगे और जॉच करने का विनिश्चय करे, वहाँ महासंघ सेवक, पदच्युति, हटाये जाने या अनिवार्य सेवा निवृत्ति के मूल आदेशों के दिनांक से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निलंबित किया गया समझा जायगा और आगामी आदेश होने तक निलंबित बना रहेगा ।


प्रधान सचिव
छ.ग. राज्य सह. दुर्घ महासंघ मर्या.
उत्तरा, जिला-दुर्घ (छ.ग.)


अध्यक्ष
छ.ग. राज्य सहकारी दुर्घ महासंघ मर्या.
शायपुर (छ.ग.)

(5) (क) इस नियम के अधीन दिया गया या दिया गया समझा गया निलम्बन आदेश तब तक प्रवृत्त बना रहेगा जब तक कि वह रूपभेदित या प्रतिसंहृत करने के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा रूपभेदित या प्रतिसंहृत न कर दिया जाय :

1 (परन्तु निलम्बन आदेश के दिनांक से 45 दिन की कालावधि के समाप्त होने पर निलम्बन आदेश उस स्थिति में प्रतिसंहृत हो जायगा, जबकि आरोपों की तथा अन्य दस्तावेजों की, प्रतिलिपि ऐसे महासंघ सेवक को अपेक्षित किये गये अनुसार अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा उक्त दस्तावेजों के जारी करने की कालावधि के बढ़ाये जाने के लिये महासंघ का आदेश अभिप्राप्त किये बिना, जारी न की जाय :

परन्तु यह और भी कि निलम्बन आदेश के दिनांक से 90 दिन की कालावधि समाप्त होने पर निलम्बन आदेश उस स्थिति में प्रतिसंहृत हो जायेगा जबकि आरोपों की तथा अन्य दस्तावेजों की, प्रतिलिपि महासंघ सेवक को जारी न की जाय ।

(ख) ऐसे महासंघ सेवक के सम्बन्ध में, जिसका निलम्बन आदेश खण्ड (क) के प्रथम या द्वितीय परन्तुक के अनुसार प्रतिसंहृत किया गया है, सक्षम प्राधिकारी यदि वह ऐसा करना समीचीन समझें, नियम 14 के उपनियम (4) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार उसको आरोपों की तथा अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि जारी किये जाने के पश्चात् उसे निलंबित कर सकेगा ।)

(ग) जहाँ महासंघ सेवक को (या तो किसी अनुशासनिक कार्यवाही के सम्बन्ध में या अन्यथा) निलंबित किया गया हो या निलंबित किया गया समझा गया हो, और उसी निलम्बन के चालू रहने के दौरान कोई अन्य अनुशासनिक कार्यवाही उसके उसके विरुद्ध प्रारंभ की गई हो, वहाँ उसे निलंबित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, अपने द्वारा अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, यह निर्देश दे सकेगा कि महासंघ सेवक तब तक निलंबित बना रहेगा जब तक कि ऐसी समस्त कार्यवाहियों या उनमें से कोई भी कार्यवाही समाप्त न हो जाय :)

(घ) इन नियमों के अधीन दिया गया या समझा गया निलम्बन आदेश, किसी भी समय, सक्षम अधिकारी के द्वारा रूप-भेदित या प्रतिसंहृत किया जा सकेगा :

परन्तु किसी दार्ढिक अपराध से संबंध मामले में निलम्बन आदेश को राज्य शासन के नियमों तथा निर्देशों के अनुसार ही महासंघ के सक्षम अधिकारी द्वारा रूप-भेदित या प्रतिसंहृत किया जाएगा ।


क.म. राज्य रह. दुष्ट योग्यता कार्यालय
चरण, अंक-३०५ (क.म.)


अध्यक्ष
क.म. राज्य सहकारी दुष्ट योग्यता कार्यालय
इमार (क.म.)

90—

शास्त्रियों —

महासंघ सेवक पर, निम्नलिखित शास्त्रियाँ अच्छे तथा पर्याप्त कारणों से तथा इसमें इसके पश्चात उपबंधित किये गये अनुसार, अधिरोपित की जा सकेगी, अर्थात्—

(1) लघु शास्त्रियों -

- (एक) परिनिन्दा,

(दो) उसकी पदोन्नति को रोका जाना,

(तीन) उपेक्षा से या आदेशों की अवहेलना द्वारा महासंघ को उसके द्वारा पहुंचायी गई किसी आर्थिक हानि की पूर्ण रूप से या उसके किसी भाग की उसके वेतन से वसूली,

(चार) वेतन की बुद्धियों का या गतिरोध भत्ते का रोका जाना,

(2) मुख्य शास्त्रियाँ —

(पाच) किसी उल्लिखित कालावधि के लिये अवनत करके वेतन के समयमान के निम्नतर प्रक्रम में, ऐसे निर्देशों के साथ लाया जाना कि क्या महासंघ सेवक ऐसी अवनति की कालावधि के दौरान, यथास्थिति, वेतन-वृद्धियों या गतिरोध भत्ता उपार्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी कालावधि के समाप्त हो जाने पर ऐसी अवनति उसके वेतन की भावी वृद्धियों को या गतिरोध भत्ते को स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं।

प्राची-

अभिव्यक्ति “अवनत करके वेतन के निम्नतर प्रक्रम में लाया जाना” के महासंघ सेवक को गतिरोध-भत्ता मिलने पर जिस प्रक्रम पर वेतन प्राप्त होता है, उस प्रक्रम पर अवनत करना भी आता है।

- (छ:) अवनत करके वेतन के निम्नतम समयमान में, निम्नतम ग्रेड में, निम्नतम पद पर, निम्नतम सेवा में लाया जाना जो महासंघ सेवक को पदोन्नत करके वेतन के उस समयमान में, उस ग्रेड में या उस सेवा में जिससे कि वह अवनत किया गया था, लाये जाने की साधारणतः रोक करेगा, उस ग्रेड या पद या सेवा पर जिससे कि महासंघ सेवक अवनत किया गया था, पुनः स्थापित किये जाने की शर्तों के सम्बन्ध में तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर इस प्रकार से पुनःस्थापना हो जाने पर उसकी ज्येष्ठता तथा वेतन के सम्बन्ध में और निर्देशों के सहित या रहित,

(सात) अनिवार्य सेवा—निवृत्ति,

(सात) अनिवार्य सेवा-निवृत्ति,

(आठ) सेवा से हटाया जाना, जो कि महासंघ के अधीन भावी नियोजन के लिये अनर्हता न होगी,

छ.ग. राज्य का युक्त भवानीय पर्यावरण
उत्तरांश-दर्थ (छ.ग.)

(नौ) सेवा से पदच्युत किया जाना जो कि मामूली तौर पर महासंघ के अधीन भावी नियोजन के लिये अनर्हता होगी ,

स्पष्टीकरण— निम्नलिखित बातें इस नियम के तात्पर्य के अन्तर्गत शास्ति नहीं होगी, अर्थात्—

- (1) महासंघ सेवक की वेतन—वृद्धियों का, उस सेवा को, जिसका कि वह हो या उस पद को जिसे कि वह धारण करता हो, शासित करने वाले नियमों या आदेशों के अनुसार या उसकी नियुक्ति के निबन्धनों के अनुसार देय नहीं होने पर नहीं दिया जाना,
- (2) किसी महासंघ सेवक को, वेतन के समयमान में के दक्षतारोध पर, रोध को पार करने में उसकी अयोग्यता के आधार पर रोका जाना,
- (3) किसी महासंघ सेवक को, उसके मामले पर विचार करने के पश्चात, ऐसी सेवा, ग्रेड या पद पर जिस पर पदोन्नति के लिये वह पात्र हो, मौलिक या स्थानापन्न रूप में पदोन्नत नहीं किया जाना,
- (4) किसी ऐसे महासंघ सेवक को जो उच्चतर सेवा, ग्रेड या पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहा हो, इस आधार पर कि वह ऐसी उच्चतर सेवा, ग्रेड या पद के लिये अयोग्य समझा गया है या उसके आचरण से असम्बद्ध किसी प्रशासकीय आधार पर, निमतर सेवा, ग्रेड या पद पर प्रत्यावर्तित किया जाना,
- (5) किसी ऐसे महासंघ सेवक को, जो किसी अन्य सेवा, ग्रेड या पद पर परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया हो, उसकी नियुक्ति के निबन्धनों या ऐसी परिवीक्षा को शासित करने वाले नियमों तथा आदेशों के अनुसार परिवीक्षा की कालावधि के दौरान या उसके समाप्त होने पर उसकी स्थायी सेवा, ग्रेड या पद पर प्रत्यावर्तित किया जाना,
- (6) किसी ऐसे महासंघ सेवक की, जिसकी कि सेवाएँ ऐसे नियंत्रणाधीन किसी प्राधिकरण से उधार ली गई हों, सेवाओं का उस प्राधिकरण के अधिकार में पुनः रखा जाना जिससे कि ऐसे महासंघ सेवक की सेवाएँ उधार पर ली गई थीं,
- (7) किसी ऐसे महासंघ सेवक को, जिसकी अधिवार्षीकी या सेवा—निवृत्ति से संबंधित उपबन्धों के अनुसार अनिवार्यतः सेवा—निवृत्ति किया जाना,
- (8)
 - (क) परिवीक्षा पर नियुक्त महासंघ सेवक की सेवाओं का, उसकी परिवीक्षा की कालावधि के दौरान या अन्त में, उसकी नियुक्ति निबन्धनों के या ऐसी परिवीक्षा को शासित करने वाले नियमों तथा आदेशों के अनुसार या,
 - (ख) आगामी आदेश होने तक के लिये नियुक्त किये गये किसी अस्थायी महासंघ सेवक की सेवाओं का, इस आधार पर कि उसकी सेवाओं की अब आगे आवश्यकता नहीं है, या
 - (ग) महासंघ के अधीन नियोजित महासंघ सेवक की सेवाओं का ऐसे करार के निबन्धनों के अनुसार समाप्त कर दिया जाना ।

[Signature]
महासंघ नियम विभाग
संसदीय विभाग
संसदीय विभाग

[Signature]
अध्यक्ष
महासंघ नियम विभाग
संसदीय विभाग

(3) चतुर्थ श्रेणी की सेवा के सदस्यों के लिए दण्ड—

नियम-90 में उल्लिखित की गई शक्तियों के अतिरिक्त, चतुर्थ श्रेणी की सेवा के महासंघ सेवक पर छोटी-मोटी असावधानी करने, समय पर पालन न करने, आलस्य अथवा लघु प्रकार के वैसे ही दुराचरण के लिए (पचास रुपये) से अनाधिक जुर्माने की शास्ति भी नियुक्त प्राधिकारी या इस सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित की जा सकेगी ।

परन्तु किसी भी महासंघ सेवक पर किसी भी मास में अधिरोपित अधिकतम जुर्माना (पचास रुपये) रुपये से अधिक नहीं होगा ।

(4) अनुशासनिक प्राधिकारी—

(एक) किसी भी महासंघ सेवक पर नियम-90 में उल्लिखित की गई शक्तियों में से कोई भी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा ।

(दो) उपनियम (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किन्तु उपनियम (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियम-90 में उल्लिखित की गई शक्तियों में से कोई भी शास्ति —

(क) महासंघ के सदस्य पर, नियुक्त प्राधिकारी या इस सम्बन्ध में उल्लिखित किये गये प्राधिकारी द्वारा अथवा अध्यक्ष के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस सम्बन्ध में सशक्त किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा,

(ख) महासंघ के पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति पर, अध्यक्ष के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में उल्लिखित किये गये किसी प्राधिकारी द्वारा अथवा नियुक्त प्राधिकारी या इस सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित किये गये प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित की जा सकेगी ।

(तीन) इस नियम में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी —

नियम-90 (2) के खण्ड (पाँच) से खण्ड (नौ) तक में उल्लिखित की गई कोई भी शास्ति किसी भी ऐसे प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित नहीं की जायेगी जो नियुक्त प्राधिकारी के अधीनस्थ हो ।


K. K. Lal
General Secretary

15.12.2011


Dr. A. S. Chaturvedi
General Secretary

15.12.2011

91-

मुख्य शास्त्रियों अधिरोपित करने के लिये प्रक्रिया—

(1) नियम-90 (2) के खण्ड (पॉच) से खण्ड (नौ) तक में उल्लिखित की गई शास्त्रियों में से कोई भी शास्त्र अधिरोपित करने वाला कोई भी आदेश, इस नियमों उपबोधित की गई रीति में की गई जॉच के पश्चात ही दिया जायेगा, अन्यथा नहीं।

(2) जब कि अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय हो कि किसी महासंघ सेवक के विरुद्ध लगाये गये किसी अवचार या कदाचार के लांछन की सत्यता की जॉच करने के लिये आधार है, तो वह (अनुशासनिक प्राधिकारी) स्वयं उसकी जॉच कर सकेगा या जॉच करने के लिये किसी प्राधिकारी की नियुक्ति कर सकेगा :

स्पष्टीकरण— जहाँ अनुशासिक प्राधिकारी स्वयं जॉच कर रहा हो, वहाँ उपनियम (7) से (20) तक में तथा उपनियम (22) में जॉचकर्ता प्राधिकारी के प्रति किया गया कोई भी निर्देश अनुशासनिक प्राधिकार के प्रति किया गया निर्देश समझा जायेगा।

(3) जहाँ महासंघ सेवक के विरुद्ध इस नियम तथा नियम के अधीन जॉच करना प्रस्तावित हो, वहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी—

(एक) अवचार या कदाचार के लांछन की विषय-वस्तु को निश्चित पृथक् आरोप-पदों के रूप में लिखेगा या लिखवायेगा,

(दो) प्रत्येक आरोप-पद के समर्थन में अवचार या कदाचार के लांछनों का विवरण बतायेगा, जिसमें कि निम्नलिखित अन्तर्विष्ट होंगे—

(क) महासंघ सेवक द्वारा की गई स्वीकृति या स्वीकृति को सम्मिलित करते हुए समस्त सुसंगत तथ्यों का विवरण,

(ख) उन दस्तावेजों की सूची जिनके कि द्वारा तथा उन साक्षियों की सूची जिनके द्वारा आरोप-पदों का प्रमाणित किया जाना प्रस्तावित है।

(4) अनुशासनिक प्राधिकारी महासंघ सेवक को आरोप-पदों की अवचार या कदाचार के लांछनों के विवरण की और उन दस्तावेजों तथा साक्षियों की, जिनके द्वारा प्रत्येक आरोप-पद का प्रमाणित किया जाना प्रस्तावित है, सूची की एक प्रतिलिपि परिदित्त करवायेगा और महासंघ सेवक से यह अपेक्षा करेगा कि वह ऐसे समय के भीतर, जो कि उल्लिखित किया जाये, अपने प्रतिवाद का लिखित कथन प्रस्तुत कर और यह भी बतलाए कि क्या अब अपनी सुनवाई कराये जाने का इच्छुक है।

(5) (क) प्रतिवाद का लिखित कथन प्राप्त होने पर, अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं आरोप-पदों में से ऐसे आरोप-पदों की जो कि स्वीकार नहीं किये गये हो, जॉच कर सकेगा या उपनियम (2) के अधीन, उस प्रयोजन के लिये जॉचकर्ता प्राधिकारी की नियुक्ति कर सकेगा, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे और जहाँ समस्त आरोप-पद महासंघ सेवक द्वारा प्रतिपाद के अपने लिखित कथन में स्वीकार कर लिये गये हों, वहाँ अनुशासनिक प्राधिकार ऐसा साक्ष्य लेने के पश्चात्, जैसा कि वह उचित समझे, प्रत्येक आरोप के सम्बन्ध में अपना निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और नियम 15 में दी गई रीति में कार्य करेगा।

(ख) यदि महासंघ सेवक द्वारा, प्रतिवाद का कोई भी लिखित कथन प्रस्तुत न किया जाये, तो अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं आरोप-पदों की जाँच करेगा, या उपनियम (2) के अधीन उस प्रयोजन के लिये जाँचकर्ता प्राधिकारी की नियुक्ति कर सकेगा, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे ।

(ग) जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं किसी भी आरोप-पद की जाँच करे, या ऐसे आरोप की जाँच करने के लिये किसी जाँचकर्ता प्राधिकारी की नियुक्ति करे, तो वह आदेश द्वारा आरोप/पदों के समर्थन में अपनी ओर से मामला प्रस्तुत करने के लिये किसी महासंघ सेवक या विधि व्यवसायी को नियुक्त कर सकेगा जो कि “प्रस्तुतकर्ता पदाधिकारी” के नाम से जाना जायेगा ।

(6) अनुशासनिक प्राधिकारी, जहाँ कि वह स्वयं जाँचकर्ता प्राधिकारी न हो, वहाँ जाँचकर्ता पदाधिकारी को वह —

(1) आरोप-पदों की तथा अवचार या कदाचार के लांछनों के विवरण की प्रतिलिपि,

(2) महासंघ सेवक द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवाद के लिखित कथन की, यदि कोई हो, प्रतिलिपि,

(3) उपनियम (3) में निर्दिष्ट किये साक्षियों, यदि कोई हों, के विवरण की प्रतिलिपि,

(4) महासंघ सेवक को उपनियम (3) में निर्दिष्ट किये गये दस्तावेजों के परिदान को सिद्ध करने वाला साक्ष्य, और

(5) ‘प्रस्तुतकर्ता पदाधिकारी’ को नियुक्त करने वाले आदेश की प्रतिलिपि, अग्रेषित करेगा ।

(7) महासंघ सेवक, आरोप-पदों की तथा अवचार या कदाचार लांछनों के विवरण की प्राप्ति के दिनांक से 15 कार्य-दिवसों के भीतर ऐसे दिन तथा ऐसे समय पर, जिसकी जाँचकर्ता प्राधिकारी लिखित सूचना द्वारा इस सम्बन्ध में उल्लिखित करे, या दस दिन से अनाधिक ऐसे और समय के भीतर जैसा कि जाँचकर्ता प्राधिकारी अनुज्ञात करे, जाँचकर्ता प्राधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपसंजात होगा ।

(8) महासंघ सेवक अपनी ओर से मामला प्रस्तुत करने के लिये किसी अन्य महासंघ सेवक की सहायता ले सकेगा, किन्तु वह इस प्रयोजन के लिये किसी विधि-व्यवसायी को तब तक नहीं लगा सकेगा जब तक कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया प्रस्तुतकर्ता पदाधिकारी विधि-व्यवसायी न हो ।

अध्यक्ष
छ.ग. राज्य सहकारी दुम्ध महासंघ मर्या
द्धायपुर (छ.ग.)

- (9) यदि वह महासंघ सेवक, जिसने अपने प्रतिवाद के लिखित कथन में आरोप पदों में से किन्हीं भी आरोप-पदों को स्वीकार नहीं किया है, या प्रतिवाद का कोई भी लिखित कथन प्रस्तुत नहीं किया है, जॉचकर्ता प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित हो, तो ऐसा प्राधिकारी उससे पूछेगा कि क्या वह दोषी है या कोई प्रतिवाद करना चाहता है और यदि वह आरोप-पदों में से किसी भी आरोप-पद में का दोष स्वीकार करता है तो जॉचकर्ता प्राधिकारी उस अभिवचन (प्ली) को अभिलिखित करेगा, अभिलेख पर हस्ताक्षर करेगा और उस पर उस महासंघ सेवक के हस्ताक्षर करवायेगा।
- (10) जॉचकर्ता प्राधिकारी उन आरोप-पदों के सम्बन्ध में जिन्हें कि महासंघ सेवक स्वीकार करता है, दोषिता का निष्कर्ष देगा।
- (11) यदि महासंघ सेवक उल्लिखित समय के भीतर उपसंजात नहीं होता है या अभिवचन करने से इन्कार नहीं करता है या अभिवचन नहीं करता है, तो जॉचकर्ता प्राधिकारी, प्रस्तुतकर्ता पदाधिकारी से यह अपेक्षा करेगा कि वह ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करे जिसके द्वारा कि वह आरोप-पदों को सिद्ध करना प्रस्तावित करता हो, और उस मामले को, यह आदेश अभिलिखित करने के पश्चात् कि महासंघ सेवक, प्रतिवाद तैयार करने के प्रयोजन के लिये –
- (i) आदेश के दिनांक से पाँच दिन के भीतर या पाँच दिन से अनाधिक ऐसे और समय के भीतर, जिसकी कि जॉचकर्ता प्राधिकारी अनुज्ञा दे, महासंघ के ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकेगा, जिन्हें वह प्रतिवाद तैयार करने के लिए आवश्यक समझता है,
- (ii) अपनी ओर से पृच्छा किये जाने वाले साक्षियों की सूची प्रस्तुत कर सकेगा,

- टिप्पणी – यदि महासंघ सेवक अन्य किसी ऐसे दस्तावेज की, जो आरोपों से सम्बंधित हों, या साक्षियों के कथनों की यदि कोई हो, प्रतिलिपियों दिये जाने के लिये मौखिक रूप से या लिखित आवेदन करे, तो जांच प्राधिकारी उसे यथासंभव शीघ्र और किसी भी दशा में ऐसे समय पर, जो अनुशासिक प्राधिकारी की ओर से साक्षियों की पृच्छा प्रारंभ होने के तीन दिन से अधिक पश्चात् का न हो, ऐसी प्रतिलिपियों देगा।
- (iii) किन्हीं ऐसे दस्तावेजों का, जो कि महासंघ के अधिकार में है किन्तु सूची में वर्णित नहीं है, पता लगाने या उसे पेश करने के लिये, आदेश के दिनांक से दस दिन के भीतर अथवा दस दिन से अनाधिक ऐसे और समय के भीतर, जिसकी कि जॉचकर्ता प्राधिकारी अनुज्ञा दे, दे सकेगा।
- टिप्पणी – महासंघ सेवक उन दस्तावेजों की सुसंगति बतलायेगा जिसका कि महासंघ द्वारा पता लगाये जाने की या जिनके कि महासंघ द्वारा पेश किया जाने की उसने अपेक्षा की हो, ऐसे पश्चात्वर्ती दिनांक के लिये, जो कि तीस दिन से अधिक पश्चात् का न हो, स्थगित कर देगा।


अध्यक्ष
छ.ग. राज्य सहकारी दूष्प्रभासंघ एवं
संघरूप (संघरूप)

- (12) दस्तावेजों का पता लगाये जाने या उन्हें प्रस्तुत किये जाने के लिये सूचना प्राप्त होने पर, जॉचकर्ता प्राधिकारी उसे या उसकी प्रतिलिपियों को, उस प्राधिकारी की ओर जिसकी कि अभिरक्षा या कब्जे में दस्तावेज रखी हों, उन दस्तावेजों को ऐसे दिनांक तक, जो कि ऐसी अधियाचना में उल्लिखित किया जाय, पेश करने की अधियाचना के साथ अप्रेषित करेगा,

परन्तु जॉचकर्ता प्राधिकारी उसके द्वारा अभिलिखित किये जाने वाले कारणों के आधार पर उन दस्तावेजों में से ऐसे दस्तावेजों के लिये अधियाचना करने से इंकार कर सकेगा, जो कि उसकी राय में उस मामले से सुसंगत न हो ।


- (13) उपनियम (12) में निर्दिष्ट अधियाचना के प्राप्त होने पर ऐसा प्रत्येक प्राधिकारी, जिसकी अभिरक्षा या कब्जे में अधियाचना दस्तावेजें है उन्हें जॉचकर्ता प्राधिकारी के समक्ष पेश करेगा,

परन्तु यदि उस प्राधिकारी का, जिसकी कि अभिरक्षा या कब्जे में अधियचित दस्तावेजें है उसके द्वारा अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, उसे यह समाधान हो जाय कि ऐसे समस्त दस्तावेजों या उसमें से किसी भी दस्तावेज का पेश किया जाना लोकहित या महासंघ की सुरक्षा के विरुद्ध होगा, तो वह जॉचकर्ता प्राधिकारी को तदनुसार सूचित करेगा और जॉचकर्ता प्राधिकारी, इस प्रकार सूचित किये जाने पर, महासंघ सेवक को यह जानकारी संसूचित करेगा और ऐसे दस्तावेज के पेश किये जाने या उनका पता लगाये जाने के लिये उसके द्वारा की गई अधियाचना को वापस ले लें ।

- (14)  जॉच करने के लिये नियत किये गये दिनांक को, वह मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य, जिसके कि द्वारा आरोप पदों का सिद्ध किया जाना प्रस्तावित है, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा या उसकी ओर से पेश की जायेगी, साक्षियों की पृच्छा प्रस्तुतकर्ता पदाधिकारी द्वारा या उसकी ओर से की जायेगी और महासंघ सेवक द्वारा या उसकी ओर से उनकी प्रतिपृच्छा की जा सकेगी, प्रस्तुतिकर्ता पदाधिकारी साक्षियों की पुनः पृच्छा ऐसे किन्हीं भी बिन्दुओं पर, जिन पर कि उनकी प्रतिपृच्छा की गई हो, करने का हकदार होगा, किन्तु जॉचकर्ता अधिकारी के इजाजत के बिना किसी भी नवीन विषय पर पुनः पृच्छा करने का हकदार नहीं होगा । जॉचकर्ता अधिकारी, साक्षियों से ऐसे प्रब्ल भी पूछ सकेगा जिन्हें कि वह उचित समझे ।

- (15) अनुशासिक प्राधिकारी की ओर से मामले को समाप्त किये जाने के पूर्व यदि वह आवश्यक प्रतीत हो, तो जॉचकर्ता प्राधिकारी, स्वविवेक से, प्रस्तुतकर्ता पदाधिकारी को ऐसा साक्ष्य, जो कि महासंघ सेवक को दी गई सूची में सम्मिलित नहीं किया गया था, पेश करने की अनुज्ञा दे सकेगा या वह स्वयं नवीन साक्ष्य मांग सकेगा या किसी भी साक्ष्य को पुनः बुला सकेगा तथा उसकी पुनः पृच्छा कर सकेगा और ऐसे मामले में महासंघ सेवक, आगे पेश की जाने के लिये प्रस्तावित और साक्ष्य की सूची की प्रतिलिपि, यदि वह उसकी मांग करे, प्राप्त करने का, और ऐसा नवीन साक्ष्य पेश किये जाने के पूर्व स्थगन का दिन तथा वह दिन, जिसके लिये कि जॉच स्थगित की गई हो, छोड़कर, पूरे तीन दिन के लिये उस जॉच को स्थगित करवाने का हकदार होगा । जॉचकर्ता प्राधिकारी, महासंघ सेवक को ऐसे दस्तावेजों को, अभिलेख में उनके सम्मिलित किये जाने के पूर्व, निरीक्षण करने का अवसर देगा । यदि जॉचकर्ता प्राधिकारी की यह राय हो कि नवीन साक्ष्य का प्रस्तुत किया जाना चाहिए के हित में आवश्यक है, तो वह महासंघ सेवक को ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।


दृष्टव्य संसद
डॉ. जयबन पटेल साक्ष्य सभा
ठाकुर शिला-पुर्ण (डॉ.)


अधिकारी
डॉ. जयबन पटेल साक्ष्य सभा
ठाकुर शिला-पुर्ण (डॉ.)

टिप्पणी—

साक्ष्य में कोई कमी पूरी करने के लिये नवीन साक्ष्य की न तो अनुज्ञा दी जायेगी, नवीन साक्ष्य मँगवाया जायगा और न ही किसी साक्षी को पुनः बुलाया जायेगा । ऐसा साक्ष्य तभी मँगाया जायगा जबकि मूलतः प्रस्तुत किये गये साक्ष्य में अन्तर्भूत न्यूनता या त्रुटि हो ।

- (16) जब अनुशासनिक प्राधिकारी का उसका अपना पक्ष समाप्त हो जाय, जब महासंघ सेवक से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह अपना प्रतिवाद मौखिक या लिखित में, जैसा कि वह अधिक पसन्द करे, वर्णित करे । यदि प्रतिवाद मौखिक रूप में किया जाता है, तो वह अभिलिखित किया जायगा और महासंघ सेवक से यह अपेक्षा की जायगी कि वह उस अभिलेख पर हस्ताक्षर करे, दोनों में से किसी भी मामले में और प्रतिवाद के कथन की प्रतिलिपि, नियुक्त किये गये प्रस्तुतकर्ता पदाधिकारी को, यदि कोई हो, दी जायेगी ।
- (17) तदनन्तर महासंघ सेवक की ओर से साक्ष्य पेश किया जायेगा, यदि वह ऐसा करना अधिक पसन्द करे तो महासंघ सेवक अपनी ओर से स्वयं भी पृच्छा कर सकेगा । तदनन्तर, महासंघ सेवक द्वारा पेश किये गये साक्षियों की पृच्छा की जायेगी और वे साक्षीगण इस बात के दायित्वाधीन होंगे कि जॉचकर्ता प्राधिकारी द्वारा उनकी प्रतिपृच्छा, पुनः पृच्छा तथा पृच्छा अनुशासनिक प्राधिकारी के पक्ष के साक्षियों को लागू होने वाले के अनुसार की जाय ।
- (18) ~~परिस्थितियों पर~~ उससे साधारणतः प्रश्न कर सकेगा और उपर्युक्त रूप में साधारणतः प्रश्न तब करेगा जबकि महासंघ सेवक ने स्वयं पृच्छा न की हो ।
- (19) जॉचकर्ता प्राधिकारी, साक्ष्य का पेश किया जाना पूर्ण हो जाने के पश्चात्, नियुक्त किये गये प्रस्तुतकर्ता प्राधिकारी की, यदि कोई हो, तथा महासंघ सेवक की सुनवाई कर सकेगा या उन्हें अपने—अपने मामले का लिखित निश्चय (ब्रीफ) फाइल करने की, यदि वे ऐसा करना चाहें, अनुज्ञा देगा ।
- (20) यदि महासंघ सेवक जिसे आरोप—पदों की प्रतिलिपि परिदत्त की गई है, प्रतिवाद का लिखित कथन उस प्रयोजन के लिये उल्लिखित किये गये दिनांक को या उसके पूर्व प्रस्तुत नहीं करता है, या जॉचकर्ता प्राधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थित नहीं होता है या इस नियम के उपबन्धों का पालन करने में अन्य प्रकार से असफल रहता है या वैसा करने से इन्कार करता है तो जॉचकर्ता प्राधिकारी एकपक्षीय जॉच कर सकेगा ।
- (21) (क) जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी ने, जो कि नियम—90 (1) के खण्ड (एक) से (चार) तक में उल्लिखित की गई शास्तियों में से किसी भी शास्ति को अधिरोपित करने के लिये सक्षम हो, किन्तु जो नियम—90 (2) के खण्ड (पाँच) से (नौ) तक में उल्लिखित की गई शास्तियों में से किसी भी शास्ति को अधिरोपित करने के लिये सक्षम न हो, किसी भी आरोप के पदों की जॉच स्वयं की हो या करवाई हो और उस प्राधिकारी की, अपने या स्वयं के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए उसके द्वारा नियुक्त किये गये किसी जॉचकर्ता प्राधिकारी के निष्कर्ष में से किसी भी निष्कर्ष पर अपने विनिश्चय को ध्यान में रखते हुए यह राय हो कि नियम—90 (2) के खण्ड (पाँच) से (नौ) तक में उल्लिखित की गई शास्तियों महासंघ सेवक पर अधिरोपित की जानी चाहिए, तो वह प्राधिकारी जॉच के अभिलेख ऐसे अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से अग्रेषित करेगा जो कि वर्णित शास्तियों को अधिरोपित करने के लिये सक्षम हो ।

राज्य साक्षी दुष्ट महासंघ सर्वे
राज्यपुरुष (छु.ग.)

अध्यक्ष
छ.ग. राज्य साक्षी दुष्ट महासंघ सर्वे
राज्यपुरुष (छु.ग.)

(ख) वह अनुशासनिक प्राधिकारी, जिसको कि अभिलेख इस प्रकार से अग्रेषित किये गये हैं अभिलेख के साक्ष्य पर कार्यवाही कर सकेगा या यदि उसकी यह राय हो कि साक्षियों में से किसी भी साक्षी की और पृच्छा न्याय हित में आवश्यक है तो उस साक्षी को पुनः बुला सकेगा और उस साक्षी की पृच्छा, प्रतिपृच्छा और पुनः पृच्छा कर सकेगा और महासंघ सेवक पर ऐसी शारित अधिरोपित कर सकेगा जिसे कि वह इन नियमों के अनुसार उचित सकझे ।

(22) जब कभी कोई जॉचकर्ता प्राधिकारी किसी जॉच में पूरे साक्ष्य या उसके किसी भाग की सुनवाई करने तथा उसे अभिलिखित करने के पश्चात्, उसमें क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना बन्द कर दे, और उसका उत्तराधिकारी होकर कोई अन्य ऐसा जॉचकर्ता प्राधिकारी आये, जिसे ऐसा क्षेत्राधिकार प्राप्त है और जो ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है तो इस प्रकार उत्तराधिकारी होकर आने वाला जॉचकर्ता प्राधिकारी अपने पूर्ववर्ती द्वारा इस प्रकार अभिलिखित किये गये और अंशतः अपने पूर्ववर्ती द्वारा अभिलिखित किये गये और अंशतः स्वयं द्वारा अभिलिखित किये गये साक्ष्य पर कार्यवाही कर सकेगा ।

परन्तु यदि उत्तरवर्ती जॉचकर्ता प्राधिकारी की यह राय हो कि उन साक्षियों में से जिनका कि साक्ष्य पूर्व में ही अभिलिखित किया जा चुका है किसी भी साक्षी की ओर से पृच्छा न्याय के हित में आवश्यक है तो उसमें पूर्व उपबंधित किये गये अनुसार किन्हीं भी ऐसे साक्षियों को पुनः बुला सकेगा, उनकी पृच्छा, प्रति-पृच्छा कर सकेगा ।

(23) (एक) जॉच समाप्त होने के पश्चात एक रिपोर्ट तैयार की जायेगी और उसमें-

- (क) आरोप-पद तथा अवचार के लांछनों का विवरण,
- (ख) प्रत्येक आरोप-पद के सम्बन्ध में महासंघ सेवक का प्रतिवाद,
- (ग) प्रत्येक आरोप-पद के सम्बन्ध में साक्ष्य का निर्धारण,
- (घ) प्रत्येक आरोप-पद पर निष्कर्ष और उनके कारण, अन्तविष्ट होंगे ।

स्पष्टीकरण— यदि जॉचकर्ता प्राधिकारी की राय में, जॉच की कार्यवाहियों से मूल आरोप-पदों से भिन्न कोई आरोप-पद सिद्ध होता है, तो वह ऐसे आरोप-पद पर अपने निष्कर्ष अभिलिखित कर सकेगा,

परन्तु ऐसे आरोप-पद पर निष्कर्ष तब तक अभिलिखित नहीं किये जायेंगे जब तक कि महासंघ सेवक या तो उन तथ्यों को, जिन पर ऐसा आरोप-पद आधारित है, स्वीकार न कर ले या उसे ऐसे आरोप-पद के विरुद्ध अपना बचाव करने के लिये युक्तियुक्त अवसर प्राप्त न हो ।

(दो) जॉचकर्ता प्राधिकारी जहाँ वह स्वयं अनुशासनिक प्राधिकारी न हो, अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से जॉच के अभिलेख भेजेगा, जिसमें—

Dr.
अध्यक्ष
महासंघ सेवक
(पंडित रामलाल)

- (क) खण्ड (एक) के अधीन उसके द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट,
- (ख) महासंघ सेवक द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रतिवाद का लिखित कथन, यदि कोई हो,
- (ग) जॉच के कम में पेश किया गया मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य,
- (घ) जॉच के दौरान प्रस्तुतकर्ता प्राधिकारी या महासंघ सेवक द्वारा या दोनों के द्वारा फाइल किये गये लिखित निश्चय (ब्रीफ), यदि कोई हो, और
- (ङ) जॉच के सम्बन्ध में अनुशासनिक प्राधिकारी तथा जॉचकर्ता प्राधिकारी द्वारा दिये गये आदेश, यदि कोई हो, सम्मिलित होंगे।

92— जॉच रिपोर्ट पर कार्यवाही —

- (1) अनुशासनिक प्राधिकारी, यदि वह स्वयं जॉचकर्ता प्राधिकारी न हो, उसके द्वारा अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, उस मामले को जॉचकर्ता प्राधिकारी की ओर और जॉच तथा रिपोर्ट के लिए, भेज सकेगा और जॉचकर्ता प्राधिकारी तदुपरान्त, जहाँ तक हो सके, नियम 14 के उपलब्धों के अनुसार और जॉच करने के लिये अग्रसर होगा।
- (2) अनुशासनिक प्राधिकारी, यदि वह किसी आरोप—पद जॉचकर्ता प्राधिकारी के निष्कर्षों से अहसमत हो, ऐसी असहमति के लिये अपने कारण अभिलिखित करेगा और ऐसे आरोप पर अपने स्वयं के निष्कर्ष अभिलिखित करेगा, यदि अभिलेख में साक्ष्य उस प्रयोजन के लिये पर्याप्त हो।
- (3) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की, समस्त आरोप—पदों या किसी भी आरोप—पद पर के अपने निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुये, यह राय हो कि मैं उल्लेखित की गई शास्तियों में से कोई भी शास्ति महासंघ सेवक पर अधिरोपित की जाय, तो वह ऐसी शास्ति अधिरोपित करने वाला आदेश देगा किन्तु ऐसा करते समय वह कारणों को लेखबद्ध करेगा।

छ.ग. राज्य संघ शुद्ध महासंघ सर्व[ि]
उपरान्त विभाग-दुर्घ (छ.ग.)

छ.ग. राज्य संघकर्ता शुद्ध महासंघ राज्य
उपरान्त विभाग (छ.ग.)

93— लघु शास्त्रियों अधिरोपित करने के लिये प्रक्रिया —

- (1) महासंघ सेवक पर, नियम-90 (1) में उल्लिखित की गई शास्त्रियों में से किसी भी शास्त्रि को, अधिरोपित करने वाला कोई आदेश —
- (क) महासंघ सेवक को, उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के प्रस्ताव की तथा ऐसी आचार या कदाचार के उन लांछनों की, जिनके आधार पर कि वह कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है, लिखित सूचना दिये जाने के, और ऐसा अभ्यावेदन, जिसे कि वह उस प्रस्ताव के विरुद्ध करना चाहे, करने के लिये युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के,
- (ख) ऐसे प्रत्येक मामले में, जिसमें कि अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय यह हो कि ऐसी जाँच आवश्यक है, इन नियमों में विहित की गई रीति में जाँच करने के,
- (ग) महासंघ सेवक द्वारा दिये गये अभ्यावेदन, यदि कोई हो तथा की गई जाँच, यदि कोई हो, के अभिलेख पर विचार करने के,
- (घ) अवचार या कदाचार के प्रत्येक लांछन पर निष्कर्ष अभिलिखित करने के पश्चात् ही दिया जाएगा, अन्यथा नहीं ।
- (1-क) उपनियम (1) के खण्ड (ख) में अन्तविष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी मामले में महासंघ सेवक द्वारा, उक्त उपनियम के खण्ड (क) के अधीन किये गये अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् वेतन वृद्धियों रोका जाना प्रस्तावित किया जाए और ऐसी वेतन वृद्धियों रोके जाने से महासंघ सेवक को देय पेंशन की रकम प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो या तीन वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए वेतनवृद्धियों रोका जाना हो या किसी कालावधि के लिए संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धियों रोका जाना हो, तो महासंघ सेवक पर किसी शास्त्रि का अधिरोपित करने वाला कोई आदेश करने के पहले नियम 14 के उपनियम (3) से (23) तक में उल्लिखित रीति में ऐसी जाँच की जाएगी ।

- (2) ऐसे मामलों में कार्यवाहियों के अभिलेख में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :—
- (i) महासंघ सेवक के विरुद्ध कार्यवाही करने के प्रस्ताव के ज्ञापन की, जो कि उस महासंघ सेवक को दिया गया हो, प्रतिलिपि,
- (ii) उसको दिये गये अवचार या कदाचार के लांछनों के विवरण की प्रतिलिपि, जो कि उसको परिदत्त की गई हो,

महासंघ सेवक को अधिरोपित करने के लिये प्रतिलिपि
उपर्युक्त नियम-90 (1)

महासंघ सेवक को अधिरोपित करने के लिये प्रतिलिपि
उपर्युक्त नियम-90 (1)

- (III) उसका अभ्यावेदन, यदि कोई हो,
- (IV) जॉच के दौरान पेश किया गया साक्ष्य,
- (V) अध्यक्ष की मंत्रणा, यदि कोई हो,
- (VI) अवचार या कदाचार के प्रत्येक लांछन पर निष्कर्ष, और
- (VII) मामले में दिये गये आदेश, उनके कारणों सहित ।

94— आदेशों का संसूचित किया जाना—

अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा दिये गये आदेश महासंघ सेवक को संसूचित किये जायेंगे और उसे अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा की गई जॉच की यदि कोई हो, रिपोर्ट की प्रतिलिपियाँ, आरोप के प्रत्येक पद पर उसके निष्कर्ष की प्रतिलिपि या जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी जॉचकर्ता अधिकारी न हो, वहाँ जॉचकर्ता अधिकारी की रिपोर्ट की प्रतिलिपि तथा अनुशासनिक प्राधिकारी के निष्कर्षों का विवरण उसकी असहमति के यदि कोई हो, संक्षिप्त कारणों सहित तथा जॉचकर्ता अधिकारी के निष्कर्ष (यदि वे उसको पूर्व में न दिये गये हों) सहित तथा अध्यक्ष द्वारा की गई मंत्रणा की, यदि कोई हो, प्रतिलिपि, और जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी अध्यक्ष की मंत्रणा प्रतिग्रहीत न की गई हो वहाँ ऐसे प्रतिग्रहण के कारणों का संक्षिप्त विवरण भी दिया जायेगा ।

95— संयुक्त कार्यवाही —

- (1) जहाँ किसी मामले में दो या अधिक महासंघ सेवक संबंधित हों, वहाँ या कोई अन्य प्राधिकारी, जो कि ऐसे समस्त महासंघ सेवकों पर सेवा से पदच्युत करने की शास्ति अधिरोपित करने के लिये सक्षम हो, यह निर्देश देते हुये आदेश दे सकेगा कि उन समस्त महासंघ सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही सामान्य कार्यवाही के रूप में की जा सकेगी,

टिप्पणी— यदि ऐसे महासंघ सेवकों पर पदच्युति की शास्ति अधिरोपित करने के लिये सक्षम प्राधिकारी भिन्न-भिन्न हों, तो सामान्य कार्यवाही में अनुशासनिक कार्यवाही करने का आदेश ऐसे प्राधिकारियों में से उच्चतम प्राधिकारी द्वारा दिया जा सकेगा ।

- (2) नियम 12 के उपनियम (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसे किसी आदेश में निम्नलिखित बातें उल्लिखित की जायेंगी :—

- (I) वह प्राधिकारी, ऐसी सामान्य कार्यवाही प्रयोजन के लिये अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य कर सकेगा,
- (II) नियम-90 में उल्लिखित की गई शास्तियाँ जिन्हें अधिरोपित करने के लिये अनुशासनिक प्राधिकारी सक्षम होगा, और

[Signature]

महासंघ
प्राधिकारी

...60...

(iii) यह कि क्या नियम 14 तथा नियम 15 तथा नियम 16 में दी गई प्रक्रिया का कार्यवाही में अनुसरण किया जायेगा ।

96— कतिपय मामलों में विशेष प्रक्रिया—

नियम 14 से नियम 18 तक में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी —

- (i) जहाँ किसी महासंघ सेवक पर, ऐसे आचरण के आधार पर, जिसके परिणामस्वरूप उसे किसी दाण्डिक आरोप के सम्बन्ध में सिद्धरोष ठहराया गया हो, कोई शारित अधिरोपित की गई हो, या
- (ii) जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी या उसके द्वारा अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से यह समाधान हो जाये कि इन नियमों में उपबंधित की गई रीति में जॉच करना युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य नहीं है, या
- (iii) जहाँ अध्यक्ष का समाधान हो जाय कि दुर्घ महासंघ की सुरक्षा के हित में, इन नियमों में उपबंधित की गई रीति में कोई जॉच करना ईष्टकर नहीं है, वहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी मामले में परिस्थितियों पर विचार कर सकेगा और उस पर ऐसे आदेश दे सकेगा, जैसे कि वह उचित समझे, परन्तु इस नियम के अधीन किसी भी मामले में कोई आदेश देने के पूर्व, अध्यक्ष से परामर्श किया जाएगा जहाँ कि ऐसा परामर्श आवश्यक हो ।


छ.ग. राज्य सहकारी दुर्घ महासंघ मर्यादा
मामला, जिला-दुर्घ (छ.ग.)


अध्यक्ष
छ.ग. राज्य सहकारी दुर्घ महासंघ मर्यादा
मामला, जिला-दुर्घ (छ.ग.)

(भाग-7) अपील

१७— अपील—

(1) आदेश जिसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होती है —

इस भाग में अन्तविष्ट किसी बात के होते हुए भी —

(i) अध्यक्ष द्वारा दिये गये किसी भी आदेश,

(ii) कोई भी ऐसा आदेश जो अन्तः कालीन रूप का या किसी अनुशासनिक कार्यवाही के अंतिम निपटारे के लिये सहायक उपाय के स्वरूप का हो,

(ii)-क) नियम 11 के अधीन दिये गये किसी आदेश के,

(iii) नियम 14 के अधीन जॉच "के" अनुक्रम में जॉचकर्ता प्राधिकारी द्वारा पारित किये गये किसी आदेश,

(iv) (अपीलीय प्राधिकारी के रूप में न्यायालय द्वारा पारित किया गया कोई आदेश) के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी।

(2) आदेश जिनके विरुद्ध अपील हो सकेगी —

महासंघ सेवक निम्नलिखित सभी आदेशों के या उनमें से किसी भी आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेगा, अर्थात् —

(i) नियम-90 में उल्लिखित शास्तियों में से किसी भी शास्ति को अधिरोपित करने वाला आदेश, चाहे वह अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा या किसी अपीलीय पुनर्विलोकन प्राधिकारी द्वारा दिया गया हो,

(ii) नियम-90 के अधीन अधिरोपित की गई किसी भी शास्ति में वृद्धि करने वाला आदेश,

(iii) नियम-89 के अधीन निलम्बन किया जाने या निलम्बन किया गया माना जाने का आदेश।


डॉ. राजेन्द्र सिंह द्वारा दिया गया
निलम्बन किया गया (जुलाई २०१८)


अशोक
छ.ग. राज्य सहकारी दुष्प्रभाव समर्पण
झारखण्ड (झुम्ब.)

स्पष्टीकरण— इस नियम में अभिव्यक्ति “महासंघ सेवक” में वह व्यक्ति भी सम्मिलित है, जो अब महासंघ सेवा में नहीं रहा है ।

(3) अपीलीय प्राधिकारी (1)महासंघ सेवक, जिसमें ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है जो अब महासंघ सेवा में नहीं रहा है, नियम 23 में उल्लिखित समस्त आदेशों के या उसमें से किसी भी आदेश के विरुद्ध अपील उस प्राधिकारी को, जो कि या तो अनुसूची में या अध्यक्ष के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस सम्बन्ध में उल्लिखित किया गया हो या जहाँ ऐसा कोई प्राधिकारी उल्लिखित नहीं किया गया हो, तो वह—

(i) जहाँ ऐसा महासंघ सेवक प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी महासंघ सेवा का सदस्य हो या था या प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी की किसी पद का धारक हो या था—

(क) नियुक्ति प्राधिकारी को, जहाँ ऐसा आदेश, जिसके कि विरुद्ध अपील की गई है, उसके अधीनस्थ प्राधिकारी ने दिया हो, या

(ख) अध्यक्ष को, जहाँ ऐसा आदेश किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा दिया गया हो,

(ii) जहाँ ऐसा महासंघ सेवक तृतीय या चतुर्थ श्रेणी की सेवा का सदस्य हो या था या तृतीय श्रेणी या चतुर्थ श्रेणी के पद का धारक हो या था, वहाँ उस प्राधिकारी को, जिसके कि ठीक अधीनस्थ वह प्राधिकारी हो जिसने कि वह आदेश दिया हो जिसके विरुद्ध अपील की गई हो, कर सकेगा ।

(2) उपनियम—(3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी—

(i) नियम—95 के अधीन की गई किसी संयुक्त कार्यवाही के किसी आदेश के विरुद्ध अपील उस प्राधिकारी को होगी जिसके कि ठीक अधीनस्थ वह प्राधिकारी हो जो उस कार्यवाही के प्रयोजन के लिये अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य कर रहा हो,

(ii) जहाँ वह व्यक्ति जिसने वह आदेश दिया हो, जिसके कि विरुद्ध अपील की गई है, अपनी पश्चात्वर्ती नियुक्ति के आधार पर या अन्यथा, ऐसे आदेश के सम्बन्ध में अपीलीय प्राधिकारी हो जाये, वहाँ ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील उस प्राधिकारी को होगी जिसके कि ठीक अधीनस्थ ऐसा व्यक्ति हो ।

(4) अपीलों के लिये कालावधि—

इस भाग के अधीन की गई कोई भी आपत्ति तब तक ग्रहण नहीं की जायेगी जब तक कि ऐसी अपील उस दिनांक से, जिसको कि अपीलार्थी को उस आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, प्रतिलिपि दी गई है, पैतालीस दिन की कालावधि के भीतर न की जाये,

परन्तु अपीलीय प्राधिकारी उक्त कालावधि के समाप्त होने के पश्चात्, भी अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाये कि अपीलार्थी के पास, समय पर न प्रस्तुत करने का पर्याप्त कारण था ।

Deshpal
अप्रृष्ट अधिकारी
महासंघ सेवक

Bhagat Singh
अप्रृष्ट अधिकारी
महासंघ सेवक

(5) अपील का प्रारूप तथा उसकी विषय-वस्तु :

- (i) अपील करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपील पृथक रूप से तथा अपने स्वयं के नाम से करेगा ।
- (ii) अपील उस प्राधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी जिसको कि अपील होती है, अपील की एक प्रतिलिपि अपीलार्थी द्वारा उस प्राधिकारी को अग्रेषित की जायेगी जिसने कि वह आदेश दिया हो जिसके विरुद्ध अपील की गई है, उसमें वे समस्त कथन तथा तर्क अन्तर्विष्ट होंगे जिन पर कि वह निर्भर हो, उसमें कोई भी असम्मानपूर्ण या अनुचित भाषा नहीं होगी तथा वह स्वमेव पूर्ण होगी ।
- (iii) वह प्राधिकारी जिसने ऐसा आदेश दिया है, जिसके कि विरुद्ध अपील की गई है, अपील की एक प्रति प्राप्त होने पर, वह उस पर अपनी टिप्पणी के साथ सुसंगत अभिलेखों के साथ, परिहार्य विलम्ब के बिना तथा अपीलीय प्राधिकारी से किसी निर्देश की प्रतीक्षा के बिना, अपीलीय प्राधिकारी की ओर अग्रेषित करेगा ।

(6) अपील पर विचार-

- (i) निलम्बन आदेश के विरुद्ध की गई अपील के प्रकरण में, अपीलीय प्राधिकारी विचार करेगा कि नियम 9 प्रावधानों के प्रकाश में तथा प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निलम्बन का आदेश न्यायोचित है अथवा नहीं और तदनुसार उस आदेश की पुष्टि अथवा प्रतिसंहरण करेगा ।
- (ii) नियम 10 में उल्लिखित शास्त्रियों में से कोई भी शास्त्र अधिरोपित करने वाले या उक्त नियम के अधीन अधिरोपित की गई किसी शास्त्र में वृद्धि करने वाले आदेश के विरुद्ध की गई अपील के मामले में, अपीलीय प्राधिकारी यह विचार करगा कि -
- (क) क्या इन नियमों में दी गई प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है, यदि नहीं तो क्या ऐसा अनुपालन न किया जाने के परिणामस्वरूप भारत के संविधान के किन्हीं उपबन्धों का प्रतिक्रमण हुआ है अथवा न्याय विफल हुआ है ।
- (ख) क्या अनुशासनिक प्राधिकारी के निष्कर्ष अभिलेख पर के साक्ष्य द्वारा प्रमाणित है, और
- (ग) क्या अधिरोपित की गई शास्त्र या बढ़ाई गई शास्त्र पर्याप्त, अपर्याप्त अथवा कठोर है, तथा
- (i) शास्त्र की पुष्टि करने, उसमें वृद्धि करने, उसमें कमी करने अथवा उसे अपास्त करने के, या
- (ii) उस मामले को ऐसे प्राधिकारी की ओर, जिसने कि शास्त्र अधिरोपित की है या उसमें वृद्धि की हो या किसी अन्य प्राधिकारी की ओर, ऐसे निर्देश सहित, जैसे कि वह मामले की परिस्थितियों पर विचार कर उचित समझे, भेजने के आदेश पारित करेगा,

परन्तु-

- (i) उन समस्त मामलों में महासंघ के अध्यक्ष से परामर्श किया जायेगा जहाँ कि ऐसा परामर्श आवश्यक है,
- (ii) यदि बढ़ाई गई शास्ति, जिसे अधिरोपित करना अपीलीय प्राधिकारी प्रस्तावित करे नियम-90 (2) के खण्ड (पॉच) से (नौ) तक में उल्लिखित की गई शास्तियों में से एक शास्ति हो तथा मामले में जॉच पूर्व में न की गई हो तो अपीलीय प्राधिकारी, ऐसी जॉच करेगा या यह निर्देष देगा कि ऐसी जॉच नियम 14 के उपेक्षणों के अनुसार की जाये और उसके पश्चात् ऐसी जॉच की कार्यवाहियों पर विचार करके ऐसे आदेश देगा जैसे कि वह उचित समझे,
- (iii) यदि बढ़ाई गई शास्ति, जिसे अधिरोपित करना, अपीलीय प्राधिकारी प्रस्तावित करे, नियम-90 (2) के खण्ड (पॉच) से (नौ) तक में उल्लिखित की गई शास्तियों में से एक शास्ति है, तथा मामले में जॉच पूर्व में ही कर ली गई हो तो अपीलीय प्राधिकारी अपीलार्थी को प्रस्तावित की गई शास्ति के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसा आदेश देगा जैसा कि वह उचित समझे, और
- (iv) बढ़ाई गई शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई भी आदेश किसी भी अन्य मामले में तब तक नहीं दिया जायेगा, जब तक कि अपीलार्थी को, ऐसी बढ़ाई गई शास्ति के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर, नहीं दे दिया गया हो।

(7) अपील में दिये गये आदेशों की कार्यान्वित –

वह प्राधिकारी, जिसने ऐसा आदेश दिया है जिसके कि विरुद्ध अपील की गई है, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित किये गये आदेशों को प्रभावी बनायेगा।


छ.ग. राजेन्द्र सह. राय महासंघ मर्यादा
चरला, लिला-उपर्युक्त (छ.ग.)


अध्यक्ष
छ.ग. राजेन्द्र सहकारी दुर्ग महासंघ मर्यादा
रायपुर (छ.ग.)


98—प्रकीर्ण

(1) आदेशों, सूचनाओं आदि की अपील—

इन नियमों के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश या जारी की गई प्रत्येक सूचना तथा अन्य आदेशिका की तामील संबंधित महासंघ सेवक पर व्यक्तिगत की जायेगी या वह उसे रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा संसूचित की जायेगी ।


(2) समयावधि को शिथिल करने तथा विलम्ब को दरगुजर करने की शक्ति—

इन नियमों में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित अवस्था को छोड़कर, इन नियमों के अधीन कोई आदेश देने के लिये सक्षम प्राधिकारी, अच्छे तथा पर्याप्त कारणों से या पर्याप्त कारण दर्शाये जाने पर, इन नियमों के अधीन किये जाने के लिए अपेक्षित किसी भी बात के लिये इन नियमों में उल्लिखित किये गये समय में वृद्धि कर सकेगा ।


दृष्टि राज्य सहकारी दुम्भ महासंघ मरव
दृष्टि राज्य सहकारी दुम्भ महासंघ मरव


अध्यक्ष

छ.ग. राज्य सहकारी दुम्भ महासंघ मरव
दृष्टि राज्य सहकारी दुम्भ महासंघ मरव (छ.ग.)



99— निरसन तथा व्यावृत्ति—

(1) जहाँ तक कि वे इन नियमों से असंगत हैं, एतद् द्वारा निरस्त किये जाते हैं :

परन्तु यह कि—

(क) ऐसे निरसन का उक्त नियमों के पूर्व प्रवर्तन पर या दिये गये आदेश या की गई किसी बात या की गई किसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा,

(ख) उक्त नियमों के अधीन कोई भी ऐसी कार्यवाहियाँ, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय लंबित हों, चालू रखी जायेंगी तथा जहाँ तक हो सके इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार उसी प्रकार निपटाई जायेंगी मानों कि ऐसी कार्यवाहियाँ इन नियमों के अधीन कार्यवाहियाँ हों ।

(2) इन नियमों में की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसकों कि ये नियम लागू होते हैं, अपील के किसी ऐसे अधिकार से वंचित करती है जो कि उसे इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों, अधिसूचनाओं या आदेशों के अधीन प्राप्त हुआ था ।

(3) इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, ऐसे प्रारंभ होने के पूर्व दिये गये आदेश के विरुद्ध लंबित किसी भी अपील पर इन नियमों के अनुसार उसी प्रकार विचार किया जायेगा तथा उस पर आदेश उसी प्रकार दिये जायेंगे मानों कि ऐसे आदेश इन नियमों के अधीन किये गये थे तथा अपील इन नियमों के अधीन की थी ।

(4) इन नियमों के प्रारंभ के समय से, ऐसे प्रारंभ के पूर्व दिये गये किन्हीं आदेशों के विरुद्ध कोई भी अपील इन नियमों के अधीन उसी प्रकार की जायेगी मानों कि ऐसे आदेश इन नियमों के अधीन दिये गये थे ।

परन्तु इन नियमों की किसी भी बात का अर्थ यह नहीं लगाया जायगा कि वह किसी अपील के लिये किसी अवधि में, जो कि इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व प्रवृत्त किसी नियम द्वारा उपबंधित की गई हो, कमी करती है ।

100— शंकाओं का निवारण—

यदि इन नियमों के उपबन्धों में से किसी भी उपबन्ध के निर्वचन के सम्बन्ध में कोई शंका उत्पन्न हो, तो मामला पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ को या ऐसे अन्य प्राधिकारी को, जो कि पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ द्वारा किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उल्लिखित किया जाय, निर्देशित किया जायगा और पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ या ऐसा अन्य प्राधिकारी उसे विनिश्चित करेगा ।

ए.स. राज्य सहकारी दुर्योग भवानीपद वर्ष
(प्रकल्प वर्ष)

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुर्गम महासंघ मर्यादित, उरला,
सीधी भर्ती एवम पदोन्नति हेतु आर्हताएँ

क्रमांक	पदनाम	सीधी भर्ती	पदोन्नति	सीधी भर्ती (न्यूनतम आर्हता)	पदोन्नति हेतु निर्धारित मानदण्ड
1.	प्रबंध संचालक	—	—	—	राज्य शासन द्वारा नियुक्त
2.	महाप्रबंधक	—	100%		उपमहाप्रबंधक के पद पर न्यूनतम 05 वर्ष का कार्य अनुभव
3.	उपमहाप्रबंधक	—	100%		सहायक महाप्रबंधक के पद पर न्यूनतम 05 वर्ष का कार्य अनुभव
4.	सहायक महाप्रबंधक	—	100%		प्रबंधक के पद पर न्यूनतम 07 वर्ष का कार्य अनुभव
5.	प्रबंधक (संयंत्र)	100%	—	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से B.Sc (DT) अथवा IDD (DT) एवम IDD (DT) के साथ 03 वर्ष का कार्यानुभव	—
6.	प्रबंधक (विपणन)	50%	50%	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से MBA विपणन	विक्रय प्रोत्साहन संगठक के पद का न्यूनतम 7 वर्ष का कार्य अनुभव
7.	प्रबंधक (क्षेत्र संचालन)	—	100%	—	ग्रामीण विस्तार संगठक के पद पर न्यूनतम 7 वर्ष का अनुभव।
8.	प्रबंधक (यांत्रिकी)	50%	50%	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मेकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक	वरिष्ठ. तकनीशियन के पद पर न्यूनतम 7 वर्ष का कार्य अनुभव
9.	प्रबंधक (वित्त)	50%	50%	C.A. पास प्रमाण पत्र धारी	वरिष्ठ लेखापाल के पद पर न्यूनतम 07 वर्ष का कार्य अनुभव
10.	जनसंपर्क अधिकारी	—	100%	—	स्नातकोत्तर उपाधि लोक प्रशासन / पत्रकारिता के साथ वरि. सहायक के पद का न्यूनतम 07 वर्ष का अनुभव

प्रबंध संचालक
छ.ग. राज्य सहकारी दुर्गम महासंघ मर्यादित
उरला, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

अधिकारी
छ.ग. राज्य सहकारी दुर्गम महासंघ मर्यादित
जगदपुर (छ.ग.)

11.	डाटा आर्गनाईजर	50%	50%	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी. सी.ए./एम.सी.ए. को वरियता	कनिष्ठ सहायक के पद पर न्यूनतम 7 वर्ष का अनुभव
12.	वरि. तकनीशियन	—	पदोन्नति	—	तकनीशियन के पद पर न्यूनतम 07 वर्ष का कार्य अनुभव
13.	वरि. लेखापाल	—	पदोन्नति	—	लेखापाल के पद पर न्यूनतम 07 वर्ष का कार्य अनुभव
14.	लेखापाल	100%	—	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से B..Com उत्तीर्ण ।	—
15.	ग्रामीण विस्तार संगठक	50%	50%	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक	सहायक ग्रामीण विस्तार संगठक के पद पर न्यूनतम 7 वर्ष का अनुभव
16.	विक्रय प्रोत्साहन संगठक	100%	—	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक / M.B.A. डिग्रीधारी ।	—
17.	वरि. सहायक	—	पदोन्नति	—	कनि.सहायक के पद पर न्यूनतम 07 वर्ष का कार्य अनुभव
18.	कनिष्ठ सहायक	—	पदोन्नति	—	निम्न. श्रेणी लिपिक के पद पर 07 वर्ष का कार्य अनुभव
19.	तकनीशियन	100%	—	—	आई.टी.आई. उत्तीर्ण (संबंधित ट्रेड में)
20.	टेंकर चालक	50%	50%	दसवीं उत्तीर्ण व एच.एम.वी का लायसेंस	एल.एम.वी./एम.जी.वी. के चालन का 07 वर्ष का न्यूनतम कार्य अनुभव एवं हैवी ड्राईविंग लायसेंस
21.	बायलर अटेंडेंट	100%	—	ए क्लास बायलर चलाने का जीवित पंजीयन	—
22.	निम्न श्रेणी लिपिक	80%	20%	सीधी भर्ती हेतु 12 वीं उत्तीर्ण एवं मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण ।	<ol style="list-style-type: none"> मान्यता प्राप्त विषय संस्थान से 10 + 2 परीक्षा उत्तीर्ण मान्यता प्राप्त संस्थान से डाटा एन्ट्री आपरेटर / प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र कंप्यूटर में हिन्दी टायपिंग में 5000 Key डिप्रेशन प्रति घंटा गति ।
23.	सहायक ग्रामीण विस्तार संगठक	100%	—	12 वीं पास	किसी दुग्ध सहकारी समिति में सचिव पद पर 10 वर्ष का कार्यानुभव
24.	प्लांट आपरेटर	20%	80%	सीधी भर्ती हेतु आई.टी.आई. उत्तीर्ण (संबंधित ट्रेड में)	संयंत्र संचालन में न्यूनतम 12 वर्षों का कार्य अनुभव रखने वाले परिचारक ।
25.	जीप चालक	100%	—	दसवीं उत्तीर्ण व एल.एम.वी का ड्राईविंग लायसेंस	—
26.	परिचारक	100%	—	आठवीं पास	संयंत्र कार्य हेतु ।
27.	भूत्य	100%	—	पॉचवीं पास	कार्यालयीन कार्य ।









क्रमांक
ल.ग. राज्य सह. दुग्ध महासंघ मर्यादित
च८ला, जिला-कुरुक्षेत्र (ह.ग.)

अध्यक्ष
ल.ग. राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित
कुरुक्षेत्र (ह.ग.)

क्रमांक
प्रबंध सचालक
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

अनुसूची-दो

॥ कर्मियों की आवश्यकता एवं मापदण्ड ॥

क्र.	पद का नाम	संख्या	प्रतिशत	मापदण्ड
			सीधी भर्ती	पदोन्नति
1.				
1.	प्रबन्ध सचालक	01	राज्य शासन द्वारा	दुग्ध महासंघ के प्रशासनिक प्रमुख के नाते व्यवसाय का संचालन एवं प्रबन्धन
2.	महाप्रबन्धक	04	—	100% 
3.	उप महाप्रबन्धक	09	—	100% 
4.	सहायक महाप्रबन्धक	14	—	100% 
5.	प्रबन्धक	35	80%	20% 
6.	वरिष्ठ ग्रामीण विस्तार संगठक	04	—	100% 
7.	ग्रामीण विस्तार संगठक	08	50%	50% 
8.	वरिष्ठ तकनीशियन	06		100% 
9.	वरिष्ठ तकनीशियन (गुण नियंत्रण)	02		100% 

— — — दुग्ध महासंघ नियंत्रण
कर्ता: शिला-दुर्घ (अ.व.)

ए.व. राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ पर्याप्ति
राज्यकारी (अ.व.)

.....2

10.	विक्रय प्रोत्साहन संगठक	12	80%	20%	दुर्ग्रह एवं दुर्ग्रह पदार्थों के विपणन एवं गतिविधियों का संपादन।
11.	डाटा आर्गेनाईजर	02	50%	50%	दुर्ग्रह संघ/महासंघ की विभिन्न गतिविधियों यथा: भौतिक एवं वित्तीय आंकड़ों का प्रबन्धन
12.	लेखापाल	08	50%	50%	संघ एवं महासंघ के लेखों के संधारण
13.	आशुलिपिक	03	100%	—	प्रबन्ध संचालक एवं महाप्रबन्धक हेतु
14.	वरिष्ठ सहायक (प्रशासन)	01	—	100%	प्रशासकीय कार्यों में सहयोग।
15.	वरिष्ठ सहायक (गुण नियंत्रण)	06	100%	—	दुर्ग्रह एवं दुर्ग्रह प्रदार्थों की गुणवत्ता व आवश्यक मापदंडों के अनुरूप कार्य सुनिश्चित करना।
16.	भंडार सहायक	03	100%	—	दुर्ग्रह महासंघ एवं शीत केन्द्रों की भंडार शाखा का नियमन एवं नियंत्रण
17.	तकनीशियन (यांत्रिकी)	15	80%	20%	दुर्ग्रह संयंत्र एवं शीत केन्द्रों में स्थापित संयंत्रों का रखरखाव एवं संचालन
18.	सहा. ग्रामीण विस्तार संगठक	30	100%	—	सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में दुर्ग्रह उत्पादकों की समिति के गठन हेतु सर्वेक्षण, आंकलन एवं विस्तार गतिविधियों का संचालन एवं पर्यवेक्षण
19.	बायलर अटेन्डेन्ट	03	100%	—	दुर्ग्रह महासंघ एवं शीत केन्द्र में स्थापित बायलर का संचालन
20.	कनिष्ठ सहायक	15	—	100%	बिल, वित्त, प्रशासन, विपणन व अन्य शाखाओं में कार्य संपादन।
21.	टेंकर चालक	14	50%	50%	दुर्ग्रह परिवहन हेतु टेंकर का परिचालन एवं रखरखाव।
22.	डेयरी डाक सहायक	03	100%	—	दुर्ग्रह समितियों से डाक पर दूध प्राप्त करना एवं समितियों के शीट तैयार करना।
23.	निम्न श्रेणी लिपिक/टायपिस्ट	12	80%	20%	कार्यालयीन टंकण एवम् अन्य शाखाओं के कार्यों में सहयोग करना।
24.	जीप चालक	10	100%	—	संघ/महासंघ की वाहनों का संचालन एवं रखरखाव।
25.	प्लान्ट ऑपरेटर	24	20%	80%	दुर्ग्रह महासंघ एवं शीत केन्द्रों में स्थापित संयंत्रों का संचालन एवं रखरखाव।
26.	परिचारक	81	100%	—	महासंघ एवं शीत केन्द्रों में दुर्ग्रह शीतलीकरण, संसाधन, साफ-सफाई एवं दूध एवं दूध के उपयोग में आने वाली सामग्री की हॉडलिंग आदि।
27.	भृत्य	10	100%	—	कार्यालयीन कार्य।

Vishal
ए.स. राज्य संघ दुर्ग्रह विभाग
दरारा, गिरा-कुर्दा (स.स.)

ए.स. राज्य संघ दुर्ग्रह विभाग
दरारा, गिरा-कुर्दा (स.स.)

Vishal
प्रबन्ध संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुर्ग्रह महासंघ मर्यादित

॥ छत्तीसगढ़ राज्य डेयरी को-ऑपरेटिव फेडरेशन का प्रस्तावित सेट-अप ॥


प्रथम श्रेणी :

क्र.	पद नाम	महासंघ हेतु प्रस्तावित पद	रिमार्क / औचित्य
1.	प्रबन्ध संचालक	01	राज्य शासन द्वारा पदस्थी की जाती है।
2.	महाप्रबन्धक (संयंत्र/उत्पादन)	01	दुर्घ संयंत्र एवं प्रदश के समस्त शीत केन्द्रो पर नियंत्रण
3.	महाप्रबन्धक (क्षेत्र संचालन)	01	प्रदश के समस्त दुर्घ सहकारी समितियों पर नियंत्रण एवं विस्तार
4.	महाप्रबन्धक (विपणन)	01	प्रदेश के सभी जिलों में दुर्घ एवं दुर्घ पदार्थों की विपणन व्यवस्था
5.	महाप्रबन्धक (एम एण्ड पी)/मटे. मेने./गुण नियंत्रण)	01	योजना एवं पर्यवेक्षण, गुणवत्ता एवं क्रय तथा सामग्री नियंत्रण
6.	उप महाप्रबन्धक (प्रशासन)	01	अधिकारियों / कर्मचारियों के सेवा अभिलेख एवं प्रशासकीय कार्य
7.	उप महाप्रबन्धक (संयंत्र, उत्पादन)	01	संयंत्र संचालन एवं शीत केन्द्रो तथा महाप्रबन्धक के बीच सम्बन्ध
8.	उप महाप्रबन्धक (वित्त)	01	वित्तीय कार्यों पर नियंत्रण
9.	उप महाप्रबन्धक (क्षेत्र संचालन)	01	विभिन्न जिलों में दुर्घ संकलन की गतिविधियों पर नियंत्रण एवं महाप्रबन्धक को सहयोग
10.	उप महाप्रबन्धक (विपणन)	01	दुर्घ एवं दुर्घ पदार्थों के विक्रय एवं विपणन की गतिविधियों पर नियंत्रण
11.	उप महाप्रबन्धक (यांत्रिकी)	01	संयंत्र एवं दुर्घ शीत केन्द्रो के संचालन में यांत्रिकी सहयोग एवं नियंत्रण
12.	उप महाप्रबन्धक— (गुण नियंत्रण)	01	संकलन एवं विपणन हेतु दुर्घ एवं दुर्घ पदार्थों की गुणवत्ता सुनिष्ठित करना
13.	उप महाप्रबन्धक— एम.आई.एस.	01	सांख्यिकीय आंकड़ों का संकलन एवं प्रस्तुतिकरण
14.	उप महाप्रबन्धक(क्रय/ भंडार)	01	सामग्री का क्रय एवं भंडारण

-- 2

क्र. राज्य राज्. दुर्घ सम्बन्ध विभ.
चरला अिला-कुर्च (अ.प.)

क्र. राज्य राज्. दुर्घ सम्बन्ध विभ.
चरला अिला-कुर्च (अ.प.)

15.	सहायक महाप्रबन्धक (पशासन)	01	प्रशासकीय कार्य में सहयोग
16.	सहायक महाप्रबन्धक (उत्पादन / संयंत्र)	04	संयंत्र संचालन एवं उत्पादन में सहयोग
17.	सहायक महाप्रबन्धक (क्षेत्र संचालन)	04	दुर्घट समितियों का विस्तार एवं प्रबंधकीय सहयोग
18.	सहायक महाप्रबन्धक (गुण नियंत्रण)	01	दुर्घट एवं दुर्घट पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना
19.	सहायक महाप्रबन्धक (एम.आई.एस.)	01	सांखिकीय आंकड़ों का संकलन, संग्रहण एवं प्रस्तुतिकरण में सहयोग
20.	सहायक महाप्रबन्धक (क्य एवं भंडार)	01	सामग्री क्य एवं भंडारण
21.	सहायक महाप्रबन्धक (यांत्रिकी)	01	संयंत्र एवं शीत केन्द्रों के संचालन में सहयोग
22.	सहायक महाप्रबन्धक विपणन)	01	दुर्घट एवं दुर्घट पदार्थों की विपणन व्यवस्था का कियान्वयन
		28	

क्षेपिका :

प्रबंध संचालक	-	01
महाप्रबंधक	-	04
उपमहाप्रबंधक	-	09
सहायक महाप्रबंधक	-	14

.....
28
.....




प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुर्घट महासंघ मर्यादित
कानून, 1982 (35)

द्वितीय श्रेणी :

क्र.	पद नाम	महासंघ हेतु प्रस्तावित पद	रिमार्क / औचित्य
1.	प्रबन्धक-उत्पादन	15	संयंत्र एवं शीत केन्द्रो में दुर्घट एवं दुर्घ पदार्थों का प्रसंस्करण एवं प्रबंधकीय कार्यों का संपादन
2.	प्रबन्धक-यांत्रिकी	02	संयंत्र एवं दुर्घ शीत केन्द्रो का आवश्यक रख-रखाव
3.	प्रबन्धक-गुण नियंत्रण	02	दुर्घ एवं दुर्घ पदार्थों के मानकों का सुनिश्चितकरण करना
4.	प्रबन्धक-वित्त	02	वित्तीय कार्यों पर नियंत्रण एवं प्रबंधकीय सहयोग
5.	प्रबन्धक-क्षेत्र संचालन	08	क्षेत्र संचालन की गतिविधियों में प्रबंधकीय सहयोग
6.	प्रबन्धक-प्रशासन व कार्मिक	01	प्रशासकीय कार्यों में आवश्यक सहयोग
7.	प्रबन्धक-एम.आई.एस.एण्ड. एम.एण्ड पी.	01	योजना एवं पर्यवेक्षण, गुणवत्ता एवं क्रय तथा सामग्री नियंत्रण कार्यों में आवश्यक सहयोग
8.	प्रबन्धक-भंडार/ क्रय	01	सामग्री क्रय एवं भंडारण में आवश्यक सहयोग
9.	प्रबन्धक (विपणन)	02	दुर्घ एवं दुर्घ पदार्थों की विपणन व्यवस्था का क्रियान्वयन में आवश्यक सहयोग
10.	पी.आर.ओ.	01	जनसंपर्क एवं प्रचार-प्रसार के कार्यों का निष्पादन
		35	


द्र. र. चतुर्वेदी
द्र. र. चतुर्वेदी


प्रबन्धक संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य सुहकामी दुर्घ महासंघ, मर्यादित
द्रला, खिला-दुर्घ (छ.ग.)


प्रबन्धक
छत्तीसगढ़ राज्य सुहकामी दुर्घ महासंघ, मर्यादित
द्रला, खिला-दुर्घ (छ.ग.)

॥ छत्तीसगढ़ राज्य डेयरी को—ऑपरेटिव फेडरेशन का प्रस्तावित सेट—अप ॥

तृतीय श्रेणी			
	पद नाम	महासंघ हेतु प्रस्तावित पद	रिमार्क / ओचित्य
1.	ग्रामीण विस्तार संगठक	12	दुर्घट समितियों का गठन एवं दुर्घट संकलन की प्रक्रिया का संपादन
2.	वरिष्ठ तकनीशियन	06	दुर्घट संयंत्र एवं शीत केन्द्रों की मशीनरी का रखरखाव
3.	वरिष्ठ तकनीशियन—(गुण नियंत्रण)	02	दुर्घट एवं दुर्घट पदार्थों की गुणवत्ता व आवश्यक मापदंडों के अनुरूप कार्य सुनिश्चित करना
4.	विक्रय प्रोत्साहन संगठक	12	दुर्घट एवं दुर्घट पदार्थों के विक्रय एवं विपणन की गतिविधियों का संपादन
5.	डाटा आर्गनाईजर	02	सांख्यिकीय आंकड़ों का संकलन, संग्रहण एवं प्रस्तुतिकरण
6.	लेखापाल	08	वित्तीय कार्यों एवं लेखा पुस्तकों एवं प्रपत्रों का संधारण
7.	वरिष्ठ सहायक—प्रशासन	01	प्रशासकीय कार्यों में सहयोग
8.	स्टेनोग्राफर	03	टायपिंग एवं कार्यालयीन कार्यों का संपादन
9.	वरिष्ठ सहायक—गुण नियंत्रण	06	दुर्घट एवं दुर्घट पदार्थों की गुणवत्ता व आवश्यक मापदंडों के अनुरूप कार्य सुनिश्चित करना
10.	भंडार सहायक	03	क्रय एवं भंडार के कार्यों में सहयोग
11.	तकनीशियन	15	संयंत्र एवं भृगुनीरी के रखरखाव में सहयोग करना
12.	सहायक ग्रामीण विस्तार संगठक	30	नए दुर्घट समितियों के गठन एवं दुर्घट संकलन गतिविधियों में सहयोग
13.	बायलर अटेन्डेन्ट	03	बायलर का संचालन एवं रखरखाव
14.	टेंकर चालक	14	टेंकर का चालन एवं रखरखाव
15.	कनिष्ठ सहायक	15	नन्तियों का रखरखाव एवं कार्यालयीन कार्यों में सहयोग
16.	डेयरी डाक सहायक	03	डेयरी डाक संबंधी कार्य संपादन
17.	निम्न श्रेणी लिपिक/टायपिस्ट	12	टायपिंग व कार्यालयीन कार्यों में सहयोग
18.	जीप चालक	10	जीप चालन एवं रखरखाव
		157	

प्रबंध सचालक
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुर्घट महासंघ मर्यादित
दरला, झिला-दुर्घट (छ.ग.)

अध्यक्ष

छ.ग. राज्य सहकारी दुर्घट महासंघ मर्यादित
प्रधान (छ.ग.)

चतुर्थ श्रेणी :			
क्र.	पद नाम	महासंघ हेतु प्रस्तावित पद	रिमार्क / औचित्य
1.	स्लान्ट आपरेटर	24	संयंत्र संचालन में सहयोग एवं संयंत्र का रखारखाव
2.	परिचारक	81	संयंत्र एवं दुर्घट शीत केन्द्रों पर दुर्घट संकलन एवं विपणन के कार्यों में सहयोग
3.	भृत्य	10	कार्यालयीन कार्य
		115	

निम्न मापदंड अनुसार नवीन शीत केन्द्र/दुर्घट समितियों में वृद्धि होने पर आवश्यक अमले का विवरण:-

1— नवीन शीत केन्द्र की स्थापना पर निम्नलिखित पदों की आवश्यकता होगी :-

- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| 1. प्रबंधक (उत्पादन) | - | 01 पद |
| 2. ग्रामीण विस्तार संगठक | - | 01 पद |
| 3. तकनीषियन | - | 01 पद |
| 4. परिचारक | - | 04 पद |
| | | |
| | | 07 पद |
| | | |



- 2— 20 नवीन दुर्घट उत्पादक समितियों के गठन पर 1 सहायक ग्रामीण विस्तार संगठक एवं प्रत्येक 50 नवीन दुर्घट उत्पादक सहकारी समितियों पर 1 ग्रामीण विस्तार संगठक की आवश्यकता होगी ।
- 3— 4000 लीटर औसत अतिरिक्त दुर्घट विक्रय पर 01 विक्रय प्रोत्साहन संगठक की आवश्यकता होगी ।
- 4— (अ) नवीन टेंकर क्रय पर एक वाहन चालक एवं एक सहायक ।
 (ब) नवीन जीप/यूटिलिटी व्हीकल/ अन्य वाहन क्रय पर एक वाहन चालक ।

प्रबंध सचालक
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुर्घट महासंघ भर्यादित
छरला, छिला-दुर्घट (छ.ग.)

क्र.नं. शाखा नं. ३५३ दुर्घट विक्रय विभाग
दिनांक १५.०८.२०१४ (१०.८.)

अध्यक्ष
छ.ग. राज्य सहकारी दुर्घट महासंघ मर्यादा
समिति (छ.ग.)

अनुसूची—तीन

॥ छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुर्गम महासंघ मर्यादित रायपुर के यात्रा भत्ता नियम ॥

संक्षिप्त नाम :

ये नियम छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुर्गम महासंघ मर्यादित के कर्मियों के यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता नियम कहलायेंगे जो महासंघ में कार्यरत सभी कर्मियों पर प्रभावशील होंगे तथा समय—समय पर ४०ग्र० शासन द्वारा जारी नियमों के अनुरूप होंगे ।

परिभाषायें :

नियम—एक :

इन नियमों में जब तक विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो

- 1— “पंजीयक” से अभिप्रेत पंजीयक सहकारी संस्थायें छत्तीसगढ़ शासन
- 2— “मण्डल” से अभिप्रेत महासंघ के उपनियमों के अधीन गठित महासंघ का संचालक मण्डल
- 3— “अध्यक्ष” से अभिप्रेत है महासंघ के उपनियमों के अधीन नियुक्त मण्डल का अध्यक्ष
- 4— “प्राधिकृत अधिकारी” से अभिप्रेत है प्रबन्ध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुर्गम महासंघ मर्यादित या अन्य प्राधिकृत जिन्हें यह शक्तियाँ प्रबन्ध संचालक द्वारा इन नियमों के अन्तर्गत वैष्ठित की गई हो ।
- 5— “महासंघ” से अभिप्रेत छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुर्गम महासंघ मर्यादित से है ।
- 6— “दैनिक” से आशय क्लेण्टर दिवस से है ।
- 7— “परिवार” से अभिप्रेत :

1. पति या पति जो महासंघ का कर्मी हो

2. माता—पिता, बच्चे जिनमें वैधानिक रूप से गोद लिये संविलियत है जो महासंघ के कर्मी के साथ रहते हो एवं उन पर आश्रित हों ।

- 8— “प्रबन्ध संचालक” से अभिप्रेत प्रबन्ध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुर्गम महासंघ के उपनियमों अन्तर्गत नियुक्त किया गया हो ।

- 9— “वेतन” से अभिप्राय जो शासकीय सेवक उसके द्वारा धारित पद के विरुद्ध मासिक आधार पर आहरण की पात्रता रखता हो, उसके अन्तर्गत :

अ— पर्सनल पे

ब— स्पेशल पे

स— ऐसे अन्य राशि सम्मिलित हैं जिसे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वेतन की श्रेणी में रखा गया हो

।

- 10— “स्थानान्तरण” से अभिप्रेत शासकीय सेवक मुख्यालय से अन्यत्र स्थान पर नवीन पद स्थापना, स्थानान्तरण जिसमें मुख्यालय परिवर्तन हो रहा हो ।

- 11— “यात्रा भत्ता” से आशय दुर्गम महासंघ के कर्मियों को दिये जाने वाले अनुसंगिक भत्ते से हैं जो महासंघ के हितों के दृष्टिगत इन कर्मियों को दिया जाता है । इसका नियमन इस प्रकार से किया जाए कि ये प्राप्तकर्ता को लाभ के स्रोत के रूप में न प्रतीत हो ।

...2..

छत्तीसगढ़ सहकारी दुर्गम महासंघ रायपुर
प्रबन्ध संचालक

नियम—दो :

इन नियमों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/संषोधन संचालक मण्डल के अनुमोदन पश्चात पंजीयक की स्वीकृति से ही प्रभावी होंगे।

नियम—तीन:

इन नियमों के आषय के सम्बन्ध में प्रबन्ध संचालक का निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा।

नियम—चार:

1— अधिकारियों की श्रेणी :


- | | |
|-----------|--|
| श्रेणी—ए | रु. 10,000 या इससे अधिक ग्रेड वेतन प्राप्त करने वाले समस्त अधिकारी |
| श्रेणी—बी | रु. 6500 या इससे अधिक किन्तु रु. 10,000 से कम ग्रेड वेतन प्राप्त करने वाले समस्त अधिकारी |
| श्रेणी—सी | रु. 3050 से अधिक ग्रेड वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी |

2— रेल द्वारा की गई यात्रा हेतु पात्रता :

श्रेणी	राजधानी	शताब्दी	सामान्य
ए	ए.सी.प्रथम श्रेणी	एक्सीक्यूटिव क्लास	रेल की उच्चतम श्रेणी
बी	ए.सी.2 टीयर	ए.सी.चेयरकार	रेल की उच्चतम श्रेणी, वातानुकूलित प्रथम श्रेणी को छोड़कर
सी	ए.सी. 3 टीयर	ए.सी.चेयरकार	रेल की उच्चतम श्रेणी, वातानुकूलित प्रथम श्रेणी को छोड़कर
डी	—	—	शयनयान श्रेणी, (वातानुकूलित नहीं) एवं वातानुकूलित कुर्सीयान
ई	—	—	शयनयान श्रेणी, (वातानुकूलित नहीं)

3— हवाई यात्रा की पात्रता:

- (अ) एच.ए.जी.वेतनमान प्राप्त करने वाले अधिकारी देश के अन्दर एक्सीक्यूटिव क्लास से यात्रा के पात्र होंगे।
- (ब) 8700 या इससे अधिक ग्रेड वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारी देश के अन्दर एकोनामी क्लास से यात्रा के पात्र होंगे।
- (स) 7600 या इससे अधिक किन्तु 8700 से कम ग्रेड वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारी केवल दिल्ली यात्रा हेतु एकोनामी क्लास से यात्रा के पात्र होंगे।


प्रबन्ध सचिव
छ.व. राज्य रहने दुर्घट नियमों का अधिकारी
दरबार, जिला-दुर्घट (छ.व.)


प्रबन्ध सचिव
छ.व. राज्य रहने दुर्घट नियमों का अधिकारी
दरबार, जिला-दुर्घट (छ.व.)

4— लोक वाहन द्वारा सड़क यात्रा की पात्रता :

- (अ) श्रेणी ए, श्रेणी बी तथा श्रेणी सी के शासकीय सेवक को वातानुकूलित बस से यात्रा की पात्रता होगी ।
- (ब) श्रेणी डी के शासकीय सेवक को गैर वातानुकूलित डीलक्स बस तथा वीडियो कोच से यात्रा की पात्रता होगी ।
- (स) श्रेणी ई के शासकीय सेवक को गैर वातानुकूलित फास्ट पैसेंजर अथवा सुपर एक्सप्रेस बस से यात्रा की पात्रता होगी ।

5— स्वयं की वाहन से यात्रा करने पर मील भत्ता की दरें :

शासकीय सेवक की श्रेणी	यात्रा का साधन	दर (प्रति किलोमीटर)	अभयुक्ति
ए एवं बी	स्वयं की कार	10 रुपये	1. टैक्सी की पात्रता तब होगी जब यात्रा वास्तव में टैक्सी से की गई हो तथा इसकी रसीद प्रस्तुत की गई हो ।
	टैक्सी (ए.सी.टैक्सी शामिल)	14 रुपये	2. यदि दोनों स्थान रेल से जुड़ा हो तो टैक्सी द्वारा की गई यात्रा शासकीय सेवक द्वारा रेल द्वारा यात्रा की पात्रता की श्रेणी के किराये से सीमित किया जाएगा ।
सी	स्वयं की कार	10 रुपये	1. टैक्सी की पात्रता तब होगी जब यात्रा वास्तव में टैक्सी से की गई हो तथा इसकी रसीद प्रस्तुत की गई हो ।
	टैक्सी (नाम ए.सी.)	12 रुपये	2. यदि दोनों स्थान रेल से जुड़ा हो तो कार या टैक्सी द्वारा की गई यात्रा शासकीय सेवक द्वारा रेल द्वारा यात्रा की पात्रता की श्रेणी के किराये से सीमित किया जाएगा ।
समस्त श्रेणी	स्वयं की मोटर सायकिल	4 रुपये	
	अन्य साधन	1 रुपये	

हरया राज्य कल दुष्टी उपचार
कालांतर नियम-कानून (क)

अध्यक्ष
द.ग. राज्य सहकारी दुष्टी महासंघ मर्यादा
रायपुर (छ.ग.)

6— दैनिक भत्ता :आवास एवं स्थानीय परिवर्तन हेतु निर्धारित दरें :

शासकीय सेवक की श्रेणी	दैनिक भत्ता नगर की श्रेणी के अनुसार			आवास (प्रतिदिन होटल व्यय)			स्थानीय परिवहन प्रतिदिन		
	एक्स	वाए	जेड	एक्स	वाए	जेड	एक्स	वाए	जेड
ए	500	400	300	7500	2000	1000	1000	500	300
बी	300	250	200	5000	1500	750	800	400	250
सी	200	150	125	2000	750	375	400	250	150
डी	150	100	80	1000	500	250	200	150	100
ई	100	80	60	500	250	125	100	75	50

टीप: नगरों का श्रेणीकरण एवं अन्य अभियुक्तियाँ छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग द्वारा शासकीय सेवकों के लिए प्रभावी अनुसार प्रचलित रहेंगी।

7— स्थानान्तरण अनुदान :

शासकीय सेवक की श्रेणी	स्थानान्तरण अनुदान की दर (रुपये)
ए	8000
बी	6000
सी	5000
डी	4000
ई	2000

8— निजी सामान परिवहन :

शासकीय सेवक की श्रेणी	सड़क द्वारा (रुपये प्रति किलोमीटर)	रेल द्वारा
ए	18	6000 किलोग्राम
बी	18	6000 किलोग्राम
सी	15	5000 किलोग्राम
डी	9	3000 किलोग्राम
ई	5	1500 किलोग्राम

प्रबंध संचालक

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुर्घ महासंघ मर्यादित

अध्यक्ष

छ.ग. राज्य सहकारी दुर्घ महासंघ मर्यादित
संघमुर (छ.ग.)

अनुसूची-चार

॥ संचालक मण्डल द्वारा नियुक्त सदस्यों की चयन समिति ॥

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित रायपुर के उपनियमों की कंडिका क्रमांक 37.1.3, 37.1.4, 37.1.5 के अन्तर्गत संचालक मण्डल द्वारा स्वीकृत एवं सेवा नियमों में वर्णित प्रक्रिया का पालन सुनिष्ठित करते हुए सभी पदों पर नियुक्त, अनुषासनिक कार्यवाही आदि अधिकार प्रबन्ध संचालक को वैष्ठित है। दुग्ध महासंघ के सेटअप में स्वीकृत पदों पर सीधी भर्ती के लिए चयन समिति का गठन किया जावेगा जो निम्नानुसार है :—

प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के कर्मियों के लिए :

- 1— राज्य शासन का प्रतिनिधि / प्रबंध संचालक — छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित / महाप्रबंधक (प्रशासन)
- 2— संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें या उनका प्रतिनिधि
- 3— आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें या उनका प्रतिनिधि
- 4— राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का प्रतिनिधि
- 5— विषय वस्तु विषेषज्ञ
- 6— आरक्षण नियमों में प्रावधानिक अनुसार आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधि

तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के श्रेणी के कर्मियों के लिए :

- 1— संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें या उनका प्रतिनिधि
- 2— आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें या उनका प्रतिनिधि
- 3— राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का प्रतिनिधि
- 4— विषय वस्तु विशेषज्ञ
- 5— आरक्षण नियमों में प्रावधानिक अनुसार आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधि
- 6— महाप्रबंधक (प्रशासन)

छ.ग. राज्य सह. दुग्ध महासंघ नगर
उरला, जिला-दुर्घ (छ.ग.)

छ.ग. राज्य सह. दुग्ध महासंघ
उरला, जिला-दुर्घ (छ.ग.)

अधिकारी
छ.ग. राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ नगर
उरला (छ.ग.)

अनुसूची – पॉच

—:: संशोधित संविदा नियुक्ति नियम—2013 ::—

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-55 की उपधारा-1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ0ग0 राज्य सहकारी दुर्ग महासंघ मर्यादित, कर्मचारी भरती वर्गीकरण तथा सेवा शर्त विनियम 1985 के नियम 18 के बाद 18 (क) संविदा नियुक्ति पर कर्मचारी नियुक्त किये जाने का प्रावधान स्थापित करता हूँ।

नियम 18 (क) :-

संविदा नियुक्ति हेतु नियम

1— संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :-

(एक) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुर्ग महासंघ मर्यादित, रायपुर

कर्मचारी (संविदा नियुक्ति) नियम 2013 है।

(दो) ये नियम आदेश जारी होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2— परिभाषाएँ :- इन नियमों में जब तक संदर्भित में अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) नियुक्ति प्राधिकारी – से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुर्ग महासंघ मर्यादित, रायपुर का संचालक मण्डल।

(ख) रजिस्ट्रार – से अभिप्रेत है, पंजीयक सहकारी संस्थायें, छत्तीसगढ़।

(ग) दुर्ग महासंघ – से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुर्ग महासंघ मर्यादित, रायपुर।

(घ) संविदा भरती नियम – से अभिप्रेत है, संबंधित सेवा या पद पर संविदा नियुक्ति हेतु संविदा भर्ती नियम।

(च) दुर्ग महासंघ सेवा अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुर्ग महासंघ मर्यादित, रायपुर के अधीन सेवा।

छ.ग. राज्य सह. दुर्ग महासंघ भर्ती
उत्तरा, खिला-दुर्ग (ख.ग.)

छ.ग. राज्य सह. दुर्ग महासंघ भर्ती
उत्तरा (ख.ग.)

3— विस्तार तथा लागू होना :—

ये नियम प्रत्येक ऐसे पदों के संबंध में एवं उन पर इन नियमों के अधीन नियुक्त या नियुक्ति की पात्रता रखने वाले व्यक्तियों पर लागू होंगे, जिन पदों का पंजीयक, सहकारी संस्थाएं द्वारा नियम 5 (क) 4 के अंतर्गत संविदा नियुक्ति के पद घोषित किये जाये ।

4— संविदा नियुक्ति के पद :—

संविदा भर्ती नियमों में किसी बात के होते हुए भी रजिस्ट्रार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उक्त आदेश में उल्लेखित अवधि जो चार वर्ष से अधिक नहीं होगी, तक के लिए सीधी भरती के किन्हीं पदों को संविदा नियुक्ति के पद घोषित कर सकेगा ।

परन्तु पदोन्नति से भरे जाने वाले पद अर्थात् पदोन्नति कोटे के पद संविदा नियुक्ति के पद घोषित नहीं किये जा सकेंगे ।

परन्तु यह भी कि पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों के लिए यदि न्यूनतम अर्हता प्राप्त सेवायुक्त उपलब्ध न होने के कारण अथवा अन्य अपरिहार्य कारण अथवा जब तक पदोन्नति संभव न हो सके, केवल तब तक के लिए विशेष आदेश से ऐसे पद संविदा से भरे जा सकेंगे ।

5— नियुक्ति का तरीका :—

(एक) नियम 5 (क) के अंतर्गत घोषित संविदा नियुक्ति के पद आदेश में घोषित अवधि के लिए संविदा से ही भरे जा सकेंगे ।

(दो) संविदा नियुक्ति निम्न दो प्रकार से की जा सकेगी —

(क) सीधी भर्ती से संविदा नियुक्ति राज्य के रोजगार कार्यालयों से उम्मीदवारों के नाम प्राप्त कर अथवा सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से ।

- (ख) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, रायपुर/किसी राज्य के डेयरी फेडरेशन/किसी सहकारी दुग्ध संघ/मदर डेयरी/राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) की सेवा से सेवानिवृत्त व्यक्ति की संविदा नियुक्ति ।


डॉ. एच. बी. एम. अमेड़ेकर (महाराष्ट्र)
उत्तराखण्ड (मान्यता)


अध्यक्ष
उत्तराखण्ड (मान्यता)
राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित
रायपुर (छंग.)

६ (तीन) सीधी भर्ती से संविदा नियुक्ति राज्य के रोजगार कार्यालयों से उम्मीदवारों के नाम प्राप्त कर अथवा सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से की जा सकेगी। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुर्घट महासंघ मर्यादित, रायपुर/किसी राज्य के डेयरी फेडरेशन/किसी सहकारी दुर्घट संघ/मदर डेयरी/राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) की सेवा से सेवानिवृत्त व्यक्तियों से संविदा नियुक्ति सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से अथवा व्यक्ति विशेष की योग्यता व उसकी उपयुक्तता के आधार पर की जा सकेगी।

(चार) उपरोक्त दोनों प्रकार की भर्ती दुर्घट महासंघ, संचालक मण्डल के प्रस्ताव पश्चात रजिस्ट्रार की पूर्व अनुमति से की जा सकेगी।

6- चयन प्रक्रिया :-

(क) संविदा नियुक्ति के लिये चयन समिति निम्नानुसार रहेगी -

- 1- अध्येक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुर्घट महासंघ मर्यादित, रायपुर।
- 2- छत्तीसगढ़ शासन, पशुपालन विभाग का प्रतिनिधि जो उप सचिव से अनिम्न श्रेणी का हो।
- 3- पंजीयक का प्रतिनिधि जो उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं से अनिम्न श्रेणी का हो।
- 4- कमिशनर रायपुर संभाग का प्रतिनिधि जो उप आयुक्त से अनिम्न श्रेणी का हो।
- 5- प्रबन्ध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुर्घट महासंघ मर्यादित, रायपुर संयोजक सदस्य।

(ख) संविदा नियुक्ति में आरक्षण का प्रावधान होने से चयन समिति में आरक्षित वर्ग के प्रतिनिधि को भी रखना अनिवार्य होगा।

7- आयु सीमा :-

(क) सीधी भर्ती से संविदा नियुक्ति के लिए आयु सीमा वही होगी जो संबंधित पद या सेवा हेतु नियम में विहित हो, परन्तु आयु सीमा में शासन द्वारा समय-समय पर जारी छूट संबंधी आदेश/निर्देश संविदा नियुक्ति के लिये भी लागू होंगे।

(ख) सेवानिवृत्त व्यक्ति को संविदा नियुक्ति अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक के लिए दी जा सकेगी।

अध्यक्ष
छ.ग. राज्य सहकारी दुर्घट महासंघ मर्यादित
रायपुर (छ.ग.)

8— नियुक्ति के लिए पात्रता तथा अर्हताएँ :—

संविदा नियुक्ति के लिए पात्रता तथा अर्हताएँ वहीं होगी जैसा कि सेवा नियम में विहित है।

- (क) सीधी भर्ती से संविदा नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ एवं अन्य अर्हताएँ वहीं होगी जो उक्त पद हेतु सेवा नियमों में विहित है।
- (ख) सेवानिवृत्त व्यक्ति की संविदा नियुक्ति के मामले में सेवानिवृत्ति के पूर्व में धारित पद के समकक्ष पद पर नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हता का बंधन नहीं होगा।

9— आरक्षण :—

संविदा नियुक्ति में आरक्षण, पंजीयक-सहकारी संस्थायें छत्तीसगढ़, रायपुर के परिपत्र क्रमांक-साख/2014/5352 रायपुर, दिनांक 03 नवम्बर-2014 अनुसार नियम लागू होंगे।

10— वेतन :—

(एक) संविदा सेवा में सिर्फ मासिक एकमुश्त राशि वेतन देय होगा। इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति, गृह भाड़ा इत्यादि नहीं दिया जायेगा तथा संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतनवृद्धि की पात्रता नहीं होगी।

(दो) मासिक एकमुश्त राशि वेतन का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा :—

(क) सीधी भर्ती से संविदा नियुक्ति की स्थिति में मासिक एकमुश्त राशि वेतन वह होगा जो रजिस्ट्रार द्वारा समय-समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा मान्य करे, परन्तु यह वेतन जिस पद पर संविदा नियुक्ति की जा रही है उस पद के न्यूनतम मूल वेतन तथा नियुक्ति वर्ष की पहली जनवरी को देय मंहगाई भत्ता के योग से अधिक नहीं होगा।

प्रदृष्ट संविदा
क.म. राज्य राज दुर्घ अडासंदर राम
चरता, खिला-दुर्घ (क्रम)

संविदा
क.म. राज्य राज दुर्घ अडासंदर राम
(क्रम)

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, रायपुर/किसी राज्य के डेयरी फेडरेशन/किसी सहकारी दुग्ध संघ/मदर डेयरी/राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) की सेवा से सेवानिवृत्त व्यक्ति सहकारी दुग्ध संघ/मदर डेयरी/राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) की सेवा से सेवानिवृत्त व्यक्ति की संविदा नियुक्ति के मामले में संविदा नियुक्ति में वेतन निम्नानुसार निर्धारित किया जायेगा—

- (एक) मूल संविदा वेतन का निर्धारण सेवानिवृत्ति तिथि पर अनुज्ञेय मूल वेतन में से सेवानिवृत्ति पर निर्धारित मूल पेंशन (संराशीकृत अश को शामिल करते हुए) को घटाकर किया जाएगा,
- (दो) उसे, इस प्रकार से निर्धारित मूल संविदा वेतन पर, महासंघ के कर्मचारियों को समय-समय पर अनुज्ञेय दर से मंहगाई भत्ते की पात्रता होगी,

(तीन) उसे, ऐसे विशेष वेतन/भत्ते, जो उसके सेवानिवृत्ति के समय धारित पद पर अनुज्ञेय थे और संविदा नियुक्ति के पद के साथ भी संलग्न है, की उस दर से पात्रता होगी जो वह सेवानिवृत्ति के समय आहरित कर रहा था इसके अतिरिक्त वह सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त हो रहे गृह भाड़ा भत्ता (यदि महासंघ सेवक गृह धारण नहीं करता है) एवं नगर क्षतिपूर्ति भत्ता का हकदार होगा तथा पेंशन एवं पेंशन पर मंहगाई राहत के लिये भी पृथक से हकदार होगा।

(ग) सेवानियुक्त व्यक्ति यदि ऐसे संस्थान से सेवानिवृत्त हुआ हो जहां पेंशन की सुविधा न हो तो मासिक एकमुश्त वेतन का निर्धारण सेवानिवृत्ति के समय देय मूल वेतन तथा ग्रेड-पे पर अन्य परिलक्षियों का 50 प्रतिशत राशि जोड़कर दिया जायेगा ।

11- नियुक्ति की अवधि :-

- (एक) संविदा नियुक्ति की अवधि दुग्ध संघ द्वारा विनिश्चित अवधि के लिए होगी ।
- (दो) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, रायपुर की आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा नियुक्ति व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा अवधि वृद्धि का प्रस्ताव संचालक मण्डल में पारित कराकर रजिस्ट्रार से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात कर सकेगा ।
- (तीन) संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वयंसेव समाप्त मानी जावेगी ।

Chhattisgarh
State Milk Board
Raipur (C.G.)

अध्यक्ष
छ.ग. राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित
रायपुर (छ.ग.)

12— अवकाश की पात्रता :—

(एक) सीधी भर्ती से संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में 16 दिनों का आकस्मिक अवकाश तथा 03 ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। वर्ष के मध्य में नियुक्त होने अथवा सेवानिवृत्त होने पर आकस्मिक अवकाश के पात्रता की गणना पूर्ण महीनों के लिए अनुपातिक आधार पर किया जावेगा। गणना में अपूर्ण दिवस को आगामी पूर्ण दिवस से पूर्णांकित किया जावेगा।

(दो) सेवानिवृत्त व्यक्ति से संविदा नियुक्ति की स्थिति में संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को भी कंडिका 12 (एक) के अनुसार अवकाश की पात्रता होगी।

(तीन) अन्य किसी प्रकार के अवकाश की पात्रता नहीं होगी।

13— यात्रा अन्तः :—

(एक) सीधी भर्ती से संविदा नियुक्त व्यक्ति को जिस पद पर नियुक्ति दी गई है, उस पद के समकक्ष सेवायुक्तों के समान यात्रा भत्ते की पात्रता होगी।

(दो) सेवानिवृत्त व्यक्ति से संविदा नियुक्ति की स्थिति में यात्रा भत्ते की पात्रता उसी प्रकार होगी जैसा कि सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व थी।

14— अन्य शर्त :—

(एक) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुध महासंघ मर्यादित, रायपुर में तत्समय प्रभावशील सेवानियम से शासित होंगे।

(दो) नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा 07 दिवस की पूर्व सूचना या इसके एवज में 07 दिवस का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

(तीन) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को सेवा समाप्ति पश्चात जितनी अवधि तक संविदा सेवा की गई है उस अवधि के लिए किसी भी प्रकार के पेंशन, उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।

छ.ग. राज्य सहकारी दुध महासंघ कर्मचारी
रायपुर (छ.ग.)


(वार) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जायेगा, ताकि यदि आगामी वर्ष हेतु पुनः संविदा नियुक्ति का प्रस्ताव हो तो इसके आधार पर कार्य का मूल्यांकन हो सके ।

(पांच) संविदा पर नियुक्त सेवानिवृत्ति व्यक्ति सेवानिवृत्ति के समय यदि दुर्घट महासंघ द्वारा उपलब्ध कराए गए आवास में रह रहा हो तो उसे आवास की पात्रता बनी रहेगी तथा उससे दुर्घट महासंघ प्रबन्धन द्वारा नियत लाइसेंस शुल्क या मकान किराये की वसूली की जावेगी ।

15- निर्वाचन :-

यदि इन्हीं नियमों में निर्वाचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो तो उस पर रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम होगा ।

सीधी भर्ती से संविदा नियुक्त कर्मचारी के वेतन से भविष्य निधि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भविष्य निधि का कटौत्रा किया जायेगा, किन्तु सेवानिवृत्ति के उपरांत संविदा कर्मी पर भविष्य निधि अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे ।


प्रबंध सचालक
छत्तीसगढ़ राज्य सेवक सभी द्वारा महासंघ प्रयोगित
उरला, छत्तीसगढ़ (U.P.)


अध्यक्ष
डॉ. न. राजेश सहकारी बुद्धि महासंघ द्वारा
उरला (उप.)